छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2022

(श्रावण 4, शक सम्वत् 1944)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.</u>

श्री अरूण वोरा :- (माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी पीली जैकेट पहने हुए होने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाली तो सुने थे, यह पीलियाली क्या है? हरियाली में पीलियाली।

अध्यक्ष महोदय :- जी। आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना।

श्री अरूण वोरा :- मैंने कहा कि अभी हरियाली का समय चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका नीचे दबाओ न। (हंसी) आप अपनी माईक की बटन दबाईये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नीचे वाला दबा दिया हूं। हरियाली तो हमने सुना है, यह बहुत ज्यादा पीलियाली है। यह क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इस साल हरियाली के दिन गेड़ी डे होगा। उसकी अभी से प्रथम आने की प्रेक्टिस शुरू दो। एक सामान्य वर्ग का मंत्री पद अभी खाली हो रहा है। आप समझ रहे हैं न। खादी पहनना सीख लो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सत्यनारायण शर्मा जी, आप प्रारंभ करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- और संभावना दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्रों में दिखाई दे रही है। आप जुगाड़ कर लो।

<u>राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं नामान्तरण की ऑनलाइन कार्यवाही</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

1. (*क्र. 574) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजस्व विभाग में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही ऑनलाइन कब से प्रारंभ की गई है? **(ख)** ऑनलाइन कार्य के लिए अबतक तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को विभाग द्वारा कितने कम्प्युटर का प्रदाय किया गया है? **(ग)** क्या, विभाग द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपरोक्त पश्नांश 'ख' के सम्बन्ध में कंप्यूटर खरीदी और इन्टरनेट सेवा के लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारियों को मासिक या वार्षिक राशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** राजस्व विभाग में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं आनलाईन नामांतरण का कार्य दिनांक वर्ष 2020 से प्रारंभ किया गया है। **(ख)** विभाग द्वारा कम्प्युटर क्रय हेतु निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है :-

क्र.	वर्ष	कम्पुटर
1	वर्ष 2014-2015 में भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण योजनान्तर्गत	188 नग
2	वर्ष 2017-2018 में भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण योजनान्तर्गत	450 नग
3	वर्ष 2017-2018 में ई -कोर्ट के अंतर्गत	1002 नग
4	वर्ष 2020-2021 में भुइयां एवम भू-नक्शा संचालन हेतु	316 नग
	योग	1956 नग

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रदाय नहीं किया गया है। **(ग)** जी नहीं। राज्य के सभी जिलों एवं तहसीलों को लीज लाईन के द्वारा इन्टरनेट कनेक्शन दी गई है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक का ज्यादा काम आर.आई. और पटवारी से पड़ता है, अधिकांश काम वही करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटवारी और आर.आई. को कम्पयूटर क्यों नहीं दिया जा रहा है ? दो साल से आपने कम्पयूटरीकरण किया है तो आप यह बताने की कृपा करें कि यह किस तरह से काम कर रहे हैं, काम कैसे संपादित हो रहा है, जब इनको कम्पयूटर नहीं दिया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में भू-अभिलेख कम्पयूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- (माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी को खड़े होकर बात करने हुए देखने पर) कृपया माननीय अजय चन्द्रकार जी, आप दोनों बैठ कर बात करिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के लिए चिंता का विषय है कि सत्तू भैया जैसे सीनियर व्यक्ति को प्रश्न करना पड़ रहा है। आपके इशारे से काम होना चाहिए। आपको प्रश्न

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना पड़ रहा है। इससे बड़ी लज्जाजनक स्थिति नहीं हो सकती।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आज पूरे का पूरा विपक्ष साफ है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सरकार के खिलाफ नहीं है। प्रश्न करना मेरा अधिकार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका प्रश्न करना अधिकार है पर आप इतने सीनियर हैं कि आपके इशारे पर काम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, घर में भाभी जान आपने प्रश्न करती हैं? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी उनसे प्रश्न करते हैं। यहां भी पारिवारिक माहौल है। महाराज जी, आप प्रश्न करिये। आप महाराज एक ही बार में संतुष्ट हो गये ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि आखिर काम किस तरह से संपादित हो रहा है ? जब आपने इनको कम्पयूटर नहीं दिये हैं तो काम कैसे हो रहा है ? यह कम्पयूटर कहां से आये हैं ? इंटरनेट कनेक्शन कौन दे रहा है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में भू-अभिलेख कम्पयूटरीकरण का योजना के तहत काम शुरू किया गया और सभी तहसीलों में 5-5 कम्पयूटर दिये गये हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.आई. और पटवारी जनता का ज्यादातर काम वही संपादित करते हैं तो उनको कम्पयूटर क्यों नहीं दिया जा रहा है ? आर.आई. और पटवारियों के पास कम्पयूटर हैं, कम्पयूटर ऑपरेटर भी हैं तो आखिर कहां से संचालन हो रहा है ? या तो आप विधिवत रूप से legalized कर दें। इनको कम्पयूटर और इंटरनेट कनेक्शन दिलवा दें। इनका पैसा कौन दे रहा है ? पटवारियों के पास जो कम्पयूटर और इंटरनेट कनेक्शन है, आपने कम्पयूटर नहीं दिये तो इनका पैसा कौन दे रहा है ? इनके पास कम्पयूटर कहां से आया ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी तहसीलों में 5-5 कम्पयूटर दिये गये हैं और वर्षवार चाहें तो मैं सभी जिलों की जानकारी दे सकता हूं। इसमें पहले वर्ष 2004-05 में कम्पयूटर दिये गये थे और उसके बाद 2014-15 में यह कम्पयूटर वापिस ले लिये गये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर पटवारी, आर.आई. के पास कम्पयूटर है, वह काम कर रहे हैं। उनके पास कम्पयूटर ऑपरेटर भी है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि जब आपने कमपयूटर नहीं दिये तो आखिर उनके पास कम्पयूटर कहां से आया ? यदि नहीं दिये तो इनको कम्पयूटर कब देंगे ताकि जनता का काम संपादित हो ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का काम पूर्ण रूप से संपादित हो रहे हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- महाराज जो कह रहे हैं, उसके लिए यथाशीघ्र बोल दीजिए न। यथाशीघ्र बोल दीजिए तो चल जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें आगे देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, वही तो यथाशीघ्र ऐसा बोल दीजिए। यथाशीघ्र अच्छा शब्द है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी।

<u>बस्तर संभाग के महाविद्यालयों में संचालित नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 730) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना बस्तर संभाग में किन-किन महाविद्यालयों में संचालित है ? इनमें प्रवेश के लिए क्या नियम व निर्देश प्रचलन में हैं ? **(ख)** विगत 3 वित्तीय वर्षो में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ? वर्गवार आरक्षण का ब्यौरा सहित सख्यांत्मक जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** विभाग में निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना संचालित नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना संचालित है। बस्तर संभाग के जिन महाविद्यालयों में संचालित है, उसकी **जानकारी संग्लग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है। विभाग में संचालित **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना वर्ष 2008-09 यथा संशोधित 2012** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ली गई परीक्षा के माध्यम से काउंसलिंग द्वारा वर्गवार मेरिट के आधार पर योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रवेश दिया जाता है। **(ख)** विगत 3 वित्तीय वर्षो में 95 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 17 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 78 विद्यार्थी है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण की सुविधा से संबंधित था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। बस्तर संभाग के महाविद्यालयों में नर्सिंग पाठ्यक्रम में 03 वर्षों में 95 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 17 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 78 विद्यार्थी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष में इनके लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं और विगत् 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है ?

---

[1] परिशिष्ट- "एक"

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क नर्सिंग ट्रेनिंग के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, वह केवल बस्तर संभाग का पूछा गया है। जैसा मैंने बताया है कि विगत 3 वर्षों में बस्तर संभाग में 95 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 17 विद्यार्थी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 78 विद्यार्थी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रक्रिया होती है कि इसमें एग्जाम होते हैं। इसके एग्जाम डी.एन.बी. कन्डक्ट करवाता है। उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो विद्यार्थी हैं, वह वहां जाकर अपना सत्यापन करवाते हैं फिर वे विद्यार्थी जिस कॉलेज को च्वाईस करते हैं, उन्हें वहां पर प्रवेश दिया जाता है। वह मेरिट के आधार पर ट्रेवल विभाग को भेजते हैं। उसके बाद ट्रेवल विभाग पूरे 400 विद्यार्थियों के लिये अलग-अलग इंतेजाम करके उनको जहां-जहां पर कॉलेज एलॉटमेंट होते हैं, उसके आधार पर उन लोग तय करते हैं। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के 26 बालक और 129 बालिकाएं हैं, कुल 155 विद्यार्थी होते हैं और अनुसूचित जनजाति के 51 बालक और 194 बालिकाएं हैं। यह जो 400 सीटों की संख्या होती है, वह घटते क्रम में 400 फिर 399, ऐसे भरे जाते हैं। जिन-जिन कॉलेजों में इनका प्रवेश होता है, विभाग वहां पर सहायक आयुक्त को भेजते हैं कि वहां पर व्यवस्था करें और ताकि वे विद्यार्थी पढ़ाई कर सकें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शासन से प्रावधानित है कि 400 विद्यार्थियों को नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण देंगे। लेकिन मैं आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन देख रहा था और उसका अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-20 में 8 वर्षों में कुल 2159 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। निर्धारित लक्ष्य का मात्र 50 प्रतिशत सीटें दी गयी। वही अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4499 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। ऐसा आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 में लिखा गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा बस्तर संभाग में 3 वर्षों में मात्र 95 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। जबकि आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है और बजट में भी इसके लिये प्रावधान किया गया है कि मांग संख्या 41 में 6 करोड़ 78 लाख और मांग संख्या 64 में 3 करोड़ का की राशि। उसके साथ-साथ वर्ष 2020-21 में और वर्ष 2021-22 में भी आपने 5 करोड़ 78 लाख और मांग संख्या 64 में 3 करोड़ रूपये का प्रावधान है। उसके बाद भी शासन इन वर्गों के बच्चों को इसका लाभ क्यों नहीं दे पा रही है? मैं आपसे वही जानना चाहता हूं। आपने राशि का भी प्रावधान किया है, उसके बाद भी आपके उत्तर में विरोधाभास है और प्रशासकीय प्रतिवेदन में भी विरोधाभास है। आखिर सही क्या है? आपने कहा कि वर्ष 2020-21 में 4499 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। आखिर उन वर्गों के जो बच्चे, बच्चियां है, उनको क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है? आपने मात्र 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को इसका लाभ दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- मरकाम जी, सत्ता और संगठन में भी विरोधाभास है।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, किसमें गुट, बैर नहीं है?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को प्रश्न करना पड़ रहा है। सीनियर सदस्य सत्यनारायण शर्मा जी को प्रश्न करना पड़ रहा है। इससे सत्ता और संगठन में समन्यव दिखता है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही कह रहा हूं..।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो डाट खा जायेंगे। मंत्री जी सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं है। मरकाम जी, ज्यादा पूछोगे तो डाट खा जाओगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, बेहतर समन्वय है। जबकि आप लोगों में आपसी समन्वय नहीं है। आज पूरा विपक्ष गोल है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, क्या आपको बड़े भाई की डाट खाना है?

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, मिलाने के लिये पानी नहीं मिल रहा है।

श्री कवासी लखमा :- मिलाने के लिये पानी नहीं मिल रहा है तो तुमको Original दे दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा दादी, आप कौन से आइटम हो?

श्री कवासी लखमा :- उनसे पूछो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में विगत 3 वर्षों में जो कुल बच्चे लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या 646 है। लेकिन जो विभाग की योजना है, उसके तहत हमने 95 विद्यार्थियों को उसका लाभ दिया है। उसमें हमने यह तय किया है कि उसकी क्या प्राथमिकता रहेगी। एक तो, वह यहां का मूल निवासी होना चाहिये, उसके परिवार की इनकम 2.5 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिये। उसमें एक परिवार के दो बच्चों को लाभांवित कर सकते हैं और जैसा मैंने कहा कि उसकी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है और हम मेरिट लिस्ट के आधार पर करते हैं। बस्तर संभाग में जो कॉलेज हैं वर्ष 2019-20 में शासकीय नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर में 6 अनुसूचित जाति के बच्चों को एडमिशन दिया गया और 21 अनुसूचित जनजाति के बच्चों को लिया गया। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति के 16, अनुसूचित जाति के 17 और वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के 13 और उस समय अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं मिल पाये। तो इस प्रकार से जो अलग-अलग कॉलेज हैं। आदेश्वर नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर में 5 बच्चों को एडमिशन दिया गया। बोधन देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जगदलपुर में 5 बच्चों को एडमिशन दिया गया। काईस्ट नर्सिंग कॉलेज, जगदलपुर में 3 लोगों को एडमिशन दिया गया। इस प्रकार से अगर देखें तो इस योजना का लाभ 95 लोगों को मिला, जो उसमें निर्धारित थे कि इनको एडमिशन दे सकते हैं उसके तहत हमने दिया। बाकी उसमें बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं।

प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की मंशा बहुत अच्छी है कि इन वर्गों के बच्चों को लाभ मिले। मगर विभाग की उदासीनता के कारण बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जगह हैदराबाद से लेकर अन्य जगहों पर प्राईवेट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेने जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना की समीक्षा बैठक की गई, यदि हां तो विगत 3 वर्षों में कब-कब समीक्षा बैठक की गई ? उस बैठक में क्या निर्देश दिये गये ? क्योंकि जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है उसमें तीन वित्तीय वर्ष में मात्र 95 बच्चों को एडमिशन दिया गया, जबकि उसमें शासन से 400 से अधिक बच्चों को एडमिशन देना है। यह बजट में भी प्रावधान किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने विगत 3 वर्षों में इस योजना की कब-कब समीक्षा की ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है कि हम पूरे प्रदेश में 400 लोगों को प्रवेश देते हैं चूंकि आपका बस्तर संभाग का प्रश्न था। बस्तर संभाग में विभागीय जो योजना है, उसके तहत हमने 95 लोगों को प्रवेश दिया है। बाकी अन्य जिलों में मिलता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी बराबर समीक्षा होती है। पहले जब यह योजना शुरू की गई थी उस समय 10 सीट थी, उसके बाद उसमें समीक्षा की गई और उसके बाद इसको बढ़ाकर 240 सीट किया गया। अब इसको पूरा बढ़ाकर, 400 सीट किया गया है तो इसमें बराबर समीक्षा चलती रहती है और हम भी चाहते हैं कि इसका लाभ आदिवासी बच्चों को मिले। इसमें हम लोग समीक्षा भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निर्णय भी लेते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के निर्धारित लक्ष्य अनुसार विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस हेतु योजना के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण समिति की समीक्षा आयोजित करेंगे क्या ? क्योंकि आपके उत्तर में भी वही बात आ गई है। आपने मात्र 95 लोगों को मौका दिया है, जबकि शासन से 400 से अधिक बच्चों को एडमिशन देना है। आपने उसके लिए शासन से राशि प्रावधान करके मांग की है उसके बाद भी उन बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोग भटक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन वर्गों के बच्चों को लाभ मिले क्योंकि पहले से ही सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की पोस्ट खाली रहती हैं तो अगर उस वर्ग के लोग ट्रेनिंग लेंगे तो उन बच्चों को उसका लाभ मिलेगा और नौकरियां भी मिलेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि उन वर्गों के बच्चों को लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। माननीय मंत्री जी, आप मरकाम जी को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सीधे राहुल गांधी जी के पास जाकर शिकायत करिये।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुन लीजिए। वह जैसा चाहते हैं आप वैसा कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :-मरकाम जी, आप सीधे राहुल गांधी जी के पास बताईये कि मैं विधान सभा में ऐसा-ऐसा करता हूँ, यह लोग कुछ नहीं करते। अभी सब हटा दिये जायेंगे और आप बन जाओगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मरकाम जी ने अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने आरोप नहीं लगाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके विभाग की उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को उदासीन कहा है। (शेम-शेम की आवाज)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 3 सालों का प्रश्न पूछा था।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। अब कह दीजिये कि वह जो कह रहे हैं, उनको बुलाकर..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 वर्षों में बस्तर संभाग में उसमें केवल 95 लोगों को प्रवेश दिया गया है और पूरे राज्य ...।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूँ कि उनको कक्ष में बुलाकर, संतुष्ट कर दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में चूंकि हर साल 400 बच्चों को प्रवेश दिया जाना है, लेकिन यह अलग-अलग जिलों में है। केवल बस्तर संभाग में नहीं है। यह अलग-अलग जिलों में है। बस्तर संभाग में इन योजनाओं का लाभ 95 लोगों को मिला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है मरकाम जी, अपने बड़े भाई को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मरकाम जी, इस सदन में भाषण दे देकर थक गये कि राम राज्य आ चुका है, राम राज्य आ चुका है और आप जब पूछ रहे हो तो पता चलता है कि यह तो राम राज्य नहीं है, यह तो कुछ और ही राज्य है। भाई, आप या तो इनको ठीक से संतुष्ट करिए नहीं तो यह जाकर राहुल गांधी जी से आपकी शिकायत करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि आप शिकायत करो। फिर आप समझ लेना।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा कर लेंगे। बात भी कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बात भी कर लीजिए, चाय भी पिलाईए। पूरी तरह संतुष्ट करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कक्ष में...।

अध्यक्ष महोदय :- कक्ष में। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्राम देवपुरी, रायपुर स्थित खसरा नं. 206/1 व 206/2 की भूमि में अतिक्रमण पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

3. (*क्र. 300) श्री ननकी राम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73, तहसील एवं जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206/1 व 206/2 का कुल कितना-कितना रकबा, किसके नाम से, किस प्रयोजन हेतु दर्ज हैं? क्या वर्तमान में उक्त भूमि पर अतिक्रमण है ? यदि हॉ, तो किनका-किनका एवं तद्संबंध में विगत एवं वर्तमान वर्ष में जून, 2022 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** क्या माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के याचिका क्रमांक डब्लू.पी.सी. 3077/2021, दिनांक 05 अगस्त, 2021 में उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है ? यदि हॉ तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? **(ग)** उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार रायपुर, ग्राम-देवपुरी के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 15 सितम्बर, 2021 पर क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति क्या है ? **(घ)** उक्त भूमि को अतिक्रमण से कब तक मुक्त करा लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73 तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.0570 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उदेसींग व तजउ एवं 107 काश्तकार वगैरह शामिलात चारागान लगान शामिल खुंटी एवं 206/2 रकबा 0.4250 हे. चैतराम व मनोहर, गौतराम, पवनबाई पिता मनोहर बाबा व गोपाल, सातोबाई व गोपाल, प्रेमदास व गोपाल प्रेमिन, केसर पिता गोपाल, शामिल खुटि शामिलात चारागान के नाम पर दर्ज है।उक्त भूमि पर श्री गुरूसिंग सभा, गुरूद्वारा लंगर हाल, गुरू अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर 1.717 हे. भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसके संबंध में समय-समय पर लगभग 20 शिकायतें भी प्राप्त हुई थी जिसके उपरांत आवेदित भूमि पर किये गए अतिक्रमण के सबंध में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए राजस्व प्रकरण क्रमांक 202109113700087/अ-68/वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 के अनुसार कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

(ख) जी हां। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई उपरांत अनुविभागीय अधिकारी रा. रायपुर के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है, कि ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73 स्थितभूमि खसरा नंबर 206/1, 206/2 के भाग 1.717 हे. भूमि पर श्री गुरूसिंह सभा गुरूद्वारा लंगर हॉल, गुरू अमरदास श्री हॉस्पिटल, गुरू अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के मामले की जांच के लिये गठित कमेटी को

कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक आहुत की गयी है। **(ग)** राजस्व प्रकरण क्रमांक 202109113700087/अ-68/वर्ष 2020-21 में प्रतिवेदन दिनांक 06.12.2021 को प्रतिवेदित किया जा चुका है उक्त के संबंध में कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति की बैठक 22.07.2022 को आहुत की गयी हैं। **(घ)** उपरोक्त भूमि पर किये गए धार्मिक सरंचनाओं के रूप में अतिक्रमण के संबंध में निर्णय लिये जाने कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति की बैठक 22.07.2022 को आहुत की गयी है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर अतिक्रमण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देवपुरी के खसरा नंबर 206/1 के संबंध में प्रश्न पूछा था।

अध्यक्ष महोदय :- महराज, आप रायपुर कहां पहुंच गए। कोरबा जिले के आदमी रायपुर में क्या कर रहे हैं, इसके लिए तो बृजमोहन ही काफी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रदेश के लिए है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं सबसे सीनियर हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप तो हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- इसलिए जरूरी है, मेरे पास लोग आते हैं। काम करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी-जी।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 206/1 खसरा नंबर है। उसमें कितना बटांकन हुआ है ? कब-कब और किसके-किसके नाम पर दर्ज हुआ है ? अधिकार अभिलेख बना हुआ है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे जहां तक ज्ञात है, आप भी कभी राजस्व मंत्री हुआ करते थे।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में इतनी गड़बड़ी होती नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय :- आप राजस्व मंत्री थे न। वे आपके जिले के राजस्व मंत्री हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- बिल्कुल। साहब, मैं संसदीय सचिव था।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी है। आप राजस्व विभाग देखे हैं। आज आपके जिले का मंत्री देख रहा है। दोनों एक दूसरे से मिलकर घर में समझ लेते।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, घर में तो समझ लेंगे। मैं मंत्री जी को जो समझाता हूं, वे समझते नहीं हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, क्या है, कोरबा का मामला है, वे समझ लेंगे लेकिन यह प्रदेश का मामला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रदेश के मामले में आप संतुष्ट कर दीजिए। कल इसमें काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, इसमें काफी विस्तृत से जवाब दिया गया है। इसमें पूरी जानकारी है। इसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया है। उसमें जिला स्तरीय समिति बनाई गयी है। जिला स्तरीय समिति की बैठक अभी दिनांक 22.07.2022 को हुई है। उसमें जो कार्रवाई हुई है, आप कहें तो मैं बता देता हूं। इसके बाद जो निर्णय आएगा, उसके बाद माननीय सदस्य को बता दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप बताईए सर। आप इतनी जल्दी संतुष्ट हो गए।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है। कितना बटांकन हुआ है, किसके-किसके नाम से उसी खसरा नंबर में ऋण पुस्तिका बनी है और वह क्यों बनी ? आखिर कहीं न कहीं अधिकार मिलता है तो संशोधन होता है, संशोधन के बाद ऋण पुस्तिका बनती है। माननीय मंत्री जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कितना बटांकन हुआ है, कितने लोगों का नाम दर्ज हुआ है ? नाम कैसे दर्ज हुआ ? जब वह शासकीय जमीन है तो नाम कैसे दर्ज हुआ ? किसी न किसी ने गड़बड़ की होगी और गड़बड़ करने का आपके विभाग का सिद्ध अधिकार है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप तो राजस्व मंत्री रहे हैं। यह अभी का मामला नहीं है।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं बतला रहा हूं, कोरबा का कई केस बता सकता हूं जिसमें नक्शा बदल दिया जाता है। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर कोई नक्शा बदला है तो आप बता दीजिए। उसकी जांच करायेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- बता तो रहा हूं। आप महावीर का नोट कर लीजिए और कोई अधिकारी हैं तो बता दीजिए। मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने नक्शा ही बदल दिया।

अध्यक्ष महोदय :- कहां का ?

श्री ननकीराम कंवर :- साहब, कोरबा का, जहां ये रहते हैं। जहां से चुनाव जीतते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कोरबा में तो चार विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र का है।

श्री ननकीराम कंवर :- कोरबा खास का है।

अध्यक्ष महोदय :- कोरबा खास।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले भी प्रश्न लगा चुके हैं। जब वह जमीन ऍलाटमेंट हुआ है, इन्होंने ही ऍलाट कराया है। उस समय यह भागीदार थे। बाद में इनका विवाद हो गया। वे उस चीज को बोल रहे हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- जब जवाब नहीं दोगे तो प्रश्न तो लगेगा ही।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप इनको बाद में जानकारी दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, मेरा उत्तर तो आ जाए। कितने लोगों का नामांतरण हुआ है, उस खसरा नंबर में कितना बटांकन हुआ है ? बहुत साधारण सा प्रश्न है। जब नामांतरण होगा तो नामांतरण पंजी भी होगा। अब यह देखे नहीं होंगे तो अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय :- अगर बटांकन की जानकारी है तो आप इनको उत्तर दे दीजिए, नहीं तो बाद में दे दीजिएगा। अलग बात है। यह प्रश्न काफी लंबा हो जाएगा।

श्री ननकीराम कंवर :- साहब, बहुत छोटा प्रश्न है। उस खसरा नंबर में कितने लोगों का नामांतरण हुआ है ? नामांतरण क्यों हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- उस खसरा नंबर का बता दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण से संबंधित प्रश्न है। यह सरकारी जमीन घोषित हो चुकी है। इसमें हाईकोर्ट का भी निर्णय है। इसीलिए मैंने बताया कि जो जमीन है, जहां सार्वजनिक स्थल या धार्मिक स्थल होता है, वहां के लिए जिला में कमेटी गठित की गयी है। उस कमेटी की मीटिंग अभी दिनांक 22.07.2022 को हुई है। मैं उस मीटिंग की कार्रवाई विवरण बता सकता हूं। जो भी उसका निर्णय आएगा इनको बता दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री ननकीराम कंवर :- साहब, मैने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आ ही नहीं रहा है। कितना बटांकन हुआ, बटांकन के बाद में दूसरे का नाम चढ़ गया, नाम कैसे चढ़ा ? किसी न किसी ने कहीं न कहीं गड़बड़ी की है और अगर आपके पास में है तो बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो उनके पास अभी नहीं है इसलिये वे बाद में बता देंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजिये न कि मैं बाद में बता दूंगा ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ऐसे ही कुछ मिल-जुलकर चला करिये । प्रश्न क्रमांक-4, श्री अजय चंद्राकर जी ।

<u>शिक्षक भर्ती एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु कृत कार्यवाही</u>

[स्कूल शिक्षा]

4. (*क्र. 42) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) 14580 व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 10(क्र 613) दिनांक 14 मार्च 2022 में शिक्षक संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाधीन बतायी

गयी थी, तो दिनांक 30.06.2022 की स्थिति में किन-किन संवर्गो की कितनी-कितनी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है व शेष की कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? (ख) उक्त भर्ती के संबंध में शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संवर्ग का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन था, क्याे 30.06.2022 की स्थिति में सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां तो कितने का शेष का कब तक कर लिए जायेंगे? (ग) उक्त भर्ती प्रक्रिया में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी थी और कितने फर्जी नियुक्ति का प्रकरण दर्ज किये गये है और इससे संबंधित कितने शासकीय कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नातधीन अवधि में व्याख्याता- 2642, शिक्षक- 3473 एवं सहायक शिक्षक- 4326 पदों पर भर्ती कर नियुक्ति प्रदान कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रियाधीन है, समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ख) जी नहीं। भर्ती प्रक्रियाधीन है, समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें आपका थोड़ा सा संरक्षण चाहिए क्योंकि इस प्रश्न को मैं जिस दिन से सरकार से निर्णय लिया उस दिन से पूछता हूं और इस बार उत्तर में ऐसा हुआ कि मेरे प्रश्न को संशोधित कर दिया गया है और मुझसे बिना पूछे संशोधित कर दिया गया है यानी प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम-निर्देश कब-कब बनाये गये हैं तथा इसके भविष्य सुरक्षा सुविधाओं के लिये क्या कोई नीति या कार्ययोजना बनायी जा रही है ? यदि हां तो वह योजना कौन सी है ? इसके संशोधन के लिये लंबा है, छोटा है, जो 36 नियम हैं, वह मेरे पास कभी नहीं आये । इसको संशोधन कर दिया गया, चलिये अब संशोधन कर दिया गया कोई बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन तो सचिवालय ने किया होगा, उन्होंने थोड़ी किया होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, सचिवालय तो हमारे पास भेजता है । हमने दो प्रश्न भेजे, कारण बताया उस कारण को दूर करके संशोधित करके भेजा । सचिवालय हमारे पास भेजता है कि इन कारणों से संशोधित होगा या ज्यादा है, लंबा है, नीतिगत है ।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे तो आपका हर एक प्रश्न लंबा रहता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको कुछ जानकारी देकर पूछूंगा । दिनांक 23 मार्च, 2021 को जिन-जिन वर्गों की नियुक्ति का आदेश हुआ है 1485 का तो 2071 लोगों की भर्ती हुई । हर बार यह कहा गया कि समय-सीमा में बताना संभव नहीं है फिर दिनांक 30 जुलाई, 2021 को मैंने प्रश्न किया तो वह संख्या 83 तक पहुंची 2683 यानी 71 से 83 मतलब विभाग ने 8 लोगों का सत्यापन 5 महीने में किया फिर मैंने दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रश्न किया तो बोले कि 7571 की भर्ती हुई । अब दिनांक 26 जुलाई, 2022 यानी चौथी बार मैं इस प्रश्न को कर रहा हूं तब 10,441 की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भर्ती हुई है और पूरे की समय-सीमा बताना संभव नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सत्यापन की प्रक्रिया क्या है ? क्या-क्या पेपर लगते हैं ? कौन स्तर का अधिकारी इसको करता है और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट मंत्री जी का प्रश्न है । इसमें जो व्याख्याता हैं, व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर होता है, डी.पी.आई. के स्तर पर होता है । शिक्षक का सत्यापन संभागीय स्तर पर होता है जो संयुक्त संचालक शिक्षक होते हैं और सहायक शिक्षक का सत्यापन जिला स्तर पर होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा ही नहीं है । मैंने तो दूसरा प्रश्न पूछा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, आपने तो यही पूछा न कि इसका सत्यापन कहां से करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि सत्यापन में क्या-क्या पेपर लगते हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं आपको वही तो बता रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं न, आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं? छत्तीसगढ़ का बहुत कल्याण कर रहे हैं और सी.एस. साहब बैठे हैं और आपके विद्वान शिक्षा सचिव बैठे हैं, मैं इसको मसूरी में आई.ए.एस. एकेडमी में लिखूंगा कि बेस्ट लर्निंग में यह है करके, बेस्ट लर्निंग । यहां आकर इसका अध्ययन किया जाये और आपके विभाग की, छत्तीसगढ़ की इस हरकत को लोगों को पढ़ाया जाये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह तो एकदम अनुचित बात हो गयी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल उचित बात है । आप छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिये...।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप यहां बैठकर अधिकारियों के लिये क्या बोल रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैंने अधिकारियों के लिये नहीं बोला । मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बता रहा हूं कि मैं एकेडमी में ऐसा लिखूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लिखने के लिये स्वतंत्र हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको अचानक इतना दर्द कैसे हो गया ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इनका लाईन-लेंथ बिगड़ा हुआ है । चंद्राकर जी का लाईन-लेंथ बिगड़ा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप और खड़ा करवा लो । मैं आपको कल बताउंगा, आज नहीं बताता ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- लगता है कि घर से लड़ाई करके आये हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको कल अच्छे से बताउंगा । आपको कल बताउंगा।

श्री अमरजीत भगत :- कल तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, पूरी तैयारी में हैं । बता देंगे उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आज रात को अच्छे से सोना ।

श्री अमरजीत भगत :- कल मैदान में आओ तो ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आपका ध्यानाकर्षण क्रमांक...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बताईये, हम लोग पूरी तैयारी में हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- कल मैदान में आओ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं । माननीय अमरजीत भगत जी के साथ एक बड़ी विशेषता है कि वे अपने विभाग भर में नहीं बोल पाते हैं, वे दूसरे के विभाग में बहुत होशियार हैं । वे भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी वाले हैं । मैंने यह पूछा है कि सत्यापन के लिये क्या-क्या पेपर लगते हैं और एक पेपर के सत्यापन के लिए कितनी अवधि लगती है? इसके देरी के कारण क्या हैं और कब तक हो पायेगा या नहीं हो पायेगा, मैंने यह पूछा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि व्याख्याता के दस्तावेज का सत्यापन राज्य सरकार के स्तर पर होता है और शिक्षक के दस्तावेजों का सत्यापन संभागीय स्तर पर होता है।

अध्यक्ष महोदय :- राज्य स्तर पर होता है। संभागीय स्तर पर होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दस्तावेज बताइए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अब आपने इतना लंबा प्रश्न पूछा है तो आप सुनेंगे नहीं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- दस्तावेज बताओ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हां, बता रहा हूं न।

श्री अमरजीत भगत :- अजय चन्द्राकर जी के लिए इससे अच्छा जवाब और कुछ हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये इस बात को पहली बार भी बोल चुके हैं, जिसे ये दोहरा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सत्यापन में क्या-क्या लगता है, ये पूछ रहे हैं न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरी बात को सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या-क्या पेपर लगता है। एक सत्यापन में कितनी अवधि लगती है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, ये उसी-उसी प्रश्न को क्यों पूछते हैं? नया प्रश्न पूछिए तो दूसरा उत्तर आयेगा। पुराना ही पूछेंगे तो पुराना ही बतायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, सत्यापन कितनी अवधि लगती है? अभी तक कितने दिन में सत्यापन हो जायेगा? देरी के कारण क्या हैं? उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या? मैंने एक प्रश्न में यह पूछा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा व्यापमं परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम में एवं उनके द्वारा दिये गये जिले अथवा संभाग में चयनित प्राथमिकता, आरक्षण रोस्टर, पदों की संख्या के आधार पर चिप्स के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, उसके माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को पत्र जारी किया जाता है और दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों को संबंधित जिला अथवा संभाग के नियोक्ता अधिकारी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो यह पूछा ही नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं बता तो रहा हूं जो पूरी प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय :- वे पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप प्रक्रिया पूछ रहे हैं तो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- जब तक पूरा समझ में नहीं आयेगा, डिटेल से बताना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- ये पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- और नियत तिथि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले पात्र-अपात्र और अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अगले चरण उसे बुलाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं? आप दस्तावेज की जानकारी दीजिए न। आपसे दस्तावेज पूछ रहे हैं तो आप दस्तावेज की जानकारी दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बता रहे हैं न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- प्रकिया पूछा है। क्या प्रक्रिया होती है? आप सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर प्रश्न दोहरा देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बात को सुनिए न। आपने प्रक्रिया पूछा है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उन्होंने प्रक्रिया पूछा है। क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं, उसके मार्कशीट लगते हैं। जाति-प्रमाण पत्र लगते हैं और जो भी अनिवार्य दस्तावेज होते हैं, वह पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- कितने दिन लगते हैं, यह भी बता दीजिए। प्रक्रिया में कितना समय लगता है, यह भी बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें समय लगता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप कितना समय लगता है, यह बता दीजिए। वे समझ जायेंगे। बस वे बैठ जायेंगे। वे इतने में संतुष्ट हो जायेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप संतुष्ट करिए न।

श्री अमरजीत भगत :- इतने पेज का है। जब तक उसे पढ़ेगे नहीं, उन्हें समझ में नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज आखिरी दिन है। जरा प्रश्न आने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा इसी विषय पर प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो सहायक शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन का पहला चरण मार्च, 2021 में हुआ और दूसरा चरण जनवरी, 2022 में हुआ, तीसरा चरण मार्च, 2022 और चौथा चरण मई, 2022 में हुआ और पांचवां चरण जून, 2022 में और छठवां चरण जुलाई, 2022 में। शिक्षकों का जो दस्तावेज सत्यापन हुआ, पहला चरण जनवरी, 2021 में हुआ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा ही नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने पूछा है न कि समय कितना लगता है?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न मत पूछिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने जो पूछना चाहता हूं, वह तो ये बता ही नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए।

श्री अमरजीत भगत :- अगर जवाब नहीं सुनना चाहे तो बहुत ही आश्चर्य की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जो पूछ रहा हूं, उसका उत्तर मिलना चाहिए न।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब से संतुष्ट हो जाओ। आप अपने प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट हो जाओ। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- 5 पन्ना पढ़ना है। अभी तो थोड़ा सा ही पढ़े हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सबका पूछा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जो पूछ रहा हूं, अगर वे उसे बता दें तो मैं संतुष्ट हो जाउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हो जाएं।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैं जबर्दस्ती संतुष्ट क्यों हो जाउं?

अध्यक्ष महोदय :- जो जाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- जबर्दस्ती हो जाउं?

अध्यक्ष महोदय :- मेरे कहने से हो जाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके कहने से संतुष्ट हो जाता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी दो बात सुन लीजिए।

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। आपने मुझे कुछ कहा है, उस निर्देश को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न और उत्तर से दुखी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, इसलिए संतुष्ट हो जाओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को 1485 लोगों को 3 साल से चयन कर लिया गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में है, मैं बता देता हूं। 2671 लोगों का सत्यापन 23 मार्च को प्रश्न में है और 30 जुलाई तक 838 लोगों का सत्यापन इस विभाग ने किया है। मुझे ऐसे में रोना आता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ को मजाक बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे कुछ कहिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए मैं नहीं पूछता हूं। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि यह छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में ये बात मत करें। इन्हें बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं नहीं पूछता। मैं संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, सुनिए न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा-पूरा बता रहा था..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं नहीं पूछ रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो आपने पूछा उसे आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं नहीं पूछ रहा हूं । मैं पूछ नहीं रहा हूं । मुझे आपका उत्तर नहीं चाहिए । (व्यवधान) मुझे जबरदस्ती उत्तर नहीं चाहिए । मैंने अपना प्रश्न वापस ले लिया ।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आप उत्तर लीजिए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपको सुनना पड़ेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अध्यक्ष जी की बात मान ली, मुझे नहीं चाहिए उत्तर ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आपने प्रश्न किया है तो हम आपको पूरा उत्तर देंगे । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा तो मैंने वापस ले लिया ना ।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, वे आपसे संतुष्ट हो गए हैं । आप बैठिये वे कह रहे हैं कि वे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- वे संतुष्ट हो गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती क्यों सुनना, जब आपने व्यवस्था दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये ना तो ।

श्री अमरजीत भगत :- अभी तो दो पेज का उत्तर और बाकी है, अध्यक्ष महोदय। जब तक ये संतुष्ट न हो जाएं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आज भी प्रदेश में पौने तीन साल से लगातार यह बात कही जा रही है कि 14580 शिक्षकों की भर्ती हो गई और आज भी प्रदेश में 3139 शिक्षकों की भर्ती बाकी है । कहीं कोई काम की समय सीमा होती है या नहीं होती है, केवल झूठा श्रेय लेते हो । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी और भर्ती करेंगे, आपने तो कुछ किया नहीं । आपने 15 सालों में एक भी भर्ती नहीं की है, अभी हमने भर्ती की है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- संघीय व्यवस्था के अनुरूप यदि बजट दे दिया जाएगा तो सब काम काम होगा । संघीय व्यवस्था का पालन करो और हम सबका बजट दे दो, सब काम होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका आंकड़ा रोज बदल जाता है । रोज आंकड़े मत बदला करो और एक बार याद करके लिखा करो । एक बार जो लिखो, उसी आंकड़े को सब जगह लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 22 किलोमीटर, कहीं 24 किलोमीटर, कहीं 15 मिलोमीटर ऐसा मत लिखना ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोज़गारों का सवाल है आप अपने विभाग को कह दीजिए कि एक समय सीमा सुनिश्चित करें और उसके अंतर्गत कार्यवाही करें, बात ख़त्म हो गई । (मेजो की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं इस पर आपसे अनुमति लेकर निजी आरोप लगाऊंगा, आप अनुमति दीजिएगा ।

<u>विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत अतिजर्जर एवं भवन-विहीन स्कूल</u>

[स्कूल शिक्षा]

5. (*क्र. 222) श्री गुलाब कमरो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत अतिजर्जर स्कूलों एवं भवन-विहीन स्कूलों की संख्या कितनी है, सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** उक्त अतिजर्जर स्कूलों एवं भवन-विहीन स्कूलों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** उक्त अतिजर्जर स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के बैठने हेतु शिक्षा सत्र 2022-23 के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? **(घ)** उक्त अतिजर्जर स्कूलों एवं भवन-विहीन स्कूलों का निर्माण/मरम्मत कब तक की जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत 53 शालाएं अतिजर्जर एवं 34 शालाएं भवन-विहीन है, सूची सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथासंभव व्यवस्था की जाती

है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] के कॉलम क्रमांक-4 पर दर्शित है। **(घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्कूलों से संबंधित जानकारी मांगा था । माननीय मंत्री जी की ओर से जानकारी मिल गई है । सवाल तो करना नहीं चाहता क्योंकि ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलो ना कि मंत्री जी ने संतुष्ट कर दिया है ।

श्री गुलाब कमरो :- जी हां, मैं संतुष्ट हूं । केवल एक मांग है कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि बच्चों सुविधा मिल सके ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सब संतुष्ट हो गए हैं साहब । पूरे 71 संतुष्ट हैं जबरदस्ती काहे को असंतुष्ट पैदा कर रहे हो ?

प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा

[सहकारिता]

6. (*क्र. 698) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधीनस्थ राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के धान उपार्जन केन्द्रों का वर्ष 2014.15 से 2020 तक धान उपार्जन केन्द्र अनुसार धान मिलान पश्चात एवं समस्त प्रकार की कटौती किए जाने के पश्चात कितना शुद्ध भुगतान योग्य राशि की पात्रता थी और कितनी-कितनी राशि उपार्जन केन्द्र व समितियों को प्रदान की गई? **(ख)** क्या धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा कराने का प्रावधान है? यदि है, तो क्या धान उपार्जन केन्द्रों पर पूर्व में मौजूद प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त धान का बीमा क्लेम किया गया अथवा नहीं किया गया? कब-कब और कौन-कौन धान उपार्जन केन्द्रों का कितना-कितना क्लेम/दावा बीमा कंपनी से प्राप्त हुआ? यदि नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(**क) राजनांदगांव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधीनस्थ राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के धान उपार्जन केन्द्रों का खरीफ वर्ष **2014-15** से **2020-2021** तक धान उपार्जन केन्द्र अनुसार कटौती पश्चात भुगतान योग्य राशि **117.66** करोड़ का भुगतान समितियों को किया गया। **(**ख) जी नहीं**,** धान उपार्जन नीति अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा कराने का प्रावधान नहीं है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता।

---

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की धान खरीदी नीति से जहां एक तरफ किसान परेशान हैं, वही प्रदेश की सहकारी समितियां डूब रही हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछले वर्ष कवर्धा की सहकारी समितियों के 400 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा । माननीय अकबर साहब का क्षेत्र है और कर्मचारियों द्वारा इस्तीफा देने का कारण यह था कि उनको सूखत की राशि नहीं मिली थी, धान का जो नुकसान हुआ उसकी राशि नहीं मिली थी, कुल मिलाकर किसान लूटा जा रहा है एक महीने देरी से धान खरीदी होने से, किसान लूटा जा रहा है देरी से पेमेंट मिलने से, किसान लूटा जा रहा है कम पेमेंट से और सहकारी समितियां डूब रही हैं, आपके विभाग की लापरवाही से । मैंने आपसे एक प्रश्न किया था राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में उपार्जन केन्द्रों को कटौती के पश्चात् कितनी राशि दी ? आपने उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आप इधर देखें । ये प्रश्न कर रहे हैं तो आप मेरी तरफ देखते रहें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है 117.66 करोड़ रूपए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 117.66 करोड़ रूपए का भुगतान आपने लिखा है कि कटौती के पश्चात् । इसमें किस-किस मद में कितनी कटौती की, यह जानकारी दे दें ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में आपने 2014-15 से 2020 तक पूछा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 2014-15 से 2020-21 तक ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- 2014-15 से 2020-21 तक ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के बाद जो प्रासंगिक व्यय 9 रूपए, सुरक्षा व्यय 3 रूपए, 32 रूपया पतले धान में और इसके बाद जो कटौती होती है जी.एस.टी. 5 से 18 प्रतिशत और बारदाना शेष रह जाती है तो उसकी कटौती होती है। समिति की जो कमीशन होती है, उसमें 5 प्रतिशत टी.डी.एस. कटौती होती है और किसानों का जो पी.डी.एस. रहता है, उसमें जी.एस.टी. 2 प्रतिशत कटती होती है तथा पहले से जो लेनदारी है, उसमें भी हम कटौती करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी कटौती हुई है, वह धान के सूखत की एवं बारिश के कारण जो धान खराब हुआ है, उस धान के नुकसानी की कटौती हुई। नियम यह है कि सहकारी समितियों के द्वारा जो धान उपार्जित किया जाता है, वह धान 72 घंटे के अंदर उठ जाना चाहिये। शासन ने समय-सीमा में परिवहन का आदेश नहीं दिया, उसके चलते सहकारी समितियों को नुकसान हुआ। असमय बारिश हुई, उसके कारण सहकारी समितियों को नुकसान हुआ और उसका दुष्परिणाम सरकार के बजाय उन सहकारी समितियों को भोगना पड़ रहा है। सहकारी सिमतियों को जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राशि 500 करोड़ रूपये से ऊपर मिलनी चाहिये थी, वह उनको कट कर केवल 117 करोड़ रूपये मिली। मैंने अपने प्रश्न में माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि क्या धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा कराने का प्रावधान है? यदि है तो धान उपार्जन केन्द्रों पर पूर्व में मौजूद प्राकृतिक आपदा पर क्षतिग्रस्त धान का क्लेम किया गया अथवा नहीं किया? मंत्री जी का जवाब आ गया, जी नहीं। धान उपार्जन नीति के अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा कराने का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरे पास में आपकी अनुबंध की कापी है। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं पटल पर रखने को तैयार हूं?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उसको पटल पर रख दीजिये, लेकिन आप सीधा-सीधा यह बातईये कि क्या बीमा कराने का प्रावधान है या नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि बीमा कराने का प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आपके के पास बीमा कराने का कोई सबूत है?

श्री शिवरतन शर्मा :- जी, मेरे पास बीमा कराने का प्रमाण है। मेरे पास में उनके अनुबंध की कापी है।

अध्यक्ष महोदय :- किसकी अनुबंध की कापी?

श्री शिवरतन शर्मा :- विपणन संघ का जिला सहाकारी बैंक के साथ जो अनुबंध हुई है, उसकी अनुबंध की कापी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी बोल रहे हैं कि बीमा कराने का प्रावधान नहीं है। शर्मा जी, आपके पास कोई प्रमाण है तो बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह करार की कापी है, जिसमें जिला सहकारी बैंकों के साथ उपार्जन केन्द्रों का अनुबंध कराया जाना चाहिये था। आपको गलत जानकारी दी गई कि अनुबंध का प्रावधान नहीं है। पहला, आप गलत जानकारी देने वालों अधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरा, यह बीमा नहीं कराये जाने के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई सहकारी समिति क्यों करें? क्या आप जिला सहकारी बैंक के ऊपर इस नुकसान का क्लेम करेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो पहला प्रश्न था कि जो सहकारी समिति घाटे में हैं, उनकी नुकसान का भरपाई कैसे करेंगे? जो समितियाँ घाटे में हैं, हमने पिछली बार निर्णय लिया कि उसमें 3 प्रतिशत सूखत अलाऊ करते हुए जो समितियाँ घाटे में चल रही है, उनको हमने उबारने का काम किया। उसमें जो लगभग 3 प्रतिशत सूखत होगी, उसको नुकसान मानकर उनको सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा होता है या नहीं है? मैंने उत्तर दिया कि धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा नहीं होता है। वहां रखे धान का, वहां रखे बोरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का, वहां जो आदमी कार्यरत रहते हैं, उनका बीमा होता है ना कि संग्रहण केन्द्रों या खरीदी केन्द्रों का बीमा होता है। वहां जो धान एवं जो बोरी रखी रहती है, उसका बीमा होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, टेक्निकल शब्द में माननीय मंत्री जी घुमाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, पहली बार मंत्री जी ने आपको पकड़ लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिये। मैंने बहुत सीधा प्रश्न किया कि क्या धान उपार्जन केन्द्रों का बीमा होता है? उपार्जन केन्द्रों के बीमा से सीधा-सीधा तात्पर्य यह है कि जहां धान रखा जाता है, उस धान का बीमा होता है क्या? मंत्री जी कह रहे हैं कि उपार्जन केन्द्रों का बीमा नहीं होता है। यह जो अनुबंध की कापी है, इसमें लिखा है कि प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना से धान की गुणवत्ता ..।

अध्यक्ष महोदय :- उपार्जन केन्द्रों का बीमा नहीं होता है, उसमें रखे हुए धान और बोरी का बीमा होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी मुझको टेक्नीकल शब्दों से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी तो वह बात बता दिया, अब आगे प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि बैंक वालों ने उपार्जन केन्द्र में रखे धान का बीमा नहीं कराया तो नहीं नहीं कराने के लिए किसी को दोषी ठहराकर दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, आप जरा यह बता दें?

अध्यक्ष महोदय :- आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जरा यह बता दीजिए कि किसी को दोषी ठहरा कर क्या आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जिन चीजों का बीमा होता है और बाइ द वे आपके अधिकारियों ने उनका बीमा नहीं कराया तो आप ऐसे अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि वहां रखे धान का और वहां रखी बोरी का और वहां काम करने वाले कर्मचारी का बीमा होता है और इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें 3-4 प्रश्न पूछ चुके हैं। अब आप ऐसा मत कीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि वहां रखे धान का बीमा होता है तो माननीय मंत्री जी मुझे यह बता दें कि यदि वहां रखे धान का बीमा होता है तो जो धान का नुकसान हुआ है और मेरा प्रश्न वर्ष 2014 से वर्ष 2020-2021 तक के धान का है उसमें बीमा कंपनी को कितना क्लेम किया गया और कितने क्लेम की राशि प्राप्त हुई और बीमा कंपनी में क्लेम कब-कब दर्ज कराया गया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बीमा की शर्तें दी गई हैं कि किसमें-किसमें बीमा होता है। यदि धान में आग लग गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या बाढ़ आ गया तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं है कि यहां कहीं बाढ़ आता हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, पानी गिरना भी तो प्राकृतिक आपदा में आता है। पानी गिरने से जो बाढ़ आता है वह भी तो एक प्राकृतिक आपदा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर खोजने दीजिए, तब तक इनको प्रश्न पूछने दीजिए। इनका प्रश्न आने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सहकारी समितियां सरकार के चलते डूब गईं। किसान परेशान है। सहकारी आंदोलन समाप्त होने की कगार पर है। आप केवल एक राजनीतिक अपॉइन्टमेन्ट करने का काम कर रहे हैं और आप सहकारी समितियों की चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके चलते पूरा सहकारिता आंदोलन खत्म हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों की जितना चिंता हम लोगों ने की है उतनी चिंता आप लोगों ने नहीं की है। यह काफी पुराना मुद्दा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, आपने सहकारी समितियों की क्या चिंता की है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हम लोगों ने उन सहकारी समितियों को उबारने का काम किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि 400 कर्मचारी इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाए तो क्या इससे बड़ी शर्मनाक घटना और कोई हो सकती है?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बीमा होता है उसमें तूफान, बवन्डर, चक्रवात, आंधी और भूकम्प का बीमा होता है जबकि छत्तीसगढ़ तो इतना सुरक्षित जगह है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि बारिश से धान को नुकसान होता है तो क्या वह प्राकृति आपदा के अंतर्गत नहीं आएगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा एक तारांकित प्रश्न है। आज मेरे एक तारांकित प्रश्न में कितने लैम्पस हैं और कितने घाटे में हैं उसमें वह सब बताया गया है। इन्हीं के कारणों से लैम्पस और... बर्बाद हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे विद्वान मंत्री जी घाटे में हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत सिंह। आप अपनी बात कहें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि...। मैं इतने दिन से यहां बैठकर रोज धान का प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- महासमुंद की 130 सोसायटियों में से 100 सोसायटियां घाटे में हैं। मैं केवल एक ही जिले का बता रहा हूं। माननीय मोहम्मद अकबर जी, आप सहकारिता के पुरोधा हैं। ठा. प्यारेलाल सिंह जी के बाद आप ही हैं जो कॉर्पोरेटिव के बारे में जानते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर जी, आपके जिले में 400 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था।

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का विस्तार हो रहा है। पहले धान खरीदी के 1333 केन्द्र थे और जब 2058 केन्द्र हो गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- केन्द्र का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप पहले सुन तो लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो समिति घाटे में हैं और लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो लगभग 250 करोड़ रूपये का वन टाईम सेटलमेण्ट के हिसाब से सारी समितियों को राशि दी गई है। पहले आप इसके बारे में पता कर लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीमा कराया जाना चाहिए, उसको तो आप नहीं करा रहे हों। वह क्लेम क्यों नही ले रहे हों ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- एक जिले में 130 में से 100 सोसायटी घाटे में हैं और उसमें से एक की भी क्षतिपूर्ति नहीं हुई। आप महासमुंद चले जाइये क्योंकि ठा. प्यारेलाल सिंह जी के बाद छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेटिव के पुरोधा आप ही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्यारे श्यम जी शर्मा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां-हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले इसी 14.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के बारे में का प्रश्न था। माननीय मंत्री जी, जो कि पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि यह हाईकोर्ट का मामला है और दूसरे मंत्री जी यह बता रहे हैं कि बीमा कैसे होगा, आग लगने से क्या-क्या होगा ? पहले तो आप यह बता दीजिए कि इस धान खरीदी का मालिक कौन है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप रूकिये तो, पहले मुझे अपनी पूरी बात को कहने दीजिए, उसके बाद आप कुछ कहना।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो माननीय धर्मजीत भैय्या जब मेरे नाम का उल्लेख किये हैं तो मेरा थोड़ा-सा खड़ा होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप खड़े हो जाइये, पहले इनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, आप दो मिनट बाद खड़े हो जाइये। अभी तो मैं अपनी बात पूछ ही नहीं पाया हूं और आप आधे बीच में ही खड़े हो गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अब मैं थोड़ा-सा विस्तार से बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यदि आप इनकी आधी-अधूरी बात में ही खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बैठ तो जाइये। पहले मैं अपना प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद आप बोल लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ओरिजनल मालिक आप हैं या मंत्री जी हैं ? यह समझ में ही नहीं आता है कि किसी का जवाब यह देते हैं तो किसी का जवाब वह देते हैं। इस धान खरीदी का मालिक कौन है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हमारी सरकार ओरिजनल मालिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत जी का मालूम है कि वह सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सरकार-वरकार मत बताइये। आप मुझे विभाग बताइये।

श्री नारायण चंदेल :- धर्मजीत जी, यह ओरिजनल मालिक हैं और यह लोग गद्दीदार हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा। अध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूं...। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय धर्मजीत भैय्या, क्या यह भी कोई पूछने की बात है कि जब किसान उत्पादन करता है तो वहां तक इधर और जैसे ही वह धान सोसायटी गया तो उधर और वह धान कस्टम मिलिंग के लिये गया तो उधर। तो आप सब समझ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं यही तो पूछ रहा हूं कि सोसायटियों में सड़े-गने धान का जवाब वह उपार्जन वाले क्यों देते हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- मैं वही बात तो आपको बताया हूं कि वह गद्दीदार हैं और ओरिजनल मालिक इधर हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- इधर, इधर, इधर। आप उधर बारदाने का पूछना और सोसायटियों के बारे में पूछिये।

श्री सौरभ सिंह :- गद्दीदार लोग मिलावट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आप 3 पेटी रखे हैं। आप 3 पेटी रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप एक बात और बता दीजिए कि सोसायटी के...। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, जब मैं यह पूछा कि सोसायटी के केन्द्र में धान सड़ गया तो उपार्जन वाला जवाब दिया। वह तो हम समझ गये कि आप पैदावार कराते हैं। इनके सब डी.एम.ओ. पूरा आखिरी तक का कर्मकाण्ड वही करते हैं और उसके बाद फिर आप जवाब देते हैं तो आप किसी एक को जिम्मेदार बताइये। इन 6 लोगों ने कौन पूछेगा ? उनसे पूछो तो वे इधर भेज देते हैं, वे वाला उधर भेज देते हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- धर्मजीत जी, गद्दीदार लोग मिलावट करते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आप यह तय कर दीजिए कि धान खरीदी का प्रश्न हम किससे पूछें, जो सब जवाब दे दे ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए, हम इस बारे में कहेंगे कि इसको देखिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उत्पादन होगा तो कृषि मंत्री देखेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो समझ गए । आप उसको नकल मत करो न । आप अपना बताओ न ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- खरीदी में जब समिति रहेगी तो उसका जवाब मैं दूंगा । समिति से सोसायटी के लिए निकलेगा, उसका जवाब अमरजीत जी देंगे (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप जिनसे उत्तर चाहेंगे, उनसे आपको उत्तर मिलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अनावश्यक टेंशन वाली बात आप सोचना बंद कर दो और बैठ जाओ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं टेंशन कहां ले रहा हूं ? नारायण चंदेल जी ने बता दिया कि मालिक इधर बैठे हैं, ये गद्दीदार लोग हैं । ये अंबिकापुर के गद्दीदार हैं और ये प्रतापपुर के गद्दीदार हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- इधर से कुछ सुनना चाहेंगे ? मतलब आप कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं बात देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाओ, इंदू जी, अपना प्रश्न करें ।

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील कार्यालय में लम्बित राजस्व प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

7. (*क्र. 808) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30.06.2022 तक तहसील कार्यालयों में कितने सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, फौती, डायवर्सन के प्रकरण लम्बित हैं ? लम्बित प्रकरणों का निपटारा कब तक किया जावेगा? तहसीलवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30/6/2022 तक तहसील कार्यालयों में सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, फौती, डायवर्सन के लम्बित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

2020-21

तहसील का नाम	सीमांकन	बटांकन	नांमातरण	फौती	डायर्वसन
पामगढ़	0	0	0	0	0
नवागढ़	0	0	0	0	0
शिवरीनारायण	0	0	0	0	0

2021-22

तहसील का नाम	सीमांकन	बटांकन	नांमातरण	फौती	डायर्वसन
पामगढ़	57	05	148	42	1
नवागढ़	17	0	15	53	0
शिवरीनारायण	20	4	91	89	0
कुल योग	**94**	**09**	**254**	**184**	**01**

2022-23

तहसील का नाम	सीमांकन	बटांकन	नांमातरण	फौती	डायर्वसन
पामगढ़	0	0	0	0	0
नवागढ़	0	0	0	0	0
शिवरीनारायण	0	0	0	0	0

लंबित प्रकरण समय अवधि के भीतर है। समय सीमा में निराकरण कर लिया जावेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील कार्यालयों में सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, फौती, डायवर्सन के कितने प्रकरण लम्बित हैं ? माननीय मंत्री जी के द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि सीमांकन, बटांकन, नामांतरण एवं फौती, डायवर्सन के लिए कितना समयावधि निर्धारित है और 2021 और 22 में किस-किस तारीख में, किन-किन किसानों द्वारा आवेदन दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । आप दूसरा प्रश्न कर लीजिए ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, समयावधि तो बता सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- यह कोई प्रश्न नहीं है । कुछ भी पूछो, ऐसा नहीं है । फाईनल प्रश्न करो और आपको क्या तकलीफ है, वह बताओ । कौन सा आवेदन कौन से तारीख को आया, किस तारीख को मिला, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह समय-सीमा पर है । विधायक जी जानना चाहती हैं कि समय-सीमा क्या है ? सीमांकन करने की समय सीमा क्या है, बटांकन का समय सीमा क्या है, फौती का समय-सीमा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- उसी को सीधा-सीधा पूछें न । मंत्री जी समय-सीमा बता देंगे।

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न वैसा ही था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको भगवान के ऊपर भरोसा है या नहीं, यह बताओ। आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो इंतजार करो ? क्योंकि यह भगवान भरोसे की सरकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सबकी समय-सीमा बता दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, लोक सेवा गारंटी के तहत तहसील कार्यालय में भूमि के सीमांकन के लिए 3 महीने, नामांतरण के लिए भी 3 महीने का समय है । सबमें 3-3 महीने का समय दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- 3-3 महीने का समय है, अब बताओ, समय-सीमा में प्रश्न करो ।

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के लंबित प्रकरण हैं और अभी 2022 चल रहा है इसलिए मैंने समय-सीमा का उल्लेख किया ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप अच्छा प्रश्न कर रही हैं ।

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या है । हम लोग जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं और जब भी जनसम्पर्क के जाते हैं तो राजस्व अमला के संबंध में हमें बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं । उसमें प्रमुख रूप से यह शिकायत होती है कि जब भी किसान आर.आई. या पटवारी के पास किसी काम के लिए जाते हैं तो हर काम के लिए पैसों की मांग की जाती है । (शेम-शेम

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की आवाज) यह किसानों की प्रमुख समस्या होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आप नियंत्रण करेंगे क्या ?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, एकाध किसान का नाम बता दीजिए कि किस अधिकारी ने पैसा मांगा है, उसके विरूद्ध कार्रवाई हो जाएगी । बदनाम करने वाली बात थोड़ी है ।

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, यह हर क्षेत्र का मामला है, हर एक पटवारी बिना पैसे के काम नहीं करते ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आरोप लगाकर बोलने से कुछ नहीं होता, प्रमाण देना चाहिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जांजगीर-चांपा जिले में एक पटवारी के ऊपर कार्रवाई हुई ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास प्रमाण है तो उसका नाम बता दो । बोलने से नहीं होता, सरकार को बदनाम कर रहे हो । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपके पास कोई प्रमाण है तो दो । सदन में कुछ भी नहीं बोलना है (व्यवधान)

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जांजगीर-चांपा जिले में एक पटवारी के ऊपर कार्रवाई हुई । पटवारी ने पूरे प्रशासन को हिला दिया । तहसीलदार का ट्रांसफर करवा दिया, थानेदार का ट्रांसफर करवा दिया । यह सरकार की व्यवस्था है ।

श्री सौरभ सिंह :- इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र का मामला है । (व्यवधान)

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पटवारी ने लेने-देन किया, एफ.आई.आर. दर्ज हुआ और पूरे प्रशासन को हिला दिया । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पटवारी कहता है कि मेरा अधिकार है । यह इनके क्षेत्र का मामला है (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- अगर प्रमाणित होगा तो कार्रवाई होगी । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने इतना गंभीर आरोप लगाया, उसे सदन में बोल रही हैं तो मामला बहुत गंभीर है (व्यवधान)

श्री इंदू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं तो हमारे साथ इस तरह की घटना घटती है, लेकिन आप लोग सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटती होंगी । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यदि वे आरोप लगा रही हैं तो प्रमाण दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी । यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है तो कार्रवाई होगी, आप प्रमाण दो । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- आप प्रमाण दो, उस अधिकारी का नाम बताओ तो कार्रवाई होगी । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई जनप्रतिनिधि प्रश्न लगाता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रश्न लगाता है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से एक घंटा हो गया है। चन्द्राकर जी जिस मन:स्थिति में हैं । आपको डॉक्टरी सुविधा की बहुत जरूरत है । आज आप जिस ढंग से उत्तेजित हो रहे हैं, मैंने इतना उत्तेजित आपको आजतक नहीं देखा । आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं और साथ-साथ आपका असर केशव चंद्रा जी को भी हो रहा है ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष जी, आप कुछ भी बोलेंगे तो वह ठीक है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कोई उत्तेजित नहीं हूं। मैंने कहा कि आप उनसे प्रश्न मत करिये, आगे बढ़ा दीजिये। लेकिन मुझे उत्तेजना होती है, इसको अरूण वोरा जी इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं। अरूण वोरा स्वीकार कर चुके हैं कि मुझे उत्तेजना होती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वाली गोली ये खा लिये हैं।

श्री अरूण वोरा :- आपमें उत्तेजना नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वाली गोली ये खा चुके हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समय सीमा बता दिया है और जो प्रकरण बाकी है, वह समय सीमा के अंदर बाकी है। यदि किसी पटवारी की कोई शिकायत है, तो उसको बता दें, उसकी जांच करवा लेंगे। अगर गलत होगा तो कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- कोई नाम जानते हो तो बताओ ? कोई नाम जानते हो बता देना, खसरा नंबर बता देना, उसका ट्रांसफर हो जायेगा।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- जी सर।

<u>सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आबंटन संबंधी प्रावधान</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

8. (*क्र. 800) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन का प्रावधान है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को कितने प्रतिशत प्रब्याजी पर भूमि आबंटन किया जाता है? वर्ष 16 अक्टूबर, 2020 के पूर्व क्या उक्त वर्ग को नि:शुल्क भूमि आबंटन का प्रावधान था?

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

यदि हाँ तो संशोधन उपरांत किन किन वर्गों को कितना प्रतिशत प्रब्याजी देने का प्रावधान है? जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हॉ। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार - क्रमांक-1 के तहत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10% प्रब्याजि पर भूमि आबंटन किया जाता है। जी नहीं, निशुल्क भूमि आबंटन का प्रावधान नहीं था। संशोधन उपरांत अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य का 10% एवं अन्य समाजों की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य का 15% प्रब्याजि पर भूमि आबंटित किये जाने का प्रावधान है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10% प्रब्याजी दर पर भूमि आवंटन किया जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के अखिल भारतीय ध्रुव गोड़ समाज द्वारा प्रतिमा स्थापना एवं सौन्द्रयीकरण हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त समाज को 100% प्रब्याजी दर पर राशि जमा करने का आदेश कलेक्टर के माध्यम से हुआ है। राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा पारित किया गया, जिसकी आदेश प्रति मेरे पास है। जब 10% प्रब्याजी दर पर भूमि आवंटित किया जाना है तो 100% प्रब्याजी दर का आदेश कैसे पारित किया गया ? क्या आप इस प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 अक्टूबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार 5 हजार वर्गफीट का प्रावधान था और अभी साढ़े सात हजार वर्गफीट का प्रावधान किया गया है। इसमें बकाया एस.सी./एस.टी. और पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग है। पहले एस.सी./एस.टी. को छूट दिया गया था और अभी पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को भी शामिल किया गया है। इसमें एस.सी./एस.टी. पर 10%, पिछड़ा वर्ग पर 10 प्रतिशत और सामान्य वर्ग पर 15 % प्रब्याजी है। अगर किसी ने ज्यादा पैसा लगाया है तो मैं दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह कह रहे हैं कि 100 % प्रब्याजी पर हुआ है ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर का आदेश है।

अध्यक्ष महोदय :- भईया, कितना एकड़ जमीन मांग रहे थे ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा जमीन से संबंधित नहीं है। वहां पर सीधा 10 % प्रब्याजी दर पर लेना है। कहीं जमीन का उल्लेख नहीं है कि इतना जमीन होगा तो इतना प्रतिशत प्रब्याजी लिया जायेगा। मेरे पास कलेक्टर का आदेश है। आपने सौ प्रतिशत प्रब्याजी अनुसूचित जनजाति से ले लिए है। आप जांच कराने का आदेश कर दीजिये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी जमीन है ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जमीन का उल्लेख नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें तो निर्धारित है। वर्ष 2020 के पहले 5 हजार वर्गफीट था। वर्ष 2020 में उसको साढ़े सात हजार वर्गफीट किया गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप इसकी जांच करा दीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कितना जमीन मांगा है, यह तो बता दो ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा कलेक्टर का आदेश पढ़ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बाद में पूछ लीजियेगा। नमस्ते। श्री रामकुमार यादव।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 100 % प्रब्याजी ले रहे हैं। अगर 10-15 % की बात होती, तो अलग था।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी लोग प्रश्नों का उत्तर पढ़कर आयें, उसी तरीके से माननीय विधायकगण को निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रश्न है, उसकी तैयारी करके आयें। अब प्रश्न में ही क्या पूछना है, आप तय नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा ? रामकुमार जी।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, लगभग-लगभग 50 डिसमिल जमीन की मांग है।

अध्यक्ष महोदय :- ये लोग डिसमिल समझते ही नहीं हैं, ये तो वर्गफीट वाले हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रकबा बता देता हूं। 0.59 हैक्टेयर की मांग है। लगभग 50 डिसमिल जमीन की मांग है। 50 डिसमिल में कितना वर्गफीट होता है, देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- राजस्व मंत्री जी, 50 डिसमिल में कितना वर्गफीट होता, बताओ ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि उसमें वर्ष 2020 के पहले 5 हजार वर्गफीट का प्रावधान था, वर्ष 2020 से हमारी सरकार ने साढ़े सात हजार वर्गफीट का प्रावधान किया है। मैंने उसमें दर भी बता दिया है। अगर कोई ज्यादा जमीन लेता है तो वह समाज विधिवत आवेदन करता है तो उसमें केबिनेट को कम करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय दलेश्वर साहू, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लीजियेगा, वह करेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रावधान है। उनको 10 % प्रब्याजी से ज्यादा नहीं लेना है। मंत्री जी, आप उसकी सीधी जांच क्यों नहीं करा देते हैं ? उसमें क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय दलेश्वर साहू जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लीजिएगा ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रावधान है, उनको 10 प्रतिशत से ज्यादा लेना ही नहीं है, मंत्री जी आप उसको सीधे जांच क्यों नहीं करा देते ? इसमें क्या दिक्कत है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बताओ, जांच करा देंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- जांच कराने में क्या दिक्कत है ? मैं बोल रहा हूँ कि 10 प्रतिशत से ज्यादा आपने 100 प्रतिशत पैसा ले लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- कौन से सन् में लिया है ?

श्री दलेश्वर साहू :- वर्ष 2019 की बात कर रहा हूँ ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया ना कि वह विधिवत आवेदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके, मामला कैबिनेट में जाता, कैबिनेट को निर्णय लेने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब वह कह रहे हैं कि कैबिनेट में जाने से पहले वह जांच कराना चाहते हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जो भी कैबिनेट को अधिकार है, उसके मुताबिक वह एक रूपये में दे, चाहे फ्री में दे ..।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, जब आपका नीति नियम 10 परशेंट से ज्यादा लेने का नहीं है, इसी पर जांच करवा दीजिएगा ? उसमें क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय :- कन्फ्यूजन है, दूर कर दीजिए । चलिये, रामकुमार हैं आप ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजातियों का मामला है, आदिवासियों का मामला है, आपने 100 प्रतिशत ले लिया, कलेक्टर का आदेश है, मंत्री जी आप जांच क्यों नहीं करा देते ? यह बहुत ही सेंसेटिव मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको सिर्फ कह दीजिए कि आप शिकायत करिये, जांच करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- ठीक है, आप शिकायत दे दीजिए, दिखवा लूंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी ।

प्रश्न संख्या : 9 XX XX

<u>खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जर्जर/अतिजर्जर शाला भवनों हेतु भवन व्यवस्था</u>

[स्कूल शिक्षा]

10. (*क्र. 864) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 30 जून, 2022 की स्थिति में कितने स्कूल

भवन जर्जर/अतिजर्जर हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवे ? **(ख)** कंडिका"क" अनुसार उक्त अतिजर्जर शाला भवनों हेतु नवीन भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? **(ग)** कंडिका"क" अनुसार उक्त अतिजर्जर भवनों के स्थान पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 30 जून 2022 की स्थिति में विकासखण्ड अम्बागढ़ चौकी में 05 एवं विकासखण्ड छुरिया में 20 स्कूल भवन जर्जर/अतिजर्जर है। **(ख)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** उपरोक्त शालाओं का संचालन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य शासकीय शाला भवनों/सामुदायिक भवनों/अतिरिक्त कक्षों/अन्य भवनों में किया जा रहा है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मेंरे खुज्जी विधान सभा में कितने जर्जर स्कूल हैं और कितने अति जर्जर स्कूल है ? अध्यक्ष महोदय, जानकारी में दिया गया है कि अंबागढ़ चौकी में 5 और छुरिया विकासखण्ड में 20 की संख्या बताई गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अति जर्जर भवनों की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी और दूसरा प्रश्न है कि जिस गांव में स्कूल भवन अति जर्जर है, उस गांव में शासकीय भवन नहीं है तो शिक्षक बच्चों को शिक्षा का अध्ययन कहां करवायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा से प्रश्न में आता है कि स्कूल जर्जर है, कहीं अति जर्जर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार निर्देश दिया था कि आप जो बाऊंड्रीवाल बनवाते हैं, उसको बंद करके जो स्कूल हैं, उसकी मरम्मत कराई जाये, भवन की व्यवस्था कराई जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो मद रहता है, उससे रिपेयर करवायें और जहां अति आवश्यक है वहां स्कूल भवन बनायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र छुरिया में हाई स्कूल गैरूघाट का भवन बन रहा है । यहां पर पोटा की स्थिति है । चौकी ब्लॉक में मेथीटोला, प्राथमिक शाला, यह भी पूरा हो गया है, प्राथमिक शाला मासूदकसा, यह भी पूर्णता की ओर है । जल्दी बन जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अति जर्जर थे कि जर्जर थे ? दो शब्दों में चाहिये, अति जर्जर कि जर्जर ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अति जर्जर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जर्जर और अति जर्जर की परिभाषा बता देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सब जानते हैं, आप बैठिये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, बीच में जो कूदने की आदत ठीक नहीं है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल से स्कूल की ओर ध्यान ही नहीं दिये हैं । उनको हम लोग धीरे-धीरे बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सीधा उत्तर दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग स्कूल भवन एक तो विभाग से बनाते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के मद से भी स्कूल भवन बनाते हैं । उसके बाद जिले में डी.एम.एफ. का वहां पर है तो डी.एम.एफ. से भी बनता है । आपके जिले में छुरिया के प्राथमिक शाला टीपानगढ़ और प्राथमिक शाला बंशी बंजारी, इसकी स्वीकृति डी.एम.एफ. से 26/5 को दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां स्कूल भवन नहीं है या मरम्मत योग्य है, हम लोग लगातार उसकी मरम्मत की व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन सभी भवन एक साथ नहीं बन सकते । हम उसकी अलग व्यवस्था उसमें कर देंगे ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह इतना जर्जर स्कूल है, वहां एक शासकीय भवन भी नहीं है, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कहां होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- एक निर्देश जारी करिये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसकी वैकल्पिक व्यववस्था कराते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- शासकीय भवन नहीं है तो किसी के घर में पढ़ा सकते हैं । सरपंच के घर में पढ़ा सकते हैं कि गुरूजी अपने घर में ले जाये ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सामुदायिक भवन है...।

अध्यक्ष महोदय :- है ही नहीं, बोल रही है वह ? एक भी भवन नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, कुछ भी भवन नहीं है, तब बच्चों को कहां पढ़ायेंगे ? यह निर्देश जारी करिये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मुझे उसकी सूची दे दें ।

श्री सौरभ सिंह :- पेड़ के नीचे पढ़ायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी लिखकर दे दें ना ? नहीं है तो पेड़ के नीचे पढ़ाओ ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप प्राथमिकता में लिखकर दे दें । मैं उसकी व्यवस्था करा दूंगा ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मेंरा निवेदन है अध्यक्ष जी, कई बार, यह दूसरा बार में प्रश्न उठाई हूँ ..।

अध्यक्ष महोदय :- निवेदन मत करिये, प्रश्न करिये, प्रश्न ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम अति जर्जर है, उसको स्वीकृति दिला दें ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, इसी में मेरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- रमन सिंह जी के सामने तुम्हारा प्रश्न कहां आयेगा ? रमन सिंह जी ।

प्रश्न संख्या : 11 XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रायगढ़ जिले में आदिवासी भूमि विक्रय हेतु प्रदत्त अनुमति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

12. (*क्र. 459) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)**. रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 30.06.2022 तक कुल कितनी आदिवासी भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गयी है ? क्रेता एवं विक्रेता का नाम खसरा नं. तथा ग्रामवार विस्तृत जानकारी देवें ? (ख.) आदिवासी कृषकों द्वारा बिक्री की गई भूमि के पश्चात कृषकों के पास बची शेष भूमि की कृषकवार, विस्तृत जानकारी देवें ? (ग.) रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 30.06.2022 तक राज्य शासन के व्यवस्थापन योजनान्तर्गत 152 प्रतिशत की दर से कुल कितनी अतिक्रमित भूमि के लिए विभिन्न लोगों को भूमि स्वामी का हक प्रदाय किया गया ? इससे कुल कितने राजस्व का लाभ शासन को प्राप्त हुआ ? नामवार खसरा नं. सहित विस्तृत जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 30/06/2022 तक कुल 116 आदिवासीयों की भूमिस्वामी भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी है। क्रेता एवं विक्रेता का नाम, खसरा नंबर तथा ग्रामवार विस्तृत जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** आदिवासी कृषकों के पास बची शेष भूमि की कृषकवार, विस्तृत जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ग)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 30/06/2022 तक राज्य शासन व्यवस्थापन योजनान्तर्गत 152 प्रतिशत की दर से कुल 508 अतिक्रमति भूमि के लिये विभिन्न लोगों को भूमि स्वामी का हक प्रदाय किया गया है, इससे कुल 48,18,36,761/- राजस्व का लाभ शासन को प्राप्त हुआ। नामवार खसरा नंबर सहित विस्तृत जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, मेंरा माननीय मंत्री जी से एक ही प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करो । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- जो आदिवासी भूमि सामान्य लोगों को बेचते हैं, उनके पास कितनी जमीन शेष होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) वर्ष 2021-22 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छततीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-22 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-2

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-2 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी जहां तक मुझे आपकी आवाज से पहचान है उस हिसाब से बोल रहा हूं। आपको या तो वायरल होने वाला है या सर्दी हो गई है, आप जांच करवा लीजिए। यहां से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चिंत रहें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपने चिंता जाहिर की, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। सरकार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न होता हो।

अध्यक्ष महोदय :- क्या डूबी हुई है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरी तरह से डूबी हुई है। कंठ, आकंठ तक डूबी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कौन से शब्द का उपयोग किया ?

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आकंठ।

अध्यक्ष महोदय :- आकंठ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। पूरे प्रदेश में लगभग दो हजार करोड़ रुपये जिला खनिज न्यास निधि के रूप में एकत्रित होता है। जिला खनिज न्याय निधि का अगर कहीं सर्वाधिक उपयोग हुआ है तो खरीदी में हुआ है और खरीदी मतलब 30 से 40 प्रतिशत का भ्रष्टाचार। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से कलेक्टरों का ट्रांसफर किया। कुछ कलेक्टर तो ऐसे हैं जो ट्रांसफर आर्डर निकलने के बाद कहीं 25 करोड़, कहीं 30 करोड़, कहीं 40 करोड़ रुपये की खरीदी का आदेश दे गये। सप्लाई भी हो गई और उनका चेक भी कट गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में भ्रष्टाचार का मामला अलग-अलग ढंग से उठा है।

अध्यक्ष महोदय :- कल तो आप लोगों को इस बारे में बात करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हम लोगों का स्थगन दिया हुआ है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। हम प्रधानमंत्री आवास से बाहर हो गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे नंबर का ध्यानाकर्षण खनिज न्याय के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, उसी में पूछ लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- उसी ध्यानाकर्षण में माननीय सदस्य सौरभ सिंह जी और आपका भी नाम है। उसके बाद भी मैं समझता हूं कि सदन का वक्त जाया कर रहे हैं। आप दूसरे विषय को उठा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अलग-अलग मत करिये, दोनों का ध्यानाकर्षण में नाम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- शून्यकाल हमारा अधिकार है।

श्री भूपेश बघेल :- आपका अधिकार है, मैं समझ गया। लेकिन ये है कि जब यह विषय ध्यानकर्षण में दूसरे नंबर में है। अजय जी आपको हर बार खड़ा होना जरूरी है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह बताईये कि आपसे पूछकर शून्यकाल में हम पूछें ? आपसे पूछकर शून्यकाल में थोडी पूछेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने यह निवेदन किया कि जब डी.एम.एफ. की चर्चा आरलेडी है तो दूसरा विषय ले लेते हैं। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप सर्वज्ञानी, सर्वसक्षम हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रभु, आप सदन के नेता हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हर बार में खड़े होकर बोलना आपका पूर्ण अधिकार है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आज जो ध्यानाकर्षण का विषय है वह सिर्फ जांजगीर-चांपा जिले का है, मैं आज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार सिर्फ यहीं नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है उसका माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे सके। टेबलेट खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। बीज निगम में भ्रष्टाचार के दसों उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। सरकार सिर्फ इसी काम में लगी हुई है खरीदी करना और खरीदी में भ्रष्टाचार करना। और इसका दुष्परिणाम हमको यह भोगना पड़ रहा है कि गरीब जनता के हित में जो योजनायें चलनी चाहिए, वह योजनायें बंद हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास में हम ग्रामीण क्षेत्र में बाहर हो गये। 10 लाख से ऊपर लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना था, वह आवास से वंचित हो गये। इसके लिए दोषी कौन है ? इन सारे मुद्दों पर हमारा स्थगन दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- यह तीन लोगों के चक्कर में नेता प्रतिपक्ष जी अप्रसन्न होकर नहीं आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- वह आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में वहां के अधिवक्ता और वहां के नागरिक अनुविभागीय मुख्यालय बनाने के लिए लगातार डेढ़ महीने से आंदोलनरत हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, करीब 10 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस चले गये। माननीय पंचायत मंत्री जी ने पंचायत विभाग को छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो बात हो चुकी है। इसमें कल बात करियेगा।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, कल तो बात करेंगे ही।

अध्यक्ष महोदय :- आज क्यों समय खराब कर रहे हो?

श्री नारायण चंदेल :- आज तो यह स्टार्टर है।

अध्यक्ष महोदय :- स्टार्टर कल ले लेना।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर अपनी बात रखना चाहता हूं कि यह गरीबों का विषय है। सुदूर गांव के रहने वाले लोगों का, मजदूरों का, सर्वहारा का विषय है, जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है। इसलिये इस प्रधानमंत्री आवास पर जो अनियमितता हुई है, हम लोगों ने इस पर स्थगन दिया है। आप उसको स्वीकार करके चर्चा कराईये। धन्यवाद

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये और कोई। सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार अंतिम सीमा तक पहुंच गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग कल क्या बात करेंगे?

श्री सौरभ सिंह :- कल कुछ और बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री नारायण चंदेल :- कल कुछ और बात करेंगे। अभी तो रात बाकी है।

श्री सौरभ सिंह :- हमारी पड़ोसी, माननीय सदस्य बता रही थी कि पटवारी का वीडियो वायरल हुआ है और पटवारी बोलता है कि घूस खाना मेरा अधिकार है। यदि पैसा नहीं देंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। उसको कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। आज उनके जवाब में आया है कि सिर्फ एक पामगढ़ तहसील में 500 से ज्यादा प्रकरण लंबित है। कलेक्टर के पटवारी को सस्पेंड करने के बाद पूरे पटवारियों ने हड़ताल कर दिया। उन पटवारियों ने खुलेआम यह आरोप लगाया है कि हम अपने लिये बस पैसा नहीं ले रहे हैं, यह पैसा ऊपर तक जा रहा है। जिस तक यह पैसा जा रहा है, यदि हमको वह आदमी सस्पेंड करेगा तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। इस ढंग से सरकार चलेगी?

मनरेगा में कभी-भी भ्रष्टाचार नहीं सुना गया था कि मनरेगा में जनपद कार्यालयों में घूस मांगी जाये। मनरेगा में जनपद कार्यालयों में पैसा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास की जो स्वीकृति हो रही है, जिसको आधिपत्य दिया जा रहा है, उसमें 10 से 20 हजार रूपये लिया जा रहा है।

समय :

12:07 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, ऊपर के लेवल में भ्रष्टाचार हो रहा है, वह अलग कहानी है। लेकिन नीचे के लेवल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आम आदमी को हिट कर रहा है, वह भ्रष्टाचार अशोभनीय है।

माननीय सभापति महोदय, बीज विकास निगम एक ऐसी संस्था हो गयी है जैसे भारत में एक उद्योग है, टाटा सन्स, जो हवाई जहाज भी चलाता है और नमक भी बनाता है, वैसी बीज विकास निगम हो गयी है। बीज विकास निगम बीज की उपलब्धता को छोड़कर सारा काम करने लगी है। बीज देना उनका मूल काम है, सही समय पर सही बीज नहीं मिलता परंतु बीज विकास निगम कभी रेडी टू ईट फूड का अनुबंध कर रही है, कभी सामान की सप्लाई कर रही है तो कभी कोई और काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमने भ्रष्टाचार को लेकर स्थगन दिया है। आपसे आग्रह है कि आप इसको कृपापूर्वक ग्राह्य करिये और इस पर चर्चा करवाईये। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक है। ननकीराम कंवर जी।

श्री ननकीराम कंवर (कोरबा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक अलग विषय पर आपके समक्ष बोलना चाहता हूं। वह विषय है भ्रष्टाचार। आपको ताज्जुब होगा कि सेंट्रल गर्वन्मेंट से नेशनल हाईवे, रेलवे बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस प्रदेश में सेंट्रल गर्वन्मेंट का कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी काम करने वाले तो आप है, जमीन का मुआवजा देने वाले आप है। जमीन का कैसे मुआवजा देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप पता कर लीजिये। जितने भी Land Acquisition हुई है, जिनकी जमीनें गयी हैं, उनका पैसा जमा कर देना चाहिये। जो भी पैसा जमा करने वाले हैं, हमारे एस.डी.ओ. साहब या तहसीलदार पैसा जमा नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं कि जब तक कमीशन नहीं आ जायेगा तब तक आपके खाते में पैसा नहीं जायेगा। क्यों नहीं जायेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पता लगा लीजिये कि कितने लोगों का पैसा खाते में नहीं पहुंचा है और जिसका पैसा खाते में नहीं गया है, आप समझ लीजिये कि वह कमीशन नहीं दिया है। जिसका कमीशन जमा हो गया, उसके खाते में पैसा जमा हो गया, यह तो हाल है। मैं प्रूफ सहित बोल रहा हूं। आप देख लीजिये कि मेरे क्षेत्र में जितने भी लोगों की जमीन भारत माला में, रेलवे में गयी है, उसको देख लीजिये। मतलब इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो आपको जनता कभी माफ करने वाली नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम भ्रष्टाचार कम करें और अधिकारियों के ऊपर कुछ लगाम लगाये। यदि अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगता है तो फिर आपके यहां बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद्।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू(धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की सबसे महती योजना प्रधानमंत्री आवास है। वर्ष 2022-23 तक इस महत्वपूर्ण योजना को पूरी करते हुए, सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य था कि हर गरीब की सर पर छत हो, यह केन्द्र सरकार की सोच थी, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो नीति रही, उनका जो राज्यांश देना था, उनके द्वारा राज्यांश नहीं देने के कारण आज 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आधे मकान बनाये, उनको एक ही किश्त मिली। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो ही किश्त मिली और अपना आधा घर तोड़वाकर, जो बैठे हैं ऐसे परिवार जिनकी दशा बहुत दयनीय है और हम लगातार देख रहे हैं चूंकि अभी बारिश का समय है और बारिश में यह स्थिति आ पड़ी है कि कहीं पर भी उनके रहने के लिए जगह नहीं है ऐसे परिवार जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार के राज्यांश न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो हमने इस विषय में महत्वपूर्ण स्थगन दिया है, माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि कृपया इस स्थगन को स्वीकार करियेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले शून्यकाल की सूचना दी है। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत बेलतरा विधान सभा के अभी नये परिसीमन में 20 वार्ड

शामिल हैं और थोड़ी भी बारिश हो रही है तो वहां के मोफका, लिंगयाडीह, मंगला, बिजौर और बहतराई ऐसे कई वार्ड हैं जहां पर थोड़ा भी पानी, बारिश हो रही है तो गलियों में पानी जा रहा है, घरों में पानी घुस रहा है और नालियां जाम हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके लिए आकृष्ट कराया है कि अभी कम से कम सड़कों, नालियों की सफाई हो। सड़कों में जो डब्ल्यू. बी.एम. या जो भी डालकर, उसको सुधारा जाये। पहले तो मेरी शून्यकाल की सूचना है निश्चित रूप से बहुत दुखदायी स्थिति है। वहां बड़ी-बड़ी कॉलोनियां हैं, इस ओर ध्यान दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हुई है। चाहे वह सी.जी.एम.एस.ई. हो, चाहे टेबलेट खरीदी हो, चाहे खेल की सामग्री, खेलगड़िया में सामग्री प्रदाय की जा रही है ऐसी तमाम् चीजों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। किसी सप्लाई में जानकर प्राचार्य को दे दिया जाता है, उनको बिना जानकारी के दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इसमें दस्तखत करके दीजिए। आपको फर्नीचर का सामान मिल गया और तमाम् प्रकार के कार्यालयों में इस प्रकार के कार्य चले रहे हैं। हमने इसमें महत्वपूर्ण स्थगन दिया हुआ है तो आपसे आग्रह है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें तो निश्चित रूप से इसमें और भी तथ्य आएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने ममुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- मेरे पास प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनायें घटित होने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं तथा मेरे पास प्रदेश के सरगुजा जिला अंतर्गत सहदेव अरण्य कोल ब्लॉक खनन परियोजना की स्वीकृति के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है।

समय :

12:13 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में 37 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक (1) से (3) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

माननीय अजय चन्द्राकर जी।

(1) प्रदेश में ठगी के मामलों में निरंतर वद्धि होना।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद), श्री शिवरतन शर्मा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

प्रदेश में ठगों के कई गिरोहों द्वारा लूटपाट की घटना को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। दिनांक 09.07.2022 को जिला रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना अंतर्गत सरफोंगा निवासी सुधा सोनी से शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 3 लाख 50 हजार रूपये की ठगी किया। साइबर ठगों द्वारा यातायात पुलिस और कोर्ट के कर्मचारी बनकर भी लोगों से ठगी की जा रही है। रायपुर शहर के ही अविनाश प्राइड की उमा मित्रा से केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर लगभग 3 लाख रूपये की ठगी की। दिनांक 09.07.2022 को जिला पंचायत रायपुर के खाते से क्लोनिंग चेक के माध्यम से 11 लाख 76 हजार रूपये की ठगी किया गया। दिनांक 05.07.2022 को जिला रायपुर के डुंडा स्थित एक्सिस बैंक से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड रायपुर के खाते से सिर्फ 23 दिनों में लगभग 16 करोड़ 40 लाख रू. उड़ा लिए गए। दिनांक 29.06.2022 को जिला रायपुर के सिविल लाईन थाना अंतर्गत अजय प्रकाश वाघे के बेटे हिमांशु वाघे से 7 लाख रूपये की ठगी की। दिनांक 29.06.2022 को जिला रायपुर के बिलासादेवी केवट एयरपोर्ट में ग्राऊंड स्टॉफ, पायलट एवं विभिन्न पदों में नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। दिनांक 22.06.2022 को जिला रायपुर के थाना आजाद चौक अंतर्गत समता कॉलोनी में संचालित ट्रेडर्स द्वारा शहर के कई व्यापारियों से सरिया लोहा खरीदकर व राशि भुगतान न कर लगभग 7.80 करोड़ रू. की ठगी की गई। दिनांक 21.06.2022 को जिला दुर्ग अंतर्गत भिलाई नगर निवासी बी.एस.पी. रिटायर्ड कर्मचारी दुलार सिंग से लाईफ इंश्योरेंस में अधिक मैच्युरिटी का झांसा देकर 1 करोड़ 22 लाख रू. की ठगी की। दिनांक 16.06.2022 को जिला गरियाबंद के 70 हजार फर्जी पंजीयन बोगस किसान नाम के जरिये पी.एम. किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ की ठगी की। दिनांक 16.06.2022 को जिला दुर्ग अंतर्गत शक्ति विहार कॉलोनी रिसाली निवासी चंद्रभान वर्मा से पॉलिसी की

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

रकम दिलाने के नाम पर 17 लाख रूपये की ठगी की। दिनांक 14.06.2022 को जिला दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी अंतर्गत डॉ. संजय दानी से पैन नंबर लिंक करने के नाम पर करीब 9 लाख रूपये की ठगी की। लाभांडी, संतोषी नगर, अमलीडीह और काठाडीह में हाऊसिंग बोर्ड के मकान सस्ते कीमत में दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रूपए की ठगी की। दिनांक 08.06.2022 को जिला रायपुर अंतर्गत माना कैंप निवासी डायमन माहेश्वरी से पंचायत विभाग में नौकरी लगाने के झांसा देकर 1.70 लाख रूपए की ठगी की। दिनांक 08.06.2022 जिला रायपुर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के प्रियदर्शनी नगर स्थित यूनियन बैंकी की शाखा में फर्जी सिक्कों की एंट्री दिखाकर लगभग 5 करोड़ 60 लाख की ठगी की तथा खमतराई थाना अंतर्गत एक किसान मनमोहन वर्मा से बीमा पॉलिसी के नाम पर 49 लाख रू. की ठगी की। दिनांक 07.06.2022 को जिला महासमुंद के सिटी कोतवाली अंतर्गत विनोद कुमार तंबोली, शशि कुमार तांडी एवं अन्य दो और लोगों से 3 लाख 80 हजार रू. की ठगी की। दिनांक 06.06.2022 को जिला दुर्ग रानीतराई थाना क्षेत्रांतर्गत फरसगांव निवासी मिलेश चतुर्वेदी, केवल बांधे और कुंदन कुमार से पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रूपए, दिनांक 16.05.2022 को जिला सूरजपुर में प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सिलाई प्रशिक्षण के नाम पर कुल 1850 हितग्राहियों से फर्जी रूप से इनाम का लालच देकर लगभग 1 करोड़ 22 लाख 75 हजार रू. की ठगी की। दिनांक 25.04.2022 को जिला रायगढ़ के धरमजयगढ़ निवासी करीब 8 लोगों से 50 प्रतिशत के साथ बाईक दिलाने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी की। दिनांक 15.04.2022 को जिला कोरिया के कलेक्टर कार्यालय के बैंक खाते से जालसाजों ने चेक क्लोंनिग कर 1 करोड़ 29 लाख रू. ठगी की। दिनांक 11.04.2022 जिला रायपुर के सिविल लाईन थाने क्षेत्र में जगदलपुर निवासी आकाश चंदन से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रूपये की ठगी की गयी। वहीं साईबर ठगी के मामले में दिनांक 13.07.2022 को पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह की बेटी डॉ. अदिति सिंह से सी.आई.एस.एफ. के अफसर बनकर सिपाहियों के ईलाज करवाने का झांसा देते हुए, पेमेंट करने के बहाने से लगभग 2 लाख रू. की ठगी की। दिनांक 09.07.2022 को जिला रायपुर के सरस्वती नगर थाना अंतर्गत पतंजलि योग ग्राम में नेचुरल न्यू थेरेपी पंच कर्म से बुकिंग कराने के नाम पर 17 हजार 5 सौ की ठगी की। दिनांक 04.06.2022 को जिला रायपुर के अभनपुर में कास्मेटिक दुकान संचालक ऋषि गुप्ता से लगभग 71 हजार रूपये की, 27.04.2022 को जिला रायपुर के राजेन्द्र नगर निवासी कोचिंग संचालक जीतेन्द्र गुप्ता से आनलाईन फीस जमा करने के नाम पर 60 हजार रूपये की, 10.04.2022 को जिला रायपुर के गंज थाना क्षेत्रांतर्गत नर्मदापारा स्टेशन रोड निवासी दिव्या आरती सिंह व उसके पति राजकुमार राठौर से शेयर मार्केट में रकम दोगुना करने के नाम पर 6.85 लाख रूपये की ठगी की गयी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, ये इतना पढ़ रहे हैं । इतना लंबा-चौड़ा थोड़ी न होता है । आप पूरा रामायण-महाभारत जैसे पढ़ रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी उसके लिये आ जाये । मैं ध्यानाकर्षण पढ़ रहा हूं ।

सभापति महोदय :- चलिये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, कितने पेज का होता है?

श्री शिवरतन शर्मा :- ध्यानाकर्षण विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अजय जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं बोलूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुमति वे देंगे, आप क्यों देंगे ?

समय :
12.21 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद, आपने अनुमति दी । (हंसी) आप नियम-प्रक्रिया, संचालन में देखेंगे कि कितने शब्द का रहता है और यहां पर आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन है ? आपने ध्यानाकर्षण बनाया था तो कम से कम उस नियम का पालन कर लेते, आप उतने ही शब्द कहते । आप दस मिनट से पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगा कि बहुत लंबा है इसलिये माननीय सदस्य ने कहा ।

श्री अजय चंद्राकर :- यानी आपके नियम-प्रक्रियाओं के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं । आप जो जानते हैं उसके हिसाब से वे ऐसा कर सकते हैं । माननीय मंत्री जी, ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किंतु प्रदेश सरकार इन ठग गिरोह के ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है । कई मामले तो थाना में ही सेटलमेंट कर रफादफा करने में लगे हैं । कई मामले आरोपियों द्वारा दी गयी धमकियों के डर के कारण उजागर नहीं होता है । इसी प्रकार राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों के हित में संचालित संस्था मंडी बोर्ड (छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड) में करोड़ों का सुनियोजित ठगी का मामला प्रकाश में आया जिसमें मंडी बोर्ड के फिक्स डिपॉजिट रूपये में से ठगों द्वारा 16 करोड़ रूपये निकाल लिये गये । मामले में एक्सीस बैंक एवं कोटक महिन्द्रा बैंक के मैनेजर सहित 8 लोगों को अपराधी बनाया गया है । इस प्रकरण में एक आरोपी के पास मंडी बोर्ड का चेकबुक और पासबुक भी पाया गया है । जांच में उक्त ठगों द्वारा एफडी की जमा राशि के पैसे को निकाल अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग खाता में ट्रांसफर होना एवं आहरण होना पाया गया । इस प्रकरण में मंडी बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है किंतु मामले में अब तक किसी भी खातेदार अथवा अधिकारी-कर्मचारी की न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही किसी का नाम उजागर हुआ है । प्रदेश सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है । जिसकी वजह से प्रदेश सरकार के प्रति जनता व पीड़ितों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इतनी तेजी से पढ़ रहे कि शॉर्टहैण्ड वाले भी लिख नहीं पा रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जल्दी कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री के भारसाधक ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकृत हुआ है । इस ध्यानाकर्षण में माननीय गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी के दस्तखत हैं लेकिन उत्तर वे दे रहे हैं तो गृहमंत्री की वस्तु-स्थिति क्या है ? जब वे दस्तखत कर सकते हैं तो सदन में भी आ सकते हैं तो आप एक-बार उनकी वस्तु-स्थिति स्पष्ट कर दीजिये क्योंकि यह तो इसमें जानबूझकर अनुपस्थिति का मामला बन रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, वे बीमार हैं । वे फोन से बात कर सकते हैं । उन्होंने मुझसे स्वयं कहा है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, मुझे वायरल हो गया है तो बात कर सकते हैं तो दस्तखत भी कर सकते हैं लेकिन यहां आकर खड़े नहीं हो सकते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वे अनुपस्थित हैं तो ये दस्तखत तो माननीय भारसाधक मंत्री भी कर सकते थे । वे ध्यानाकर्षण में दस्तखत करते हैं उसके लिये विधानसभा में उपस्थिति मानी जायेगी और उत्तर देने के लिये उनको माना जायेगा यह तो डबल स्टेण्डर्ड हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- कौल एण्ड शकधर में क्या व्यवस्था है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पहले इसमें पहले व्यवस्था देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कौल एण्ड शकधर में कोई ऐसी व्यवस्था है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप बताईये न कि इसमें कहां से व्यवस्था का प्रश्न आ गया ?

अध्यक्ष महोदय :- अरे भई, वे आ नहीं रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बईठ जथओं, ले हटा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, चुपचाप बईठ जा । थोड़ा सुन ले ।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, पढ़िए ।

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी का ही तो पढ़ रहे हैं न, पढ़ने वाला कोई और है ।

श्री अजय चंद्राकर :- दस्तखत माननीय ताम्रध्वज साहू जी के है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐला तो कुछ भी समझ में नइ आये । कहां आथे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- तें अब्बड़ ज्ञानी हस । तें ज्ञानी हस, तुंही ला सब समझ में आथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपका आदर कर रहा हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐला तो सब चीज में कुछ भी दिखथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपका ईमानदारी से आदर कर रहा हूं । नहीं तो वे जहां पर खड़े हो रहे हैं न, वह किस नियम प्रक्रिया में आता है, कैसे आता है, क्या आता है, सब जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए-चलिए, आप लोग छोड़िए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमला सब नियम-प्रक्रिया मालूम हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ताम्रध्वज साहू..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तैं खड़े हो सकथस, हमन नहीं हो सकन।

श्री कवासी लखमा :- शिवरतन क्यों खड़ा हो गया था। उसे भी बोलो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, आप नियम, कानून, प्रक्रिया के ज्ञाता हैं। वे सदन से अनुपस्थित हैं। उसकी सूचना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या, इसमें आपके दस्तखत हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, एमन ला तो इस संबंध में प्रश्न उठाये के अधिकार ही नहीं हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन की हर कार्यवाही में उनके दस्तखत हैं। उसके लिए वे स्वस्थ हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और यहां आकर उत्तर देने के आप उपस्थित हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरा प्रदेश में 15 साल में चिटफंड कंपनी हा लूट के खा गे। एमन ला ये प्रश्न उठाये के नैतिक अधिकार नहीं हे। पूरा चिटफंड कंपनी के माध्यम से प्रदेश के जनता ला धोखा देके पूरा पैसा ला खागे। इन लोगों को यहां बात करने कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो कोई बात हुई?

अध्यक्ष महोदय :- बात यह है कि कोई मंत्री बीमार है, कितना बीमार है, दस्तखत कर सकता है या नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, बात करने के लिए न साढ़े 3 प्रतिशत देकर बात करेंगे। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने लिखित अनुरोध किया है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रमन सिंह और अमन सिंह के जमाने के बात कर रहे हो। अपने जमाने की बता करो।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला कतेक मिलथे, हम सब ला मालूम हे।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रमन सिंह और अमन सिंह क्या करते थे। पूरा चिटफंड में 15 साल लूटके खा गे हो। प्रदेश की जनता को खा गये। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- इस शैली में वह बात नहीं कर सकता। इस शैली में वह बात नहीं कर सकता। उनकी हिम्मत नहीं है इस तरह बात करने की। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अगर शिवरतन बात कर सकता है तो मैं भी बात कर सकता हूं। मुझे भी बात करने का अधिकार है। हम क्यों बात नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हम उन्हीं के उत्तर में बात करेंगे या नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव में बात करेंगे या नहीं करेंगे। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब अजय चन्द्राकर इस तरह से बात कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- आप दो दिन से आप भी धमकी दे रहे हैं। दो दिन से आप अविश्वास प्रस्ताव में देखेंगे करके धमकी दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यहां धमकी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- यह घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- और एक बटन खोलिए। और एक बटन खोलिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शांत-शांत। तैं इतना हाइपर काहे होवथस।

अध्यक्ष महोदय :- सदन के कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.27 से 12.38 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:38 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, आसंदी के किसी भी आदेश या निर्देश के ऊपर कोई प्रश्न चिह्न उठाए बगैर मेरी जानकारी में जो बात है, वह मैं बताना चाहता हूं । मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी ध्यानाकर्षण उस स्पेसीफिक विषय के ऊपर, घटना के ऊपर लग सकता है जो पिछले विधान सभा सत्र के आखिरी दिन और इस विधान सभा सत्र के प्रारंभ होने वाले दिनांक तक हो। लेकिन जिस प्रकार से करीब 29 घटनाओं के बारे में इसमें जिक्र किया गया है तो कृपा करके पहले इस पर व्यवस्था हो जाए कि इस प्रकार का ध्यानाकर्षण हो सकता है या नहीं । उसके बाद फिर मैं अपना उत्तर प्रारंभ करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, यह अपनी तरह का पहला व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था तो आप देंगे लेकिन इस व्यवस्था के प्रश्न पर विपक्ष का सदस्य होने के नाते मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो मंत्री जी को यह व्यवस्था आप दे दीजिएगा कि लम्बा है उनको पढ़ने की

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

जरूरत भी नहीं पड़ेगी । विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हमने घटनाक्रमों को ध्यान में ला दिया । अब वह लम्बा है या छोटा है, कितने शब्दों में लाना है, यह आपकी व्यवस्था है । लेकिन मंत्री जी ने जो पढ़ने के समय भी जो टोका-टाकी की और यह संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं है, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूँ। हम इसको वापस लेना मान लें या जो भी मान लें, यह विषय राज्य शासन के आलोक में पूरी ध्यान में आ चुका है और अब हम इस विषय पर कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- आप अविश्वास प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, माननीय अजय चंद्राकर जी के ध्यानाकर्षण पढ़ने के दौरान जिस प्रकार की घटना घटित हुई और सदन में एक मंत्री जी का जो व्यवहार था, उस व्यवहार के दौरान दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे थे और उसमें टिप्पणी नहीं आई। इस सारे घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर हम इस ध्यानाकर्षण में कुछ भी प्रश्न नहीं करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो वह इससे परेशान हो जायेंगे। मेरे ख्याल से मैं व्यवस्था का प्रश्न बोल देता हूं। हमने प्रश्न वापस ले लिये हैं तो मैं समझता हूं कि वक्तव्य को पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय :- मैं ध्यानाकर्षण की सूचना क्रमांक 02 लेता हूं। श्री सौरभ सिंह।

(2) जिला खनिज न्यास की राशि में अनियमितता किया जाना

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है कि :-

जांजगीर-चांपा जिले में प्रतिवर्ष 100 करोड़ डी.एम.एफ. की जिला खनिज न्यास की राशि जनहित में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो राशि उपलब्ध हुई है, उस राशि को आज दिनांक की स्थिति में 50 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। दिनांक 28.06.2022 को जिला कलेक्टर का तबादला हुआ उसी दिन शाम को 30 करोड़ रूपये को उसी दिन स्वीकृत कर दिया गया। अगले दिन इसका भुगतान कार्य एजेंसी बीज विकास निगम, उप संचालक कृषि, उप संचालक उद्यान, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को भुगतान कर दिया गया। उपरोक्त भुगतान में बीज विकास निगम और उप संचालक कृषि द्वारा उसी दिन बिना निविदा बुलाये 8 करोड़ की राशि का भुगतान संबंधित सप्लायर को सिंगल कोटेशन के आधार पर विभिन्न वितरण करने की सामग्री के लिए कर दिया गया। संबंधित सप्लायर द्वारा दिनांक 01.07.2022 को सारा सामान, जिसमें मिनी

राइस मिल 750 नग, पलवाईजर की मशीनें सप्लाई कर दी गई। उपरोक्त मशीने एक दिन के अंदर सभी विकासखण्डों के गोडाउन में भी पहुंच गई। केन्द्र सरकार का स्पष्ट निर्देश हैं कि समस्त सरकारी खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से होगी। वर्तमान की स्थिति में नये जिलाधीश द्वारा 08 कार्यों को निरस्त कर दिया, परंतु पूर्व में की गई खरीदी का जिला खनिज न्यास शासी समिति से कोई अनुमोदन नहीं है। जिला खनिज न्यास के कानून यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यक्ष को 10 प्रतिशत से ज्यादा का वित्तीय स्वीकृति की अनुमति बिना शासी समिति से नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पिछले वर्ष की ब्याज की राशि भी बिना शासी समिति के अनुमोदन के खर्च की गई है, जबकि नियमों में प्रावधान है कि ब्याज की राशि का समायोजन होना है। कुल राशि के साथ जिला खनिज न्यास के नियमों में यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष ऑडिट होना है, परंतु जिले में वर्ष 2018-19 के बाद कोई भी ऑडिट नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक खर्च की गई राशि को वेबसाइट में उल्लेखित करना है। जिला जांजगीर-चांपा की कोई भी वेबसाइट में खर्च की गई राशि का उल्लेख नहीं है। पिछले 03 वित्तीय वर्षों में जो कार्यों की स्वीकृति हुई है, उसमें से आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण ही नहीं हुए हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों में विभिन्न विभागों में सिर्फ प्रशिक्षण के लिए 23 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, पूरा प्रशिक्षण कागजों में ही हुआ और राशि को मिलीभगत कर बांट लिया गया। इस वर्ष भी जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को 149.99 लाख रूपये दिया गया था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अनियमितता किये जाने से पूरे जिले वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उसी में एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सीखना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था भी आनी चाहिये। माननीय विधि मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण के 22 विषय होने और लंबा उत्तर होने में कितना ध्यानकर्षण दिया जाय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया। चकि उस समय ध्यानाकर्षण था, इसलिए हमने उसको वापस ले लिया।

सभापति महोदय :- वह विषय आगे बढ़ गया था। आपको व्यवस्था का प्रश्न उसी समय उठा लेना था।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, यह व्यवस्था उसी से जुड़ा है। उसमें व्यवस्था नहीं आई है। अभी इस विधान सभा के चार-पांच सत्र और होने हैं। वह व्यवस्था का प्रश्न बहुत महत्वर्णू है, इसलिए उसका उत्तर आ जाये। दूसरा विषय यह है कि मेरा या विपक्ष का ध्यानाकर्षण लंबा है तो माननीय मंत्रीगण के उत्तर भी संक्षिप्त हों, आसंदी से इसके निर्देश भी कई बार आये हैं और आप सरकार का आज का उत्तर देख लीजिए कि मैं जो अपना ध्यानाकर्षण पढ़ा हूं उसमें सरकार का उत्तर उससे छोटा है या बड़ा है ? तो सरकार का उत्तर भी कितना होना चाहिए। मतलब, यदि 10 मर्डर होंगे तो हमको 2

मर्डर, 3 मर्डर के प्रश्न को उठाना है। आप ऐसी व्यवस्था दे दीजिए और सरकारी पक्ष का उत्तर कितना लंबा होगा ? आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए आसंदी ने कई बार कहा कि उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए तो सरकार कुछ भी उत्तर दे सकती है और हम कुछ नहीं पूछ सकते हैं तो सरकार के उत्तर देने में भी आपकी व्यवस्था आ जाये। आप उत्तर को पढ़ लीजिय कि उत्तर कितना लंबा है। माननीय सभापति महोदय, आप यह व्यवस्था दे दीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भीpoint of order झ का प्रश्न है। जब इस विषय में ध्यानाकर्षण दिया गया और जब उसका उत्तर आया तो आप उसी समय बोल सकते हैं। नियम में इसका प्रावधान है। इनको बाद में बोलने का अधिकारी नहीं है जब दूसरा विषय ले लिया गया है।

सभापति महोदय :- माननीय संसदीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आदरणीय अजय जी आज इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप इस भ्रम में हैं कि मैं उत्तेजित हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप धोखे से भी उत्तेजित मत हुआ कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कभी उत्तेजित नहीं होता हूं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, अभी सावन का पर्व चल रहा है। मैं शंकर भगवान जी को एक गडी भर पानी डालकर आता हूं।

समय :
12:46 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री रविन्द्र चौबे :- हम थोड़ी देर के बाद एक लोटा पानी इनके ऊपर भी चढ़ा देंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- बचा वाला पानी।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ध्यानाकर्षण में, जिस पर अभी आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं दूसरे विषय में उठाया हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने जो प्रश्न उठाया है। कुल मिलाकर आपका आशय यह है कि सरकार का उत्तर लंबा क्यों है और वह संक्षिप्त होना चाहिए। इसका आशय यह है कि यदि आप 29 घटनाओं का काल अटेंशन लगाएंगे तो क्या सरकार उसका उत्तर नहीं देगी ? आपका काल अटेंशन लंबा होने के कारण सरकार का उत्तर लंबा था लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, वह निर्देश हम लोगों के लिए भी है कि सरकार का उत्तर भी संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन यदि एक ही विषय पर स्थगन या ध्यानाकर्षण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगाया जाए तब सरकार उसका उत्तर दे सकती है। अब आपने एक साथ 29 घटनाओं का जिक्र किया था और इसलिए आसंदी की जो भी व्यवस्था हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमको भी और आपको भी किसी घटना का उत्तर लेना तो उसमें संक्षिप्त बातें होनी चाहिए, तभी तो उसका प्वाइंटेड उत्तर आएगा। लेकिन आपने एक साथ 29 घटनाओं का जिक्र किया और माननीय विधि मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा, आपने उसका जिक्र कर दिया तो निश्चित रूप से यदि आप 29 घटनाओं का प्रश्न करेंगे तो उत्तर भी तो 29 घटनाओं का ही आएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आप सुन लीजिए। आप बहुत ज्ञानी और विद्वान मंत्री हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने जो 22 घटनाएं उठाईं, उसमें से एक भी घटना विषय से बाहर नहीं थी। चलिये, मैंने मान लिया कि वह घटना लंबी थी। पहली बात यह है और आप यह व्यवस्था दे दें कि उसमें 100 घटनाएं दोनों सत्र के बीच में घटी हैं और उसमें से हम कितनी घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं ? यह घटनाएं एक ही प्रवृत्ति की हैं ? आसंदी से इस पर व्यवस्था आ जाए। दूसरी बात, यदि आप मेरे ध्यानाकर्षण का उत्तर पढ़ेंगे तो वह बहुत संक्षिप्त है और अभी सरकार का जो उत्तर आया है वह मेरे ध्यानाकर्षण से बहुत ज्यादा विस्तृत है। अब आप इसमें प्रश्न और उत्तर दोंनों में व्यवस्था दीजिए या आप यह कह दीजिए कि यह व्यवस्था सिर्फ विपक्ष के लिए है कि आप लंबा ध्यानाकर्षण नहीं लगा सकते हैं लेकिन सरकार लंबा उत्तर दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप मेरे से जवाब पूछ रहे हैं या उनसे जवाब पूछ रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब पूछ रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न तो मैं आपसे ही पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। कई बार समय-समय पर दोनों पक्षों को पक्ष और विपक्ष सभी से निवेदन किया गया है कि विधानसभा का समय बहुत कीमती है उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसा प्रश्न करें, जिसका उत्तर भी ठीक ढंग से आ सके और आप ऐसा ध्यानाकर्षण रखें और ध्यानाकर्षण का उत्तर ऐसा दें, जो आज के हिसाब से कम से कम समय में पूरा किया जा सके। मैं पुन: दोनों पक्षों से कहूंगा, आप से भी कहूंगा कि ध्यानाकर्षण के जो विषय हों, वह संक्षिप्त से संक्षिप्त हों और उसमें उत्तर भी संक्षिप्त आएं। आज तक आपने इसके पूर्व ध्यानाकर्षण में जो बातें उठाईं, उनको आपने वापस ले लिया और वह सब बातें खत्म हो गईं। अब दूसरे ध्यानाकर्षण की बात चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर लंबा आ सकता है बाकी यह जानें...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये छोड़िये। आप ऐसा मत कीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ध्यानाकर्षण में वर्ष 2018-2019 तक के सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका उत्तर तो लंबा ही आएगा। सवाल इस बात का भी है कि जब

ध्यानाकर्षण में वर्ष 2018-2019 का उल्लेख है जबकि होना यह चाहिए कि जो बीता सत्र है और इस सत्र के बीच का है।

श्री अजय चंद्राकर :- वर्ष 2018-2019 का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- अभी आप पढ़े हों। वर्ष 2018-2019 के बाद से कोई ऑडिट नहीं हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे वाले में नहीं हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां, अभी के ध्यानाकर्षण में आया है। यदि वर्ष 2018-2019 का ध्यानाकर्षण स्वीकृत हो गया तो मैं उसका उत्तर तो दूंगा। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं और यही बात माननीय अकबर जी ने भी कही।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर लंबा आ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए न । आप ऐसा मत करिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में 2018-19 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उत्तर तो आएगा ही । ध्यानाकर्षण में 2018-19 का उल्लेख है, जबकि होना यह चाहिए कि बीते हुए सत्र और इस सत्र के बीच का प्रश्न पूछना चाहिए । वर्ष 2018-19 के बाद से कोई आडिट नहीं हुआ । यदि 2018-19 का ध्यानाकर्षण स्वीकृत होगा तो मैं उत्तर दूंगा । मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं और यही बात माननीय अकबर जी ने कहा कि दो विधान सभा सत्र के बीच की जो घटना है, उसका ध्यानाकर्षण पूछा जाएगा और एक घटना पर आधारित होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह आ गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- आ गया न । मुझे बोलने दीजिए, अनुमति है ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि जांजगीर-चांपा जिले को प्रतिवर्ष औसत रूप से 100 करोड़ रूपये से अधिक राशि जिला खनिज संस्थान न्यास में खनन प्रभावित क्षेत्रों के हितलाभ के लिए प्राप्त होती है, जिसका व्यय छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अंतर्गत शासी परिषद से अनुमोदन उपरांत कार्ययोजना के आधार पर कार्य की स्वीकृति पर खर्च किया जाता है ।

यह कहना सही नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो राशि उपलब्ध हुई है, उस राशि का आज दिनांक तक की स्थिति में 50 प्रतिशत तक खर्च कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 01.07.2022 तक प्राप्त 174 करोड़, 01 लाख, 30 हजार रूपये में से 48 करोड़, 39 लाख, 12 हजार रूपये व्यय किया गया है, जो कि उपलब्ध राशि का 28 प्रतिशत है ।

यह कहना सही नहीं है कि तत्कालीन कलेक्टर के तबादला दिनांक 28.06.2022 को 30 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए, वास्तविकता यह है कि दिनांक 28.06.2022 को केवल 10 करोड़, 26 लाख, 67 हजार रूपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई । इसके अतिरिक्त 29.06.2022 से 01.07.2022 तक की अवधि में 05 करोड़, 05 लाख, 18 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई । इस प्रकार दिनांक 28.06.2022 से 01.07.2022 के मध्य 15 करोड़, 31 लाख, 85 हजार रूपये राशि के कार्यों की स्वीकृति दी गई ।

यह कहना सही है कि उक्त स्वीकृत कार्यों में एजेंसी विभागों को दिनांक 28.06.2022 से दिनांक 01.07.2022 की अवधि में प्रश्नांकित एजेंसी को भुगतान किया गया ।

दिनांक 12.07.2022 को आयोजित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत 888.85 लाख रूपये, सहायक आयुक्त आदिवासी 70.00 लाख रूपये, उप संचालक कृषि 701.87 लाख रूपये तथा सहायक संचालक उद्यान 299.88 लाख रूपये के कार्यों को चर्चा एवं अनुमोदन उपरांत निरस्त करने का निर्णय लिया गया । इस प्रकार कुल 21 करोड़, 10 लाख, 60 रूपये के कार्यों का निरस्त किया गया है । उक्त निरस्त कार्यों को आगामी शासी परिषद से अनुमोदन हेतु रखा जायेगा ।

यह कहना सही नहीं है कि बीज विकास निगम एवं उप संचालक, कृषि द्वारा उसी दिन बिना निविदा बुलाये 08 करोड़ रूपए का भुगतान संबंधित सप्लायर को सिंगल कोटेशन के आधार पर विभिन्न वितरण करने सामग्री दिया गया । इस संबंध में यह स्पष्ट है कि कृषि विभाग में सामग्री क्रय के लिए न तो टेंडर की प्रक्रिया की जाती है, न ही जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की जाती है, अपितु कृषि विभाग के द्वारा शासकीय संस्था छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से सामग्री का क्रय के लिए प्रदायगी आदेश जारी किया जाता है ।

तत्संबंध में दिनांक 28.06.2022 को प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत दिनांक 29.06.2022 को जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को प्रदायगी आदेश जारी किया गया । इसके अनुक्रम में सामग्री की उपलब्धता होने के कारण दिनांक 30.06.2022 को 400 नग मिनी राईसमिल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खण्डों के कार्यालयों में भण्डारण कर दिया गया । तत्पश्चात् वरिष्ठ कृषि अधिकारी द्वारा चालान एवं देयक सत्यापन के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2022 को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को केवल 400 मिनी राईसमिल का भुगतान 02 करोड़, 1 लाख, 60 हजार रूपए किया गया ।

इसके अतिरिक्त यह कहना गलत है कि प्लवालाईजर मशीनें सप्लाई की गई है, जबकि वास्तव में वर्तमान में प्लवालाईजर की मशीनों की सप्लाई के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2022 को जारी की जा चुकी है एवं न्यास से कृषि विभाग को भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन प्लवालाईजर मशीनें सप्लाई नहीं की गई है ।

यह कहना सही है कि वर्तमान की स्थिति में 08 कार्यों को निरस्त किया गया है ।

यह कहना सही है कि नियमानुसार बजट से किसी भी विचलन के मामले में योजना/परियोजना को शासी परिषद से कार्योत्तर अनुमोदन आगामी 06 माह के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसे कार्यों का कुल व्यय न्यास के वार्षिक आपेक्षित कार्यों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इस संबध में विदित हो कि दिनांक 01.06.2022 को शासी परिषद की बैठक आहुत की गई थी, जिसमें जिला खनिज संस्थान न्यास से प्रत्येक मद मे किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है एवं शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अत: किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है।

यह कहना सही नहीं है कि पिछले वर्ष के ब्याज की राशि भी बिना शासी परिषद के अनुमोदन के खर्च की गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले वर्ष के ब्याज की राशि से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। इस वर्ष प्राप्त ब्याज की राशि 01 करोड़ 38 लाख 47 हजार रूपये जिला खनिज संस्थान न्यास के कुल बैलेंस में समायोजित है।

जिला खनिज न्यास के नियमों में यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष आडिट होना है। यह कहना गलत है कि जिले में 2018-19 के बाद कोई भी आडिट नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 तक का आडिट कार्य प्रतिवर्ष सम्पन्न कराया गया है। जिले में स्वीकृत किए गए सभी कार्य जिला खनिज संस्थान न्यास के ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज है।

यह कहना सही नहीं है कि पिछले 03 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कार्यों में से आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण नहीं हुए। वास्तविकता यह है कि पिछले 03 वित्तीय वर्ष मे कुल 1,837 कार्यों की स्वीकृति हुई है। उसमें से कुल 1,200 कार्य पूर्ण है एवं 633 कार्य प्रगति पर तथा 04 अप्रारंभ है।

यह कहना सही नहीं है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में विभिन्न विभागों में सिर्फ प्रशिक्षण के लिए 23 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। वास्तविकता यह है कि पिछले दो वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण के लिए कुल 14 करोड़ 58 लाख 77 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रशिक्षण कार्य केवल कागजों में हुआ है। उक्त कार्य भौतिक रूप से किया गया है, जिसकी निगरानी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया गया है। यह कहना सही है कि इस वर्ष भी जिला परियोजना लाईवलीवुड कालेज को 01 करोड़ 49 लाख 99 हजार रूपये के कार्य को दिनांक 12.07.2022 को निरस्त कर दिया गया है। अनुमोदन पश्चात निरस्त कार्यों को आगामी शासी परिषद के अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। उपरोक्तानुसार नियमों के अनुकूल शासी परिषद के अनुमोदन के आधार पर कार्य स्वीकृत किए जाने के कारण जिला वासियों में किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बिलकुल सुस्पष्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट उत्तर दिया है कि 26.06.2022 से 01.07.2022 तक, पुराने कलेक्टर का स्थानान्तरण तारीख 28.06.2022 को हुआ और नये कलेक्टर ने 01.07.2022 को ज्वाइन किया। इस बीच 15 करोड़

रूपये की राशि की स्वीकृत की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में यह माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहा हूं, वह एक अलग कहानी है। मैं सिर्फ नियम और प्रक्रिया पर जा रहा हूं। आप प्रदेश के मुखिया हैं। क्या यह सही है कि एक कलेक्टर जा रहा है और दूसरा कलेक्टर आ रहा है, आपने यह भी माना है कि उस बीच में 21 करोड़ रूपये की राशि को निरस्त किया गया है। जिस 8 काम की स्वीकृति हो गई थी, पैसा ट्रांसफर हो गया था, उसको निरस्त किया गया है, नये कलेक्टर ने आकर उसको निरस्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन के सर्वोच्च नेता हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह तो एक जिले का मामला है, ऐसा हो सकता है कि कई जिलों में ऐसा हुआ हो। क्या यह सही है कि जिस दिन कलेक्टर जायेगा, आपने जिस दिन कलेक्टर का स्थानान्तरण आदेश निकाला, उसके बाद इस ढंग से स्वीकृत करके जायेगा ? मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह कर रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक कलेक्टर रिलीव ना हो जाये या कोई भी अधिकारी जब तक रिलीव नहीं हो जायेगा, वह उस पद पर कार्य कर सकता है। आदेश निकलना अलग बात है, ज्वाइन करना दूसरी बात है। यदि रिलीविंग और ज्वायनिंग नहीं हुआ है, तब तक वह कार्य कर सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि कलेक्टर ने उसी अवधि में, 3 दिन के अंदर 28 प्रतिशत राशि खर्च की है। कुल उपलब्ध राशि में से 28 प्रतिशत राशि उसी समय कलेक्टर ने खर्च की है।

श्री भूपेश बघेल :- आप गलत इन्टरपेट कर रहे है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये, फिर आप बोलियेगा। 28 प्रतिशत राशि खर्च की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में माना है क्योंकि कानून में है, किसी मद की कुल राशि है और कुल हेड जो शासी समिति में तय हुआ है, उसमें से 10 प्रतिशत से ज्यादा राशि खर्च नहीं कर सकता है। वह 10 प्रतिशत खर्च कर सकता है। बाकी राशि खर्च करने के लिए शासी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है। आपने बिना शासी समिति के 30 करोड़ रूपया स्वीकृत कर दिया। 8 करोड़ रूपये तक तो भुगतान हो गया, काम भी हो गया, सप्लाई भी हो गया, आप मान रहे हैं। बाकी तय को कलेक्टर ने निरस्त कर दिया। तो क्या यह नियम विरूद्ध है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा 2 में जो मैंने कहा है, उसको आप पढ़ लें, वर्ष 2022-2023 में जो राशि उपलब्ध हुई है, जो आपने ध्यानाकर्षण में कहा है कि 50 प्रतिशत तक खर्च कर दी गई । 50 प्रतिशत नहीं, 1-7-2022 तक, ऐसा नहीं है कि 28-6-2022 से 1-7-2022 तक, ऐसा नहीं है, जो राशि है, वह 28 प्रतिशत है । आपने कहा कि 174 करोड़, मैंने बताया भी कि 48 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया । तीसरे पैरा में आप उत्तर में देखेंगे कि 28-6-2022 से 1-7-2022 तक 15

करोड़ 21लाख 85 हजार राशि का कार्य स्वीकृत कर दिये गये। 147 करोड़ में और करेंगे तो 10 परशेंट के आसपास आयेगा । 10 परशेंट से अधिक तो हो ही नहीं रहा है और हुआ भी है तो निरस्त कर दिया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 परशेंट के ऊपर खर्च हुआ है, 30 करोड़ रूपये की स्वीकृति हुई है, आपने खुद जवाब दिया है । 21 करोड़ रूपये का नये कलेक्टर ने कैंसिल कर दिया । लगभग 8 करोड़ का भुगतान हो गया है । आपके खुद के जवाब में आया है कि नये कलेक्टर ने 21 करोड़ की राशि को कैंसिल कर दिया और 8 करोड़ का भुगतान हो गया है तो 30 परशेंट तो हो ही गया ना माननीय अध्यक्ष महोदय ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है ।

अध्यक्ष महोदय :- गंभीर मसला है । माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उत्तर दे रहे हैं और भी गंभीर है । आपके अलावा और लोगों ने लगाया है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और लोग पुछेंगे । आप जो बोल रहे हैं कि खर्च नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 परशेंट से ऊपर खर्च हुआ है । आपके फिगर को भी अगर मैं मान लूं, मैं फिगर बोल रहा हूँ, 30 करोड़ का, वह 30 करोड़ का फिगर आपके जवाब में, कलेक्टर ने जो 21 करोड़ का आदेश निरस्त किया वो, प्लस एक कार्य जिसका भुगतान हो गया । दोनों को मिलाकर 30 करोड़ होता है । उसमें भी 10 परशेंट का हुआ है । आप भी जो बोल रहे हैं 15 करोड़ रूपये, 15 करोड़ में भी 10 परशेंट के ऊपर होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नारायण चंदेल जी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का जवाब आ रहा है । कभी-कभार मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण लगता है, वह भी डी.एम.एफ. के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय :- देंगे, सारा जवाब देंगे । आप लोग नई कहते कि मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण नहीं लगाते, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण लगाया है ।

श्री सौरभ सिंह :- जवाब आ रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी लोग कब जवाब देते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ जवाब दिया है कि किस ढंग से पैसे का खर्च हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- दिया तो है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम को पैसा दिया गया । एक दिन में बीज विकास निगम ने सामान का सप्लाई भी कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- कौन सा सामान था ?

श्री सौरभ सिंह :- मिनी राईस मिल का सामान सप्लाई हुआ । पोल्वाईजर का सप्लायर हो ।

अध्यक्ष महोदय :- एक दिन में 400 कैसे हो जायेगा ? एक दिन में चार सौ का आर्डर भी हो गया और सप्लाई भी हो गया ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आर्डर हो गया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में माना है कि 28 तारीख को स्वीकृति हुई, 29 तारीख को कार्य एजेंसी को भुगतान हो गया ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, वह सब जनता के हित में हुआ है ।

श्री सौरभ सिंह :- 1 तारीख को सप्लाई भी हो गया । सप्लाई कौन किया है ? बीज विकास निगम । उन्होंने माना कि जैम पोर्टल से खरीदी नहीं हुई, इससे खरीदी नहीं हुई, उससे खरीदी नहीं हुई, बीज विकास निगम कोई निर्माण एजेंसी नहीं है । बीज विकास निगम कोई पोल्वाईजर और मिनि राईस मिल बनाती नहीं । यह पोल्वाईजर और मिनि राईसमिल कहां से आ गया ? बीज विकास निगम तो नहीं बनाता है । बीज विकास निगम तो किसी से लिया होगा ना ? क्या वह तय था । सारी चीजें, प्रक्रिया सेट थी । आदेश होगा 28 को, 29 को भुगतान होगा, 30 को आगे भुगतान होगा और आगे के भुगतान के बाद वहां साथ में भण्डारण भी हो जायेगा । बीज विकास निगम निर्माणकर्ता है ही नहीं । वही तो मैं बोल रहा था कि बीज विकास निगम तो टाटा संघ हो गया । बीज विकास निगम सब चीज कर रहा है। अध्यक्ष जी, बीज विकास निगम मिनि राईस मिल का निर्माण करता है क्या ? 700 मिनि राईस मिल कहां पर उपलबध थे कि एक दिन में सप्लाई होकर आ गयी, पोल्वाईजर मशीन सप्लाई होकर आ गई ।

अध्यक्ष महोदय :- आई भी कि नहीं आई । यह तो बताओ ?

श्री सौरभ सिंह :- आ गई, यही तो बता रहे हैं । अगर मैं डी.एम.एफ. की चर्चा चालू करूंगा तो आधा सामान तो आता ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया, बहुत चर्चा हो गयी ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- सौरभ ल तो हमर टी.एस. महराज प्रभारी मंत्री रहिसे तो बढ़ पैसा मिले रहिसे ।

श्री सौरभ सिंह :- कोन रहिसे त ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हमर टी.एस.महराज प्रभारी मंत्री नई रहिसे । सब ले ज्यादा तुंही ला मिले रहिसे ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- के करोड़ मिले रहिसे भईया ?

श्री सौरभ सिंह :- अभी तो प्रक्रिया म चर्चा करथंव ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ।

श्री नारायण चंदेल :- मोला तो प्रक्रिया आवय नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय ... ।

अध्यक्ष महोदय :- जो बातें उन्होंने पूछ ली है, उसके अलावा भी कुछ पूछना है ?

श्री नारायण चंदेल :- हॉ । उसमें तो हर कदम में नई चीज है ।

अध्यक्ष महोदय :- ले ना ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. का विषय है, वह जांजगीर-चांपा जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश का है ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे जांजगीर-चांपा की चर्चा हो रही है ।

श्री नारायण चंदेल :- हां चर्चा हो रही है ना ? कोरोना काल में भी उसके पहले के कलेक्टर ने उस कोरोनाकाल को, उस आपदा को, डी.एम.एफ. के माध्यम से उस अवसर में तब्दील कर दिया था । उसमें वेंटिलेटर खरीद दिया था, सिटी स्कैन मशीन खरीद लिया था, जो सरकार देती है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोरोनाकाल में वेंटीलेटर की आवश्यकता नहीं थी?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, आदमी मन ला बचाए के लिए वेंटीलेटर नहीं खरीदही तो का खरीदही ?

श्री देवेन्द्र यादव :- यह तो बहुत लज्जाजनक बात है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पी.एम. केयर फंड में का होईस ? पी.एम. केयर फंड से जो वेंटीलेटर आये रहिस हे, वो आज भी नई चलत हे

श्री देवेन्द्र यादव :- केन्द्र से जो वेंटीलेटर आ रहा था वह टूटा हुआ खराब वेंटीलेटर आ रहा था। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप लोग खाली ताली और थाली बजा रहे थे।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग जिस फंड से स्वीमिंग पुल बनाते थे, उसकी जगह हमने हेल्थ इक्यूपमेंट लेने की शुरूआत की तो क्या गलत है ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक अधिकारी के लिए स्वीमिंग पुल बनता था। सुकमा में स्वीमिंग पुल बनता था।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एयर स्ट्रिप नहीं बनाते। मेरे पहले दिन के सवाल में आया है कि कोरबा जिले में ब्याज की राशि उसकी व्यवस्था के लिए खर्च की।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खनिज न्यास निधि के पैसे से सुकमा में पुल बनवाते थे। उसमें अधिकारी नहाते थे। अभी तो गरीबों के इलाज के लिए लग रहा है, इसमें क्या आपत्ति है ?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि डी.एम.एफ के फंड के दुरूपयोग को भूल गये। रायगढ़ में डी.एम.एफ. फंड से लिफ्ट बनाई जाती थी। अब हेल्थ इक्यूपमेंट ले रहे हैं, उसमें आपत्ति है। यह तो घोर निंदनीय है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा कलेक चुप बैठ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में मात्र 15 सीढी है, उसमें वहां ये लोग लिफ्ट बना रहे थे।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. फंड का सही सदुपयोग एजुकेशन और हेल्थ में होता है और इन साढ़े 03 वर्षों में एजुकेशन और हेल्थ में सही उपयोग हुआ है। आपके 15 वर्षों के कार्यकाल में क्या हुआ है, उसमें आप हिसाब दीजिए। कितने लोगों की जान बची है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस तरीके से वेंटीलेटर की खरीदी में आपत्ति दर्ज की है, इनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। हमारी सरकार हेल्थ इक्यूपमेंट खरीद रही है और उसका यह विरोध करते हैं। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे उस समय वेंटीलेटर खरीदा गया, उसका विरोध करते हैं, इनको सार्वजनिक रूप से सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय जो हेल्थ में, शिक्षा में खर्च हो रहा है, वह बहुत बढ़िया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनकी बात सुन लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- कोरोना में हमारे लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनका मजाक उड़ायेंगे, इनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र जी, आप बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- अभी उनको जानकारी ही नहीं है कि उस समय जो खरीदी हुई थी, वह कोई वेंटीलेटर नहीं चल रहा है। वह कोई सामान नहीं चल रहा है और वह सारा सामान नकली थी।

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या आपने निरीक्षण किया है ?

अध्यक्ष महोदय :- इस तरह से बात मत करिये, टोकाटाकी मत करिये। समय कम है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा चुप बैठ ना गा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता से आग्रह करके जानना चाहता हूं कि 28 तारीख को शाम को उनका ट्रांसफर आर्डर आया। ऐसी क्या आपदा और विपदा आ गई थी, ऐसा कोई भूकंप आ गया था कि इन चार दिनों में ही उसने 30 करोड़ रुपये का बुक कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- उस पर तो प्रश्न आ गया है। आप दूसरा प्रश्न करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार का कोई ऐसा फरमान था कि इसको तत्काल बुक करो ? क्या ऐसा कोई निर्देश शासन का था ? बिना शासी परिषद की बैठक के अनुमोदन

के, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा-सीधा आग्रह करूंगा कि शासी परिषद की बैठक करने का प्रावधान क्या है, उसकी कितने महीने में बैठक होनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आप यह सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंदेल जी ने जो कहा है कि 04 दिन के अंदर में 30 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। यह बिल्कुल सही नहीं है। केवल 15 करोड़ 31 लाख 85 हजार की ही राशि स्वीकृत की गई है। नंबर दो यह है कि शासी परिषद की बैठक हर 6 महीने में साल में दो बार होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आ जाये कि जांजगीर-चांपा जिले के डी.एम.एफ. की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है। वेबसाईट पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिखाई देती। शासी परिषद की बैठक भी 06 महीने में नहीं हुई है। यह बता देंगे कि पिछली बैठक कब हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटपारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 03 प्रश्न एक साथ कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 01.07.2022 तक 48 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च हुए, लगभग 28 प्रतिशत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहला प्रश्न तो यह जानना चाहता हूं कि यह व्यय भुगतान हो गया क्लीयर है, इसकी एवज में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? दूसरा आपने ऑडिट होना स्वीकार किया है कि 2018-2019, 2020-21, 2021-22 की ऑडिट हो चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट क्या शासी परिषद की बैठक में रखी गई है और रखी गई है तो कब रखी गई है ? तीसरा आपने स्वीकार किया है कि 21 करोड़ 10 लाख रुपये के कार्य निरस्त किये गये, यह 21 करोड़ 10 लाख रुपये के कार्य जो निरस्त किये गये इसके कार्यादेश कब-कब जारी किये गये थे ? यह बता दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है जो आप कह रहे है कि वर्ष 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के ऑडिट कार्य प्रतिवर्ष संपन्न कराये गये और जिले में स्वीकृत किये गये सभी कार्यों को जिला खनिज संस्थान न्यास के ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज है। आप निरीक्षण कर लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं है। आप अभी चेक करवा लीजिये।

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- मुख्यमंत्री जी, आप बैठे हैं, अभी दिखवा लीजिये। अभी चेक करवा लीजिये। आप अभी चेक करवा लीजिये दर्ज है या नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- अभी चेक करवा लीजिये। आपके ध्यान में यही है।

श्री भूपेश बघेल :- मेरे पास जो लिखीत उत्तर आया है उसके तहत यज पोर्टल में दर्ज है। यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज नहीं है तो मैं दिखवा लेता हूं। यदि गलत जानकारी दी गयी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। श्री चंदन कश्यप जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो उत्तर नहीं आये हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने एक ही उत्तर। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा फोकस प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में है। यहां नियम 138(2) में लिखा गया है कि जहां तीन सदस्य है वहां एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछ सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने एक ही प्रश्न के लिये Allow किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये मैंने एक ही प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आपको एक ही प्रश्न Allow करना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने एक ही प्रश्न किया है तो उसका उत्तर तो आ जाये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन परंपराओं से भी चलता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो परंपराओं के चक्कर में बहुत दिनों से पड़े हैं।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, लगभग-लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि यदि गलत जानकारी दी गयी होगी तो कार्रवाई होगी।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यदि ऑडिट हुआ है तो उसका कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है कि ऑलाईन पोर्टल में दर्ज नहीं हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। अब क्या प्रश्न है?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ऑडिट के लिये नहीं बोल रहे हैं, वह वेबसाईट के लिये बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह पोर्टल में नहीं आ रहा है तो ..।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो वेबसाईट में अपलोड होना है और जो वार्षिक ऑडिट होना है, वह अलग चीज है।

श्री शिवरतन शर्मा :- शासी परिषद में रखा गया है या नहीं रखा गया है?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय शिवरतन शर्मा जी वार्षिक ऑडिट के बारे में बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि वह ऑडिट हुआ है तो हमारा उनसे आग्रह और निवेदन यह है कि यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासी परिषद में कब रखा गया है? यदि नहीं रखा गया है तो कब रखा जायेगा? आपको मिला है या नहीं मिला है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उन्होंने सुन लिया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि तीनों साल के ऑडिट हुए हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास के ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज है। मैंने यह उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चंदन कश्यप जी है?

श्री चंदन कश्यप :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- उनकी ध्यानाकर्षण सूचना आने दो। उनका बहुत दिन हो गया है, गरीब आदमी का मामला है। मेरा पूरा संरक्षण है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का मामला है और इस प्रदेश में मंगलवार को (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे जिले का मामला है इसलिये मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता। चंदन कश्यप जी। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी के संरक्षण में ध्यानाकर्षण सूचना लगेगी या (व्यवधान)। अध्यक्ष जी के संरक्षण के बिना कैसे लगेगी? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसका जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कितने विलंब से आये हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम तो उनको यह बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपकी जानकारी में बहुत सारी चीजें नहीं होती है कि किस प्रकार से डी.एम.एफ. की राशि का दुरूपयोग हो रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से यह आपकी जानकारी में आया है। आप कम से कम इस सदन में यह खड़े होकर कह दे कि डी.एम.एफ. की राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में, सही कामों में होगा। जहां पर भी गलत कार्य हुआ है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में तो बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम ही नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी, आप निर्देशित कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- कर देंगे।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने जो बात कही है कि यदि गलत होगा और गलत हो रहा है तो किसी अधिकारी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है (मेजों की थपथपाहट)। सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, धन्यवाद। चंदन कश्यप जी।

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेड नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण में अनियमितता किया जाना।

श्री चंदन कश्यप (नारायणपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा उद्यानिकी विभाग में योजनाएं संचालित कर कृषकों को लाभ देने का प्रावधान है। लेकिन सहायक संचालक, उद्यानिकी नारायणपुर के द्वारा योजनाओं के लाखों रूपये अनुदान से अपनी तिजोरी भर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेड नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण में वर्ष 2020-21 में कृषकों से कोरे चेक लेकर उनके खातों से करोड़ों रूपये निकाले गए जबकि वर्ष 2020-21 में सिर्फ 12-14 पैक हाउस टिन के अधूरे बनाए गए हैं। जिनमें पूरे-पूरे बिल लगाकर अनुदान राशि निकाल ली गयी है। सामुदायिक फेंसिंग योजना के पूरे पैसे किसानों के खाते से निकाल कर कृषकों को फेंसिंग के नाम पर 5-6 बंडल तारजाली दे दी गई है। इस प्रकार से लाखों रूपये की भ्रष्टाचारी तथा धोखाधड़ी का कार्य जिला नारायणपुर के गरीब कृषकों के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई है। इस प्रकार के कार्य में संलिप्त अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कृषकों के द्वारा की जा रही है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की इस प्रकार की कार्यशैली से किसानों में विभाग एवं शासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा उद्यानिकी विभाग में योजनाएं संचालित कर कृषकों को लाभ देने का प्रावधान है किन्तु नारायणपुर जिले में उद्यानिकी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने संबंधी कथन तथ्यात्मक नहीं है अपितु वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा कृषकों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राज्य पोषित योजनाओं में अपनी पसंद के विक्रेताओं या प्रदायकों से आदान सामग्री यथा बीज, पौध रोपण सामग्री, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट घटक में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संरचनाएं निर्मित किये जाने पर भौतिक सत्यापन, किसान से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही डी.बी.टी. के माध्यम से निर्धारित अनुदान का भुगतान उनके बैंक खातों में करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजान्तर्गत पैक हाउस निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में नारायणपुर जिले को आवंटित लक्ष्य 75 के विरूद्ध शतप्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति कर हितग्राहियों को डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है। उक्त पैक हाउस का निर्माण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के पंजीकृत प्रदायकों से कराया गया है।

सामुदायिक फेसिंग योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक पात्र होते हैं जिन्हें न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर रकबे से लेकर अधिकतम 2.00 तक फेंसिग कराने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। योजना के प्रावधान अनुसार कृषक को आदान सामग्री यथा फेसिंग तार, सीमेंट पोल का क्रय स्वयं करना होता है। हितग्राहियों के चयन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होती है। आदान सामग्री का भुगतान प्रदायक अथवा कृषक को करने के पूर्व संबंधित मैदानी अमले द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है एवं किसान से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाता है। नारायणपुर जिले को सामुदायिक फैसिंग योजना हेतु 26 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त था। जिसमें योजना के प्रावधान एवं नियमों के अनुसार हितग्राहियों कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन, बिल के आधार पर कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

सहायक संचालक उद्यानिकी, नारायणपुर के द्वारा वर्ष 2020-21 में जिले में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेडनेट हाऊस, पैक हाउस एवं राज्य पोषित योजनांतर्गत सामुदायिक फेंसिंग योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता की 6 शिकायतें जन प्रतिनिधियों एवं कृषकों से संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को प्राप्त हुई है। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच करवाई गई, जिसमें शेडनेट हाऊस, पैक हाउस एवं सामुदायिक फेंसिंग से लाभान्वित हितग्राहियों का लिखित बयान लिया गया है। सभी कृषकों द्वारा योजनांतर्गत स्वीकृत अनुदान राशि डी.बी.टी. के तहत अपने बैंक खाते में प्राप्त होने तथा किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा राशि की मांग नहीं किये जाने एवं योजना के क्रियान्वयन से संतुष्ट होने का लिखित बयान दिया गया है। जांच अधिकारी द्वारा कृषकों के द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर शिकायतकर्ताओं द्वारा जांच से संतुष्ट होकर अपनी शिकायत वापस ली गई है। माननीय विधायक नारायणपुर से प्राप्त शिकायत दिनांक 06.07.2022 पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अत: किसानों में विभाग एवं शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं हैं।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत शेडनेट हाऊस एवं पैक हाउस निर्माण में अधिकारी द्वारा फर्जी बिल लगाकर, किसानों से कोरा चेक में दस्तखत करवाकर, राशि आहरण की गई है उक्त भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- यह आपने जो दिनांक 06.07.2022 को शिकायत लिखी है, उसमें यह बात नहीं लिखी है क्या ?

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। किसानों के द्वारा जो शिकायत की गई है, उसकी कॉपी मेरे पास है। कृषि मंत्री जी को भी शिकायत की गई...।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा। आपकी शिकायत पर अभी प्रक्रियाधीन है, ऐसा बता रहे हैं।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शिकायत की कॉपी है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपने माननीय मंत्री जी को शिकायत पत्र दे दिया।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है कि उक्त अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप वह कागज देंगे तब तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शेष किसानों की शिकायत है, उसकी तो जांच कराई गई है। मैंने अपने उत्तर में कहा है और जो किसानों से बयान लिये गये हैं तो उसमें शिकायतकर्ताओं ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली है। डी.बी.टी. के द्वारा पैसे का ट्रांसफर हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट में हुआ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी के द्वारा शासकीय राशि का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, उक्त अधिकारी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उसे निलंबित कर, जांच की कार्यवाही करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, उनको संतुष्ट करिये। वह बस्तर से आते हैं। वह पीड़ित क्षेत्र के हैं। तो उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वही बातें हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जो विभाग से जानकारी है उसमें तो यह है कि जिन किसानों ने शिकायत की थी, उनको डी.बी.टी. से राशि मिल गई है तो उस तरीके से भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है । जैसे मेरे हाथ में माननीय विधायक जी का एक शिकायत पत्र है अधूरे निर्माण, टीन शेड का निर्माण, बिलो क्वालिटी कुछ इस तरीके से कोई बात हो तो उसकी जांच कराई जा सकती है।

श्री चंदन कश्यप :- निलंबन तक जांच करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, संतराम जी।

श्री संतराम नेताम :- भैया, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिस जिले की बात कर रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य की जो चिंता है। ऐसे भी वह अबूझमाड़ का ईलाका है। वहां के किसान अशिक्षित भी हैं। अगर उस क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग में काम हो रहा है। वहां कोरे कागज में साईन होना बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्या है कि वहां पर लोगों को इसमें साईन कर दीजिए, उसमें साईन कर दीजिए, यह सहमति, वह सहमति करके साईन करा लेते हैं। वहां पर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रमाणित है। आप जांच कराकर उनको निलंबित करेंगे या नहीं, यह हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने संतराम जी का तेवर देख लिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, तेवर देख रहा हूं। अबूझमाड़ ईलाके में, ओरछा में, नारायणपुर में अगर माननीय संतराम जी जैसा कह रहे हैं कि कोरे कागज में दस्तखत कराकर शिकायत वापसी जैसी कोई बात है और सदन में दो-दो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसको गंभीर मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ गंभीर कार्रवाई करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, वहां जो उद्यानिकी के जिला अधिकारी हैं, मैं उनको निलंबित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) उनको वहां से हटा करके निलंबित करके जांच के लिए मैं संचनालय से अधिकारी भेजूंगा। अगर इस तरीके से कार्रवाई हुई होगी तो उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

श्री संतराम नेताम :- मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चंदन कश्यप :- धन्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह चाहता हूं कि संचनालय से ऐसे अधिकारी को वहां भेजें जो बस्तर जाने से डरता न हो और बस्तर में किसी का बहाना बनाकर वह छुट्टी न लें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, स्वाभाविक है। ओरछा जाने में कितने लोगों को डर लगता है, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी वहां जाएंगे और उनकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद तीन के उप पद 4 से 37 तक सूचना देने वाले सदस्यों का नाम पुकारूंगा और उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाए तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ध्यानाकर्षण भी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय :- कौन सा वाला ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 5 वें नंबर का।

अध्यक्ष महोदय :- महराज, वह तो चला गया। आप कहां थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रायपुर शहर से संबंधित ध्यानाकर्षण है। जिस ध्यानाकर्षण में आपके निर्देश पर रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क बनाने के लिए आपने मेरी और कुलदीप जुनेजा जी की समिति बनाई। वह समिति में जाकर दौरा कर दिया रिपोर्ट हो गयी। उसके बाद भी वह सड़क आज तक नहीं बन रही है। ऐसे ही शारदा चौक...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, क्या यह शून्यकाल है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, शून्यकाल है। ध्यानाकर्षण के बाद शून्यकाल है।

अध्यक्ष महोदय :- भैया, शून्यकाल नहीं, शून्यकाल हो चुका है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल तो एक विषय की समाप्ति के बाद अगर हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं और जो कार्यसूची में प्रिंट हुआ है। मैं उस विषय पर चाहता हूं कि रायपुर शहर में शारदा चौक, रेलवे स्टेशन...।अध्यक्ष महोदय :- कल शून्यकाल में उठा लीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे तीन चार स्थान है, जिन स्थानों का चौड़ीकरण होना है और आपके रायपुर शहर में सभी विधायक रहते हैं। आपके निर्देश के बाद समिति बनी है। समिति ने वहां जाकर भ्रमण कर लिया, रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट के बाद भी स्टेशन रोड की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। आपके निर्देश के बाद नहीं हो रहा है। यह सदन की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय :- कल आप इसको बड़े विस्तृत रूप से उठाएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने इस संबंध में ध्यानाकर्षण दिया है। कल तो शून्यकाल...।

अध्यक्ष महोदय :- कल सभी उठा लीजिए। कल उठायेंगे न, क्यों नहीं उठायेंगे। कल उठाईए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ही क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मामला है। वहां पर जिंदल का इंडस्ट्रीयल एरिया है। वहां पर लगभग 40 उद्योग लगे हैं। सरकार को वहां से 1 हजार करोड़ रूपये जी.एस.टी. मिलती है। वहां पर जिंदल को 750 एकड़ जमीन मुफ्त में दी गयी। वह ढाई रूपये में बिजली देंगे, यह उन्होंने कहा। परंतु उसके बाद भी आज तक वहां के उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है। 20 हजार बेरोजगार हो रहे हैं। वहां के उद्योगों को जी.एस.टी. का नुकसान हो रहा है। मैंने ध्यानाकर्षण दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहां थे ? आप अभी कहां थे ? अभी विलंब से कहां से आ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं लेट नहीं आ रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वे हमेशा लेट होते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विलंब से क्यों आ रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं तो कार्यक्रम से आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है, विधानसभा के मामले में, विधानसभा में ताला लगने के बाद हम जाते हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- इसमें आज 3 ध्यानाकर्षण लेना था। हमने 3 ले लिया। आपकी जो बातें हैं, कल आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें इसको चर्चा में ले लीजिएगा। मैं यह कह रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं उल्लेख करकर सदन के पटल पर लाना चाहता था। एक तेंदूपत्ते का भी मामला है। तेंदूपत्ते की मजदूरी नहीं

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

मिल रही है, बोनस नहीं मिल रहा है। तेंदूपत्ता के मजदूरों को कम कीमत में बेचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है । इन सब मुद्दों के ऊपर में...।

अध्यक्ष महोदय :- कल क्या चर्चा करेंगे ? कल अविश्वास प्रस्ताव में क्या चर्चा करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तो इतनी चर्चा है । जैसा मैंने कहा न कि कल 4-4 स्थगन ले लें तो भी कम होगा । यह छत्तीसगढ़ की सरकार तो नकारा साबित हो गयी है, इतने मुद्दे आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कल आप लोग स्थगन प्रस्ताव नहीं देंगे । कल तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, उस समय सब आ जायेगा । प्लीज ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (4) से (37) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

04. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
05. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
06. श्री बृजमोहन अग्रवाल
07. श्री नारायण चंदेल
08. श्री नारायण चंदेल
09. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा
10. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले
11. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, रजनीश कुमार सिंह
12. श्री सौरभ सिंह
13. श्री सौरभ सिंह
14. श्री रजनीश कुमार सिंह
15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
16. श्री धर्मजीत सिंह
18. श्री पुन्नूलाल मोहले
20. सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
21. श्री सत्यनारायण शर्मा
22. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
23. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रजनीश कुमार सिंह
24. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

25.   सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह
26.   सर्वश्री ननकीराम कंवर, नारायण चंदेल
27.   श्रीमती इंदू बंजारे
28.   डॉ. विनय जायसवाल
29.   श्री शैलेश पाण्डे
30.   श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
31.   श्री धर्मजीत सिंह
34.   सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा
36.   श्री दलेश्वर साहू
37.   श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

समय :
1:26 बजे

नियम-267 "क" के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 26 जुलाई, 2022 को मैंने सदन में 10 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे ।

01.   श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
02.   श्री नारायण चंदेल
03.   श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
04.   श्री चंदन कश्यप
05.   श्री ननकीराम कंवर
06.   श्री लखेश्वर बघेल
07.   श्रीमती इंदू बंजारे

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानाकर्षण था ।

अध्यक्ष महोदय :- है न, है । मैं देख रहा हूं । देख लिया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

1:27 बजे **<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री लखेश्वर बघेल
02. श्री शिवरतन शर्मा
03. डॉ. विनय जायसवाल

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 1.28 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- आज घंटी बजी नहीं और आप दबे पांव आ गये।

अध्यक्ष महोदय :- घंटी बजी नहीं है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देख लीजिए। आज भी ये सदस्य को खोजने भेजेंगे। जिस विभाग की वे बात करने वाले हैं, उस विभाग का उनके साथ कोई आदमी नहीं है। आज फिर विधायक का आदमी खोजने भेजेगो। आप अपने उधर भी देख लीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अमितेश जी आ गये हैं। शुरूआत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोज शुरू होते ही वोटिंग हो जाये तो रोज हारोगे। सरकार रोज गिरेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्यों गिरेगी? सत्तू भैया, आप जरा संभालिए।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- सबके बदले हमारे अमितेश भैया आ गये हैं। वे 20 के बराबर अकेले हैं। क्यों अमितेश जी, 20 के बराबर अकेले हैं न?

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- सब आ गये हैं। लॉबी में भी हैं। आपसे ज्यादा आ गये हैं। आपसे ज्यादा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अभी हुए हमसे ज्यादा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, शुरू-शुरू में इनको क्या होता है? ये भांग पीकर आता है क्या? हल्ला करना शुरू कर दिया। काम करना छोड़कर ये कभी भी खड़ा हो जाते हैं। इनका थोड़ा ईलाज करवा दीजिए। इन्हें मुंबई या नागपुर में भेजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आइटम मतलब सिंगल माल होता है दादी। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, दादी अब चीयर गर्ल हो गई है। आइटम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी।

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- आज अजय भाई पीली जैकेट में आये हैं। शांत रहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्रेमसाय जी बैठिए। अच्छा विधेयक आ रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज तीनों विधेयक सबको ध्यान से सुनना है।

श्री कवासी लखमा :- अगर इसमें उठोगे तो इसमें तुम्हारा कटौती होगा। इस विधेयक के बारे में कल नहीं बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस विधेयक के बारे में मेरी भूमिका के बारे में पूछ लेना।

श्री कवासी लखमा :- इस विधेयक के बारे में कल भी नहीं बोलना है। नहीं तो कल भी कटौती हो जायेगी।

समय :

3.01 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा रही है कि सदन के अंदर फ्लोर में वेतन भत्ते पर कभी चर्चा होती नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- महंगाई और अन्य कारणों को देखते हुए इस तरीके से लगभग हमेशा होता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- और कुछ नहीं कहना चाहेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- अब संशोधन आगे पढ़ेंगे तो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ - कोई चर्चा करना चाहेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नारायण चंदेल (नारायण-चंदेल) :- अध्यक्ष जी, एला पोलेपोल जान दे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- इस विधेयक के खण्ड 2 में एक संशोधन है। रविन्द्र चौबे जी, जो संशोधन है वह पढ़ें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, संशोधन करता हूं कि विधेयक के खंड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाए-

धारा 2	अध्यक्ष का वेतन रूपये 32,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 47,000 प्रतिमास,
धारा 3 (3)	अध्यक्ष को दैनिक भत्ता रूपये 3,000 प्रतिदिन के स्थान पर रूपये 2,500 प्रतिदिन किया जाय तथा
धारा 2	उपाध्यक्ष का वेतन रूपये 28,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 35,000 प्रतिमास,
धारा 3 (2)	उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 68,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपये 70,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता रूपये 2,800 प्रतिदिन के स्थान पर रूपये 2,500 प्रतिदिन किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ। किसी को कुछ कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष वाला है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से शुरू दिन से लागू किया जाये, मेरा सुझाव है।

श्री नारायण चंदेल :- मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे पोलेपोल जाने दिया जाये।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- पोलेपोल कह रहे हैं तो इसे पोलेपोल जान दे।

श्री कवासी लखमा :- मैंने पहले बोला था कि इसमें चुप रहो।

श्री सौरभ सिंह :- दादी पोरेपोल नहका दो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन किया जाए।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यथा संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

यथा संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10, सन् 2022) संशोधित रूप से पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 10, सन् 2022) संशोधित रूप से पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11, सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महंगाई एवं अन्य कारणों को देखते हुए मानदेय एवं अन्य चीजों में इजाफा किया गया है । मैं समझता हूं कि समूचा सदन इसको पारित करे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11, सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

इस विधेयक के खंड 2 में एक संशोधन है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाए -

धारा 3 — नेता प्रतिपक्ष का वेतन रूपये 30,000 प्रतिमास के स्थान पर रूपए 45,000 प्रतिमास तथा

धारा 4(3) — नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता रूपए 3,000 प्रतिदिन के स्थान पर 2,500 प्रतिदिन किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत किया जाए ।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

यथासंशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जब हां-ना होता है तो आपके पीछे वाले कोई आपके लिए हां नहीं बोल रहे हैं । यह गुटबाजी कम से कम यहां तो मत दिखाओ ।

श्री कवासी लखमा :- सब चुपचाप बैठे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11, सन् 2022) को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11, सन् 2022) को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

यथासंशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

<u>(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, विचार तो हो ही गया है, अब आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पारित किया जाय।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(5) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर, दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर की कानून-व्यवस्था को लेकर और छत्तीसगढ़ की कानून-व्यवस्था को लेकर रायपुर शहर के हजारों लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। मैं भी वहां पर गया था और मुझे भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। महिलाओं को मारा गया है। (शेम-शेम की आवाज)

अध्यक्ष महोदय :- अभी इस विधेयक को प्रस्तुत करने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरूषों को भी मारा गया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि विधानसभा का घेराव करने के लिए उनको पण्ड्री के चौक पर रोक लिया गया और वहां पर अभी भी लाठी चार्ज चल रह है। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर मुझे रिहा कर दिया गया परंतु वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें। (व्यवधान)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको देखिये, क्या इनके साथ मार-पीट हुई है, ऐसा लग रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यहां पर आकर देखिये कि मैं पसीने से कितना नहा लिया हूं। सभी खड़े हो जाइये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप नहा कर आइये।

श्री नारायण चंदेल :- यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भैय्या, जब भाजपा के शासन में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का घेराव करने आ रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और किसानों की हड्डियां तोड़ दी गई थी।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि अभी विधानसभा चल रही है। यदि विधायक जी गिरफ्तार हुए हैं तो सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- हम आपके माध्यम से सरकार की तरफ...। विधायक जी को विधानसभा आने से रोका गया। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- धमतरी में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर शहर को चाकूपुर बना दिया गया है। मुझे विधानसभा आने में दस मिनट लेट हुआ।

श्री नारायण चंदेल :- इनको विधानसभा आने से रोका गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि विधानसभा आने के रास्ते को बेरिकेट लगाकर रोक दिया गया है और कम से कम यदि कोई विधायक विधानसभा आना चाहता है तो उसके रास्ते को तो क्लियर रखना चाहिए लेकिन उस रास्ते पर बेरिकेट लगाकर उसे रोक दिया गया और पूरे रायपुर शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो गई है। यहां पर नाबालिगों के द्वारा हत्या हो रही है।

श्री संतराम नेताम :- जबरन वहां पर गये थे।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आया हूं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि विधानसभा चल रही है इसलिए सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। रायपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी खत्म हो गई है और जिस प्रकार से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चाकूबाजी की घटना न हो। कल की और परसों की जो घटनाएं हुई।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी उसी रास्ते से आये हैं लेकिन हमको नहीं रोका गया। उसी रास्ते से हम लोग भी आये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर कोई रोक-टोक नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भैय्या, आप किस रास्ते से आ रहे थे ? (व्यवधान)

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस पर सरकार का कोई वक्तव्य आना चाहिए या नहीं ? आपके पास सूचना आ गई कि मुझे गिरफ्तार किया गया है करके। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई लड़की चाकू लेकर किसी की हत्या करे और उसके बाद भी उसको पछतावा न हो। मतलब, प्रदेश में ऐसा कौन-सा वातावरण बन रहा है कि जो हत्या करने वाली लड़की है वह बोल रही है कि उसको हत्या करने का अफसोस भी नहीं है। वह बोल रही है कि मैंने अच्छा किया।

एक माननीय सदस्य :- इस पर चर्चा करने के लिए तो आपने अविश्वास कर कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय, माननीय, माननीय, मैं समझता हूं कि यह मामला शासन के संज्ञान में है और अभी आप जो कुछ भी विचार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी मुख्यमंत्री जी यहां से उठकर गये हैं और वह उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, पुलिस के अधिकारी मेरा हाथ पकड़ लिये कि आपको गिरफ्तार किया जाता है और मुझे गिरफ्तार किया गया। (शेम-शेम की आवाज)

श्री नारायण चंदेल :- गलत-गलत। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जहां चोरी हो रही है और कुछ घटना घट रही है वहां तो कुछ हो नहीं रहा है और यहां इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी। आप जान-बूझकर नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा हाथ पकड़कर कहा गया। मंत्री जी कहां ध्यान देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के स्थगित की जाती है।

(3:20 से 3:31 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

3:31 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

<u>पृच्छा</u>

सभापति महोदय :- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैंने अभी सदन को जानकारी दी कि मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मारपीट की गई, धक्का-मुक्की की गई, महिलाओं के साथ में मारपीट की गई । छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, उसे लेकर । क्या मेरी गिरफ्तारी की सूचना सदन के चलते हुए सदन में आ गई है ?

सभापति महोदय :- शासन में संज्ञान में सारी जानकारी है, किन्तु फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ झूमा-झटकी हुई है तो आप लिखकर दे दीजिएगा, मैं शासन से जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, जानकारी कर ली जाएगी नहीं । अगर सदन चल रहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर विषय है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। सदन चल रहा है, उस दौरान किसी माननीय विधायक को गिरफ्तार करके या उसका रास्ता रोककर विधि विधायी कार्य से उसको रोका जा सकता है क्या ?

सभापति महोदय :- गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं । जब सदन चल रहा हो तो किसी भी दल के किसी भी माननीय विधायक को विधि विधायी कार्य में शामिल होने के लिए पुलिस प्रशासन उसको रोक सकता है या गिरफ्तार कर सकता है क्या ? यह सदन की अवमानना है या नहीं है ? उसमें व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, माननीय सदस्य ने स्वयं जानकारी दी कि उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस वाले उनका हाथ पकड़कर रोक लिये तो इस पर आसंदी से संज्ञान लेना चाहिए न ।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है ।

सभापति महोदय :- जानकारी प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- गिरफ्तारी से पहले विधान सभा से अनुमति चाहिए होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है, उस पर आपकी व्यवस्था चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे घटनाक्रम पर सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए । इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं । विधायक की गिरफ्तारी हुई है । सरकार की ओर से निर्देश जारी करना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- खाली गिरफ्तारी ही नहीं हुई, इनको विधान सभा आने से रोका गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस विषय पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए ।

श्री अरूण वोरा :- चंदेल जी, बृजमोहन जी के गाड़ी के पीछे तो मेरी गाड़ी लगी हुई थी, हम लोग सीधे आये हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- आप तो रास्ता बदलकर आये हैं न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस के विधायक को नहीं रोका गया, भाजपा के विधायक को रोका गया है ।

श्री नारायण चंदेल :- आप तो पतली गली से आये हो ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, आदरणीय बृजमोहन जी ने मामला उठाया कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें वे शामिल होने गए थे । उनको विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया और उनकी गिरफ्तारी की गई । मैं सारी वस्तुस्थिति की जानकारी अभी प्राप्त कर लूंगा और जो स्थिति है, गिरफ्तारी की गई तो सूचना सदन में आना ही चाहिए । मैं अभी जानकारी प्राप्त करके सूचित कर दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा, वह ठीक है, परन्तु मुझे विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचना था और पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया, मुझे यहां पर आने नहीं दिया और मुझे घूमकर आना पड़ा और मुझे विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। पुलिस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि आपको गिरफ्तार किय जाता है। जब मैंने कहा कि मुझे विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने जाना है तब उन्होंने माईक से एनाउन्स किया कि बृजमोहन अग्रवाल जी को रिहा किया जाता है। फिर मुझे यहां रास्ता बदलकर यहां आना पड़ा। उसके कारण विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने में लेट हुआ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह गंभीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सदस्य को कभी भी विधानसभा की कार्यवाही में आने से रोका नहीं जा सकता है। यदि आपको रोकना है, यदि आपने बेरीकेट्स लगाए हैं तो विधायकों एवं विधानसभा को पूर्व सूचना देनी चाहिए कि विधायकों को इस तरफ से आने के लिए अभी रास्ता रोका हुआ है, इसलिए ऐसा घूमकर आयें। तब विधायक उतना अतिरिक्त समय लेकर आयेगा। इससे विधायकों के रास्तों को रोकना, विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोकना यह विशेषाधिकार का मामला होता है। किसी भी सदस्य को विधानसभा की कार्यवाही में आने से रोकना, मुझे लगता है कि यह संसदीय परम्पराओं में जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी विधानसभा चल रहा है और मुझे गिरफ्तार करके रिहा किया गया, तो आजकल वायरलेस सेट चलते हैं, आपके यहां पुलिस के अधिकारी बैठते हैं, क्या वे विधानसभा में सूचना नहीं दे सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आ जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आपकी सरकार कैसे चल रही है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, मैं कह रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी सरकार कैसे चल रही है, यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, दो अलग-अलग बातें हैं। आपने कहा कि रास्ता बदलकर आना पड़ा, इसलिए हमारा विशेषाधिकार भंग की सूचना है, यह प्रीवलेज का मामला है, आप प्रीवलेज की सूचना दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको रास्ता बदलना पड़ा तो धरना प्रदर्शन के कारण बहुत से लोगों को रास्ता बदलकर आना पड़ा। यह स्वाभाविक बात है। लेकिन तीसरा, सबसे गंभीर बात है, जो आप कह रहे हैं कि माननीय विधायक को हाथ पकड़कर कहा गया कि आप गिरफ्तार हुए, फिर आपने कहा तो आपको रिहा किया गया। अगर प्रशासन ने गिरफ्तार किया गया तो आसंदी तक जानकारी आना ही चाहिए। मैं जानकारी लेकर अवगत करा दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, अग्रवाल साहब को अब भी पकड़ते नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसीलिए, तुमको आयटम बोले हैं।

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)</u>

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अन्य सोसायटियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि हैं, चूंकि उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान स्पष्ट नहीं है, उसे स्पष्ट करने के लिए त्रिस्तरीय ढांचे अन्तर्गत प्राथमिक, केन्द्रीय और शीर्ष स्तर की सोसायटियों का निर्वाचन व्यवस्थित रूप से कराने तथा प्रकरणों के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को अधिनियम की अन्य सुसंगत धाराओं को जोड़ने के प्रयोजन से सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49, 50-ख, 53 तथा 79 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अधिनियम की धारा 49 की उप धारा 8 एवं धारा 50 (ख) वर्तमान परिस्थिति में लगता है कि इसको ठीक-ठाक करना पड़ेगा। सहकारी केन्द्रीय बैंक का कोई निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने के एक साल के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य रहता है। परन्तु देखने में यह आया है कि इसका पालन करना बड़ा मुश्किल होता है, यह संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि मध्यवर्ती और शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन कराना आवश्यक है। इन सहकारी संस्थाओं के सदस्य, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न होकर प्रतिनिधिगण वहां निर्वाचित होते हैं। तभी मध्यवर्ती और शीर्ष स्तर की संस्थाओं में मतदाता सूची तैयार होता है। चूंकि जो समितियां हैं, हम लोगों ने उसका विस्तार किया है। पहले 1,333 समिति थी, उसको बढ़ाकर 2,058 किया है तो उसमें और अच्छे से सब लोगों की भागीदारी हो सकती है। हम लोगों ने कहा कि इसके माध्यम से तीन चौथाई समितियों का निर्वाचन हो जाये। उसके बाद ही मध्यम और शीर्ष स्तर की संस्थाओं का निर्वाचन हो सकता है। इसमें लोकतान्त्रिक चुनाव अच्छे ढंग से हो सकता है और इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं इसलिए इसको लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने हेतु समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति जी, यह विधेयक [XX] [3] है । जिसने बनाया, जिस सरकार ने बनवाया, उसको तो दोष नहीं दूंगा, [XX] को-आपरेटिव का महत्व क्या है..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें समझ में क्यों नही आयेगा ? जब बना रहे हैं, आप ही लोग उसमें ज्यादा समझते हैं । इसको सोच-समझकर बनाया गया है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- राजनैतिक नहीं थे तो बनाने वालों को मैं दोष नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कोई भी कानून बनता है ...(व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- आप अपने आप को इस योग्य मत समझे करो । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप ही सब समझदार है । (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपका यह जो कहना है, सोच समझकर बनाया गया है और व्यवहारिक रूप से बनाया गया है, कॉस्टिट्यूशन से बनाया गया है । (व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- आप ही सहकारिता के क्षेत्र में सर्वज्ञ हो । आपके अलावा कोई जानकार नहीं है क्या ? माननीय मंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जब देखो, [XX] बात करते हो ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- आपकी जो सोच है, चर्चा में आ जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिये...।

श्री कवासी लखमा :- [XX] को बेच दिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए कि जो को-आपरेटिव ही देखेगी...।

श्री कवासी लखमा :- [XX] हड़ताल पूरे 14 महीने चले हैं । [XX] कहां पहुंच गये भई ? 700 लोग मारे गये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तीन-चार [XX] हैं । सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो खड़े होकर आप ही आप [XX] लगते हैं या मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री जी के पास तीन-चार हैं, कुछ भी बोलो तो खड़े होकर [XX] लगते हैं । आज भी तीसरा वन डे है, लेकिन [XX] का रोल नहीं है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चिन्हांकित कर रहे हैं । मैं अभी हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यसमिति में गया था, मोदी जी ने कहा कि हम उसमें बड़े रिफार्म की तैयारी कर रहे हैं । कोई क्षेत्र है, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ को-आपरेटिव करे । इस क्षेत्र में माननीय अकबर जी बैठे हैं, दो बार बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, देश के और प्रदेश के सबसे पुराने बैंकों में से एक जो अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है । उन महानुभावाओं ने क्या कहा कि किसान स्वयं अपना बैंक बनाये, जो मनी लैंडर हैं, उसके चंगुल से मुक्त हो । मैंने कई बार को-आपरेटिव मंत्री,

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

को-आपरेटिव सचिव को कहा है, जो नाबार्ड की टेक्नीकल कमेटी होती है, उसकी नियमित बैठक करें । बाजार के हिसाब से रेट को रिवाईज करे ताकि किसान शोषण के शिकार मत हो । अभी दो दिन पहले की एक घटना सुनाता हूँ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- विधेयक पर तो बोलो । कहां-कहां ..(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मुझे मत सिखाओ महाराज । ऐसा है ना, उसमें भी बोल दूंगा तो आप सीनियर आदमी हो गड़बड़ हो जायेगा । हर बात में आपके तीन चार लोग खड़े हो जाते हैं । मैं लम्बा ध्यानाकर्षण पढ़ूंगा तो आप पाईन्ट ऑफ आर्डर लेंगे । आप तीन पेज का उत्तर देंगे तो मैं चुप बैठूंगा । मैं डबल स्टैडर्ड में नहीं चलता । एक आदमी को लॉकर खुलवाने के लिये तीन महीने तक सूरत में इंतजार करना पड़ा, तीन महीने तक उसका लॉकर नहीं खुला । बोले एक मिनट में लॉकर खुल जाये । 10 व्यापारियों ने मिलकर एक बैंक बना लिया, वह सूरत और गुजरात की 10 टॉप बैंकों में से एक को-आपरेटिव बैंक है । भारत सरकार की किसी भी नवरत्न कंपनी, बाकी सरकारी कंपनियों को छोड़ दो, नवरत्न कंपनियों में से एक को-आपरेटिव सोसायटी अमूल गुजरात की है । महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्र सिर्फ को-ऑपरेटिव के लिए आरक्षित है । छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव आंदोलन बहुत पहले से है । माननीय अकबर जी बोल रहे थे तो मैं अभी उस समय कह रहा था कि प्यारेलाल ठाकुर के बाद को-ऑपरेटिव के जानकार हैं, अब यह सरकार क्या कर रही है ? माननीय चौबे जी, यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 में वैद्यनाथन कमेटी बनाई, बहुत सारे सुझाव दिये, उन सुझावों को वह पढ़े हैं, कोऑपरेटिव मंत्री वैजनाथन कमेटी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं उस बात को नहीं जानता। अब उसके आलोक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया। पहले Co-Operative के नियम इतने अस्पष्ट थे कि यदि चुनाव में गड़बड़ी हुई, कोई ए.डी.एम. में, कोई ए.आर में, कोई डी.आर. में अपील कर रहा है। अब कितने दिन में होगा, उसको इसलिए बताना है कि वह नियमित चुनाव नहीं होता है, ऐसा-वैसा बता रहे थे। चुनाव सरकार नहीं करवाती है। बैजनाथ कमेटी की अनुशंसा आपने स्वीकार की है। आप कह रहे हैं कि चुनाव इतने दिन में ऐसा-वैसा नहीं होगा तो हम उसको ऐसा कर देंगे। वह क्या करेंगे, मै बता रहा हूं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग बना, 243वें संशोधन के बाद पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग बना, राज्य की निर्वाचन संस्था बनी। देश में भी वित्त आयोग बने। उसी तरह से स्वीकृत अनुशंसाओं में से एक है। अब यह जो ला रहे हैं, एक और कमेटी बनी थी- Amlor Pavanathan Committee, उन्होंने भी बहुत सारे सुधारों को दिया। वह कमेटी अल्मोड़ा से संचालित होती थी। उसको वह जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं उसको नहीं जानता। लेकिन पूरी दुनिया खास तौर पर भारत जहां गरीबी है। स्वसहायता समूह की अवधारणा इसीलिए आई कि हमारी महिलाओं के जो परंपरागत कौशल हैं उसको विकसित करके आगे मजबूत करके

उसको Co-Operative का स्वरूप दिया जाये और गतिविधियों के आधार[4] पर राज्य स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर उसकी अपेक्स बॉडी भी बनाई जाये। लेकिन यह सरकार तो Co-Operative आंदोलन को कुचलकर राजनीतिकरण करना चाह रही है। अब आप मुझको एक बात बताईये। [XX] वह घर में Co-Operative Act को पढ़ते होंगे। धारा 49 की उपधारा 8-क में है कि कार्यकाल समाप्त होने अथवा बोर्ड के भंग होने पर समितियों को 06 माह के भीतर, सहकारी बैंकों का 12 माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान है जिसे समाप्त किया जा रहा है। चुनाव करवाने का प्रावधान क्यों समाप्त हो रहा है ? यह सरकार चुनाव से क्यों भाग रही है ? अब यदि चुनाव करवाते हैं और इसको ला इसलिए रहे हैं, अभी उन्होंने 2200, 2300 जो भी सोसायटी बताई, उसके अंक मैं बताऊंगा। कैसे बिना पढ़े उत्तर देते हैं कि और [XX] बोल दूंगा तो और गड़बड़ हो जायेगा। वह क्या-क्या लिखकर गलत उत्तर देते हैं। इसलिए मैं तो आपको बोलता हूं कि आप तो विधायिका की पूरी मर्यादा गिराने में लगे हैं। माननीय आपके अनुभव के आधार पर आपसे बड़ी अपेक्षायें हैं। इसका क्या अर्थ होता है, इसमें प्रकाश डालें कि Co-Operative के चुनाव क्यों रोके जायेंगे ? यह स्वीकार करें। अगले साल चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को मुझे मनोनीत करना है। उद्देश्यो के कथन में इस बात को बोलें। Co-Operative को राजनीतिकरण करना है। छत्तीसगढ़ में Co-Operative आंदोलन नहीं चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मनोनयन में उत्तेजित होकर क्यों बोल रहे हैं ? क्या अपेक्स बैंक में तत्कालीन भाजपा सरकार ने मनोनयन नहीं किया था ? किया था न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सोयायटी में मनोनीत नहीं किया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अरे कहीं तो मनोनीत किये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मैं उसमें बिल्कुल आ रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो इतनी उत्तेजना किस बात की है ? आप किये हो न।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनका नाम अजय चन्द्राकर से [XX] कर देना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, बिरगांव चुनाव में मैं था।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वहां आपकी क्या हालत हुई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोला कि Co-Operative का क्या इस्तेमाल हुआ, मैं जानता हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी हालत क्या हुई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आप बहुमत पा गये ? [XX] धारा 50-ख के उपधारा-8 के अनुसार..।

श्री कवासी लखमा :- क्या-क्या हुआ, इनको कैसे मालूम है।

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय लखमा जी, आप बाकी समय बिना पढ़े हो जाथस। अब आप अपनी पेंशन माननीय अकबर महान को दिया करो। आप सदन में घोषणा करिये कि मैं उनको पेंशन दूंगा।

सभापति महोदय :- आप विषय में आईये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, धारा 50-ख के उपधारा-8 के अनुसार किसी भी सोसायटी के बोर्ड का निर्वाचन तभी कराया जायेगा जब निचले स्तर के कम से कम तीन चौथाई संबंद्ध सोसायटी का निर्वाचन करा लिया जाये। ऐसा बंधन किया जा रहा है। एक बात बताईये कि हम निर्वाचन आयोग बनाये हैं । इन्हीं लोगों ने अभी सुनील कुजूर साहब को नया निर्वाचन अधिकारी मनोनित किया है। क्या निर्वाचन आयोग आधा के लिये, पौन के लिये, एक के लिये, अलग-अलग निर्वाचन कार्यक्रम है? यदि पुलिस नहीं मिलेगी या अधिकारी कम पड़ेंगे तो वह चरणबद्ध कर सकते हैं। लेकिन यदि वह पैक्स का निर्वाचन करायेंगे तो कार्यक्रम एक साथ घोषित होगा। वह 75 प्रतिशत का निर्वाचन नहीं करवायेंगे। क्या इस लेजिस्लेशन से बनी जो एक संवैधानिक संस्था है, वह ऐसा कर सकती है? भारत सरकार में, यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी राष्ट्रपति का चुनाव करावाया है तो 75 प्रतिशत वोट डोलेंगे और 25 प्रतिशत लोग वोट नहीं डोलेंगे, उन्हें 51 प्रतिशत वोट में चुना जायेगा और 49 प्रतिशत वोट न डाले तो भी चल जायेगा। क्या ऐसा कभी होता है? यह हास्यास्पद है। इसीलिये मैंने कहा कि मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता, वह तो निर्देश का पालन कर रहे हैं। आप पूरी तरह तुल गये है कि इसका कांग्रेसीकरण किया जाये।

जो मुख्य-मुख्य संशोधन है, जैसे धारा 53(1) के खण्ड ''घ'' में सोसायटी के लिये अधिकतम छः माह, प्लस सोसायटी बैंकों के लिये अधिकतम 1 वर्ष तक ही प्रशासक नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे समाप्त कर असीमित अवधि के लिये किया जा रहा है। इससे क्या औचित्य है? मुझे रविन्द्र चौबे जी बता दें कि इससे को-ऑपरेटिव आंदोलन कैसे मजबूत होगा? क्या आप निश्चितकाल के लिये चुनाव टाल कर मनोनयन करवा देंगे और एक तरफ आपकी यू.पी.ए. बैद्यनाथन कमेटी बनाती है। छत्तीसगढ़ ने उसकी अनुशंसा को स्वीकार किया गया है और आप कहते हैं कि हम अनिश्चितकाल के लिये मनोनित करेंगे। आप बोल दीजिये कि को-ऑपरेटिव भंग है। आप यह एक लाइन में बोल दीजिये कि जो संस्थाएं पंजीकृत है, हम उन सब में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोनित करेंगे, यह स्वीकार कर लीजिये। आप क्यों बोलते हैं कि को-ऑपरेटिव आंदोलन में विसंगति थी? आपके हिसाब से आप जो प्रस्तावना रख रहे थे, उसमें यह विसंगति है? आप व्यक्तिगत तौर पर छत्तीसगढ़ का जितना अहित कर रहे हैं, आप सबसे सीनियर विधायकों में से एक हैं। वह 4000 बच्चे, मैंने आपकी कार्यक्षमता देख ली। मैंने सुबह बात की कि दो बार में 8 लोगों का सत्यापन किया गया है। ।

धारा 53(3) के अनुसार किसी भी समिति को भंग करने की अधिकतम अवधि छः माह तथा सहकारी बैंक को भंग रखने की अधिकतम अवधि एक वर्ष है, जिसे विलोपित किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैंने अपना सर पकड़ लिया, यह इसे को-ऑपरेटिव आंदोलन कहते हैं। यदि कोऑपरेटिव एक्ट में एक वर्ष के अंदर चुनाव कराने के नियम बाध्यकारी होंगे, मैं निर्वाचन आयोग में जाकर पता कर लूंगा। यह इसमें यह कानून लाकर इसलिये हटा रहे हैं, आप समझ गये कि किसलिये हटा रहे हैं। अब यह जो टैक्स की संस्था की बात कर रहे थे, मान लो यह सरकारी आंदोलन के बड़े विद्वान मंत्री है, मैं आपके लिये आज की प्रश्नोत्तरी की एक-दो चीजें पढ़ता हूं। अब पेज क्रमांक 43 में मेरे अपरिवर्तित, अतारांकित प्रश्न 04, (समितियों की स्थिति) को पढ़िये। इसमें मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि दिनांक 30.06.2022 की स्थिति में 1360 पैक्स और 698 लैम्पस समितियां संचालित है। अब एक मेरा अतारांकित प्रश्न है आपने उसमें क्या लिखा है, उसको आप सुन लीजिये। आप पेज क्रमांक 103 निकाल लीजिये। उसमें कुल समितियां 2058 है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम कर रहा हूं कि मेरे आज के एक उत्तर में संख्या दूसरी है और आज ही के एक उत्तर में पैक्स की संख्या दूसरी है। मैं आपकी जानकारी के लिये फिर से पढ़ रहा हूं कि 30.06.2022 की स्थिति पर 1360 पैक्स और 698 लैम्पस समितियां संचालित है, यह आज के एक प्रश्न के उत्तर में है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- दोनों संख्या को जोड़ लीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- जो परिवर्तित अतारांकित है, उसमें यह है। एक मेरे ही अतारांकित प्रश्न के प्रश्न के उत्तर में है कि कुल समितियां 2058 है और लैम्पस की संख्या 698 है, उसकी संख्या बराबर है। अब मैं किस बात को सत्य मानूं? इनके दो प्रश्न के उत्तर है, मैं जिसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे चुका हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यदि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2058 ही आता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने लिखा है। आप खोलकर देख लीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अब आपके प्रश्न ही अलग-अलग है, इसलिये उसमें अलग-अलग उत्तर आया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने विधायिका को मजाक बना लिया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यदि आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो 2058 ही आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे क्या समझ में नहीं आएगा। यह आपने लिखा है। कॉपरेटिव आन्दोलन की भूमिका में बोल रहे थे, मैंने सुना है कि आप कितने सक्षम है। अब थोड़ा सा देखिए, जो यह उत्तर है। इनकी धान खरीदी के परिणाम बताता हूँ। 654 सोसायटियां हानि में चल रही हैं। इसको हानि में लाने वाला कौन है ? यह धान खरीदी है। इन्होंने सूखत का पैसा नहीं दिया। इन्होंने कर्ज माफी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया, उसके ब्याज का पैसा सोसायटी भर रही है। अभी तक सोसायटियों को ब्याज की प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। यह खत्म करना हुआ या नहीं हुआ ? इनके उत्तर में है कि 705 सोसायटियां कर्जग्रस्त हैं। उसको उबारने के लिए विधेयक नहीं है। उसको उबारने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। वह किसानों का शेयर है। जो लैम्पस है, उसमें 1 हजार 13 में 964 हानि में चल रही हैं। मैं समर्थन करता कि इसके हानि के कारण हैं जो कांग्रेस के भूपेश सरकार की लापरवाही के कारण या मंत्री का नाम ले देता हूँ कि उसके कारण यह कॉपरेटिव आन्दोलन पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर है और यह विधेयक किसी तरह की क्रांति समाजिक क्षेत्रों, सहकारिता के क्षेत्रों में नहीं लाएगी। यह विधेयक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण के लिए है, यह विधेयक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसीकरण के लिए है, यह विधेयक सिर्फ और सिर्फ अगले साल चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है और हम हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम अदालत के स्तर पर करेंगे, यहां विरोध करेंगे, लेकिन कॉपरेटिव आन्दोलन को बचायेंगे।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप वनवासी क्षेत्र से आते हैं। केवल 2-4 को छोड़कर, पूरे के पूरे लैम्पस घाटे में हों। जब कोई बात करे तो आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं। सिंगल मार्ट, फुल्ली की बोलती बंद हो गई। आप सोच लीजिए इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी अगर थोड़ी सी भी छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं और कॉपरेटिव आन्दोलन के बारे में जानते हैं तो उनको इस विधेयक को वापस लेना चाहिए और नहीं, तो आप इसको प्रवर समिति को दीजिए। यह जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह विधेयक वापस नहीं लेते हैं तो प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात का दु:ख होगा कि मैं प्रत्येक सोसायटी के चुनाव को लड़ता हूँ। यदि मैं होता तो आन्दोलन चलाता कि मेरी सोसायटियां जितनी शीर्ष संस्था है, उनके सदस्य बनें और हम ऊपर तक के अपेक्स बॉडी, राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव लड़े, लेकिन यह सोसायटियां कर्जे से कैसे उबरे ? हम उसके लिए कोशिश करते और हम उसके लिए पैसे देते। सदस्य की संख्या कैसी बढ़ती। मल्टीएक्टिविटी के अपेक्स काम करे, लैम्पस काम करे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पहले आपने 15 सालों में यह क्यों नहीं लिया? आपको किसने रोका था?

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं बोल देता हूँ और मैं कभी कम से कम चुनाव लड़ने के लिए सोसायटी से पैसा वसूल नहीं करता। मैं इतना आन्दोलन तो करता।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप इसे वापस ले लें या इसको प्रवर समिति को सौंपे। मुझे दु:ख है कि आप दोनों की उपस्थिति में आन्दोलन को मजबूत करने के बजाए, इस आन्दोलन को...।

श्री संतराम नेताम :- आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता नाराज हो रहे होंगे। 15 सालों में आपको यह क्यों नहीं लगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी हम लोग आदरणीय [5][XX] अजय चन्द्राकर जी की बात सुन रहे थे। यह कहां की बात कहां ले आते हैं। कॉपरेटिव में राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों मैंने इस विधेयक में बात नहीं की क्या ?आपने नहीं सुना ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैंने सुन लिया। मैंने आपकी सब बातों को सुना है। कॉपरेटिव का भ्रष्टाचार आपके शासकाल के 15 सालों में हुआ है। आपने मनोनीत किया है। अपेक्स ..।

श्री अजय चन्द्राकर :-मैंने बोला कि 15 सालों में सोसायटियों से एक रूपया वसूल नहीं किया। हमने सभी सोसायटी, रायपुर जिले में किसी काम के लिए एक रूपया वसूल नहीं किया। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता नाराज हो रहे होंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय शर्मा जी, 15 सालों में किसी सोसायटी से पैसा वसूल नहीं किया।

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, कॉपरेटिव सोसाटियों से एक पैसा वसूल नहीं किया, बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहां-कहां दिया, इसको यह लोग अच्छे से जानते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला काहीं नइ बनाए हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने चुनाव में, सोयायटी से पैसा वसूल करने की बात कर दी तो इतना नाराज होने की क्या आवश्यकता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता बनकर पूत में बइठे हस, ते बड़े नेता नो हस।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश में किया है। (व्यवधान)यह सभी जगह किया है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह स्वीकार कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय नेता जी बोल रहे हैं। कृपया बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इनका अप्रमाणित मामला है।

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, बुढ़ापे में उत्तेजना आती है। कोई खास बात नहीं है। बुढ़ापे में उत्तेजना आती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, चुनाव के पहले वसूल किये हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति के चुनाव को कॉपरेटिव चुनाव से लिंक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्त्ता (व्यवधान)

समय :

4:00 बजे

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इनकी नियत कितनी है। मैं बात को बोलना नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हमारा कोई भी व्यक्ति (व्यवधान) कोई भी कार्यकर्ता ने (व्यवधान) सभापति महोदय, एक भी व्यक्ति ने नहीं उठाया है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मुख्यमंत्री की व्यवस्था कांग्रेस ने...।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- किसानों का पैसा बैंक में आ गया है। बैंक में पैसा आने के बाद किसानों को वितरण नहीं हो रहा है। जब अमित शाह जी को वहां से पत्र लिखे और उसके बाद जमा पैसा में 37 लाख रूपये केवल ब्याज का पैसा हुआ। आखिर इनकी नियत कहां है ? किसानों का पैसा क्यों वापस नहीं किया ? यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि बोल रहे हैं तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीज बैठिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति जी, सहकारी समितियों में पहले ऐसी जमीन पर धान खरीदी होती थी, आज सभी तरफ शेड बनाया गया है, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था की गयी है, अब किसान लोग चिंता नहीं करते।

सभापति महोदय :- राठिया जी, प्लीज बैठिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, चंद्राकर जी ने जो बात कही, विधेयक के संबंध में खास बात न करके इधर-उधर की बात कर रहे थे। बीरगांव चुनाव की बात कर रहे थे। बीरगांव चुनाव में (व्यवधान) बीरगांव चुनाव से क्या लेना देना ? (व्यवधान)

अभिलेख/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- जिनको समझ नहीं आया है। मैं उनका [XX][6] नहीं ले रखा हूं। जितना समझना है वे समझे न समझे वे ..। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, आसंदी की ओर देखकर शर्मा जी बात करें। वे अजय चंद्राकर की ओर देखकर क्यों बात करते हैं ? आप इधर देखकर बात करिए न। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अजय चंद्राकर जी कभी आसंदी की तरफ देखकर बात करते हैं ? मंत्री जी को क्या बोल रहे हैं ? मंत्री जी को क्या बोले हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उनको भी बोल रहा हूं। मंत्री जी को तो बोल सकते हैं। उनको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो विधेयक लेकर आया है, उनको नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे। वापस लेने के लिए सभापति को नहीं बोलेंगे तो मंत्री जी को बोलेंगे। आपने गलत विधेयक लाया है। हम मंत्री जी को बोलेंगे।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी। प्लीज।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा है, गलत कार्य के लिए माफी मागूंगा और मेरे लिए बोला जाएगा तो मैं भी बाऊंसर दूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया विधेयक के संबंध में चर्चा करें।

श्री अजय चंद्राकर :- जो भाषा उन्होंने यूज की है, वही भाषा दी जाएगी। जो भाषा बोली जाएगी, वही भाषा बोली जाएगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इन्होंने विधेयक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज-प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने आपका और अन्य सदस्यों का संसदीय आचरण देख लिया है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, हमारे सत्तू भैया को [XX] आ रही है। आदरणीय सत्तू भैया, [XX] बन गया, इसके आगे कुछ नहीं बनोगे। क्यों गुणगान कर रहे हो। जो मिलना था मिल गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम यह कह रहे हैं कि विधेयक के ऊपर बात करे न। कहां बीरगांव की बात कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप किस मजबूरी में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक है। मेरी कौन सी बात [XX] है।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- विधेयक की दुर्गति कर दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- वे [XX] [7] बात करने के लिए [XX] हैं। जिंदगी भर [XX] बात किए हैं। मैंने [XX] बात नहीं की है। उनको कोई अधिकार नहीं है..। (व्यवधान) आप इस बात को क्यों कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह देखिए इनका आचरण है। इनका आचरण देखिए।

सभापति महोदय :- चलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। (व्यवधान) प्लीज बैठिए।

श्री अजय चंद्राकर :- बेकार बात मत करिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(4.03 से 4:09 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

4:09 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी अजय चंद्राकर जी ने बहुत सी बातें कही हैं । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस कॉपरेटिव एक्ट की जटिलताओं को समाप्त करने के लिए, एक सरलता लाने के लिए ताकि आम आदमियों का काम आसानी से हो इसके लिये यह विधेयक लाया है । 1907 अमेंडमेंट एक्ट को गुजरात में हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया था । सुप्रीम-कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, उसके बाद व्यावहारिक दिक्कतें आयीं, कई कठिनाईयां आ रही हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि नीचे की सोसायटी में अगर चुनाव नहीं हो पाये तो ऊपर के सेंट्रल अॅथारिटी अपेक्स बॉडी में कैसे चुनाव होंगे ? इसलिये नियमों को सुसंगित करने के लिये, सरलता करने के लिये यह एक्ट लाया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, कॉपरेटिव एक्ट की धारा, अधिनियम की धारा-1960 की धारा-59, 49, 50, 53 और 79 में संशोधन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर प्राईमरी सोसायटी के चुनाव नहीं हुए तो किसी भी सूरत में ऊपर के चुनाव हो नहीं सकते इसलिए अगर तीन चौथाई चुनाव हो जायेंगे तो ऊपर की सोसायटी में लगातार चुनाव हो जायेंगे । यह एक तरह से जटिलताओं को समाप्त करने के लिये, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिये यह एक्ट लाया गया है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और दूसरी बात यदि एक प्रतिनिधि सोसायटी के लिये अगर शीर्ष संस्था में चुन लिया गया है और अगर दूसरा प्रतिनिधि आया है, उसका कार्यकाल जब तक समाप्त नहीं होगा, जब

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

तक कि ऊपर की सोसायटी के चुनाव की अवधि समाप्त न हो जाये तब तक नीचे की सोसायटी में वह डॉयरेक्टर तो बना रहेगा लेकिन प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करेगा इसलिये बहुत छोटा सा संशोधन है और सारी समस्याओं को दूर करने के लिये यह संशोधन आवश्यक था । लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन हो इसके लिये यह संशोधन लाया गया है और प्रतिनिधियों में टकराव की स्थिति न हो इसके लिये यह संशोधन लाया गया है। माननीय चंद्राकर जी ने दुनियाभर की बातें की । उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव की बात की, मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 सालों में कॉपरेटिव का बंटाधार करने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है और जब हम इसे ठीक करने जा रहे हैं, हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं, सुव्यवस्था के कारण इनको तकलीफ होती है, चंद्राकर जी के उत्तेजित होने का यही कारण है और हम लगातार देख रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम बार-बार आ रहा है इसलिये मैं खड़ा हूं । मैं बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हूं, हमने कोई कॉपरेटिव आंदोलन को बर्बाद नहीं किया । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम लोग इनके हर दिन के आचरण से परेशान हैं । ये हर दिन इधर-उधर की बात करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यू.पी.ए. सरकार यह जो वैद्यनाथन कमेटी बनायी उसकी अनुशंसाओं को हमने स्वीकार किया । यदि वे जोर-जोर से बोल रहे हैं तो मैंने हमेशा बोला कि मुझे उनसे ज्यादा जोर से बोलना आता है । 15 सालों में हमने या हमारी सरकार ने कोई वसूली कभी नहीं की । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- 15 सालों में कॉपरेटिव का सत्यानाश करके रख दिया । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने कोई वसूली कभी नहीं की। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम जब आज ठीक करने जा रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है । कॉपरेटिव एक्ट में मंत्री जी ने संशोधन लाया है ।

श्री अमरजीत भगत :- रायगढ़ के एक सम्मेलन में मंत्री जी ने आप लोगों को क्या कहा था ? रायगढ़ का एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें आप लोगों को कहा था कि कमीशन खाना बंद कर दो, आप लोग नहीं माने ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीज बैठिये ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन लाया गया है वह उचित है और इसलिये कृपया इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, यह जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक लाया गया है यह शायद छत्तीसगढ़ के और देश के इतिहास में

काला अध्याय होगा । अजय चंद्राकर जी ने बताया कि वैद्यनाथन कमेटी किसने बनायी थी । क्या यह वैद्यनाथन कमेटी के जो रिकमंडेशन हैं उसके अनुरूप है ? क्या इस छत्तीसगढ़ के गांव के लोग जो सोसायटियों के सदस्य बनते हैं, जो किसान बनते हैं, जो हमारे आदिवासी बंधु बनते हैं । क्या उनको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है ? उनके अधिकारों को छीनने का काम, आप इसमें नया क्या कर रहे हैं ? आप सोसायटी के लोगों को एक-एक बिंदु के बारे में चूंकि अभी अजय चंद्राकर जी ने बताया कि छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़िया की बहुत बात करने वाले लोग क्या ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का यही सपना था ? छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन के जनक थे । माननीय भूपेश बघेल जी, रविन्द्र चौबे जी आप मध्यप्रदेश में अर्जुन सिंह जी को अपना नेता मानते हैं । पूरे संयुक्त मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम उन्होंने किया । आज आप क्या कर रहे हैं ? आज आप इसके माध्यम से गांव के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, जो अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, उनको आप नॉमिनेट करेंगे । बैंकों में आप नॉमिनेट करेंगे, लेम्स में आप नॉमिनेट करेंगे, सोसायटियों में नॉमिनेट करेंगे । आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप 2500 रूपये दे रहे हैं । किसान आपके साथ में हैं, उसके बाद में आपको क्यों यूं-यूं हो रही है ? क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं ?

श्री संतराम नेताम :- केंद्र की सरकार मोदी जी भी तो कई नियमों को बदल रहे हैं, कई रेल्वे और हवाई अड्डे बेच रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां छत्तीसगढ़ की बात हो रही है।

श्री संतराम नेताम :- हम भी तो केन्द्र में हैं। आदरणीय केन्द्र से भी तो हमारा संबंध है। आप केन्द्र को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संतराम जी, आपके गांव के लोग अब सोसाटियों के प्रतिनिधि नहीं बन पायेंगे। सोसाइटियों में जिन्हें प्रतिनिधि बनना है, वे कुछ लोगों का जेब भरेंगे। उनका नाम recommend हो जायेगा और वे नॉमिनेट हो जायेंगे और वे भ्रष्टाचार करने के लिए बनेंगे।

श्री संतराम नेताम :- 15 साल हम लोग भी सोसाइटी में लड़े हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे भ्रष्टाचार करने के लिए बनेंगे। पैसा कमाने के लिए बनेंगे। क्या ये को-ऑपरेटिव सोसाइटियां धान खरीदी की सोसाइटियां, वनोपज खरीदी की सोसाइटियां पैसे वाले लोगों की है? बड़े लोगों की है? ये आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, जमीन से जुड़े हुए लोगों की है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अग्रवाल जी, यही सलाह आप आदरणीय मोदी जी को दे दें। भारत सरकार को और भारत की जनता को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं । यही सलाह आप बराबर उधर देते तो शायद आज परेशान नहीं होते। आज देख लीजिए कि हवाई अड्डा बिक रहा है। रेलवे बिक रहा है। आखिर आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोगों ने भी तो 15 साल चुनाव लड़ा है। सभापति

महोदय, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की चिंता है कि किसानों को किस प्रकार से मदद मिले। किस प्रकार से किसानों को लाभ मिले। इसलिए छोटा सा विधेयक लाया गया है, इसे पास करना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संतराम जी, आप अगर इस विधेयक पर बोलते और मुझे बताते कि नॉमिनेशन से ये फायदा होगा, संतराम जी आपके लोग भी नॉमिनेट नहीं होने वाले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- न आप होने वाले हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको तो हम योग्य मानते हैं। मैं 2-3 लोगों की तारीफ करता था कि बस्तर से जीतकर आने वाले 2-3 लोग अच्छा बोलते हैं। सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, परंतु योग्य लोगों की कोई कीमत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। मोबाइल में चल रहा है, नियुक्तियों के लिए कैसे पैसे मांगे जा रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- अग्रवाल साहब, आप सीधा कोरा झूठ बोल रहे हैं। यह जेब भरने वाली पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी जेब भरने वाली पार्टी नहीं है। दूसरा, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। आप थोड़ा तो सच बोलिए। इधर तो पूछने वाला नहीं है। प्रतिपक्ष में खूब लड़कर देखा, कुछ हुआ नहीं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बैठिए।

श्री कवासी लखमा :- 15 सालों में डॉ. रमन सिंह कुछ नहीं पूछ रहे थे। आप थोड़ी ठीक-ठाक बात करिए। ये फालतू चक्कर में मत फंसिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, आपके भी क्षेत्र में को-ऑपरेटिव सोसाटियां हैं। धान खरीदी सोसाइटियां हैं। लैंपस हैं। वन खरीदी, वनोपज खरीदी, लघु वनोपज खरीदी की सोसाइटियां हैं। उन सोसाइटियों में चुनाव होता, अब यह नहीं होगा।

श्री कवासी लखमा :- हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब वे नॉमिनेट हो जायेंगे।

श्री कवासी लखमा :- अग्रवाल साहब, अब तक कृषि मंत्री थे। आपने 15 साल में कितनी धान खरीदी सोसाइटी खोला था? जब अर्जुन सिंह सिंह जी ने सोसाइटी खोला था, इंदिरा गांधी जी ने खोला था। वही सोसाइटी थे। 15 साल में आप लोगों को धान खरीदी केन्द्र खोलने से किसने रोका था। आप भूपेश बघेल को बधाई दीजिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में 2000 धान खरीदी केन्द्र खोला है। आदिवासी ग्राम कुडरू में, भोपालपट्टनम में, अबूझमाड़ में दो धान खरीदी केन्द्र खोला है। यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और वह धान खरीदी केन्द्र कितने घाटे में है?

श्री कवासी लखमा :- कोई घाटे में नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह लैंपस कितने घाटे में है? आज मेरे प्रश्न के जवाब में है। 1 लाख 71 हजार टन धान सड़ गया।

श्री कवासी लखमा :- वह पिछले साल का धान था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1 लाख 71 हजार टन धान वर्ष 2020-21 में सड़ गया। 1 हजार करोड़ रूपये का घाटा हो गया।

श्री कवासी लखमा :- यह आपके समय का है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज के प्रश्न के उत्तर में है।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- इस साल धान का समय से पहले उठाव हो गया है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- इतनी चिंता है तो एथेनॉल बनाने की परमिशन ले आइए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- और हम लोगों ने सब जगह शेड बनाया है, इसलिए कहीं पर धान का नुकसान नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी केन्द्र बढ़ाये गये हैं। उठाव सही समय पर किया गया है।

सभापति महोदय :- राठिया जी, बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव बदनाम हो गया है। को-ऑपरेशन विथ करप्शन। मिल-जुलकर पैसा खाने के लिए ये नियुक्यिां होंगी। चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा तो जनप्रतिनिधि चुनकर आयेंगे। अगर यह केन्द्रीय कानून नहीं होता, चुनाव आयोग नहीं होता तो आप सब लोग भी चुनकर नहीं आते। ये कानून ले आते कि हम विधायक भी नॉमिनेट कर देंगे। जब आपको चुनकर आने का अधिकार है तो गांव के लोगों को चुनकर आने का अधिकार क्यों नहीं है? जब आपको चुनकर आने का अधिकार है तो लैंपस के लोगों को चुनकर आने का अधिकार क्यों नहीं है? उनको अपना अध्यक्ष बनाने का अधिकार क्यों नहीं है? जरा अपने ऊपर बीतेगी तो उसके बारे में सोचो। गांव के लोग कहेंगे ये तो चुनाव जीतकर विधान सभा में जाना चाहते हैं लेकिन हम छोटा सा पद, सोसायटी के सदस्य बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकतेस । हम लैम्पस का सदस्य बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते । किनकी नियुक्ति होगी, कौन नियुक्त किये जाएंगे, कौन नियुक्त होंगे ?

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, महाराष्ट्र देख लीजिए ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, इनके जैसे विधायकों को बंधक नहीं बनाएंगे । महाराष्ट्र के विधायकों को आसाम नहीं ले जाएंगे । हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है । आपकी तरह खरीद-फरोख्त नहीं होगी । क्या हिंदुस्तान नहीं जान रहा है, हिंदुस्तान की जनता नहीं देख रही है । विधायकों की खरीद-फरोख्त कौन कर रहा है । मुर्गी, बैला जैसे हो गए हैं, पहले बैला खरीदी होती थी ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- मोदी जी के एजेंडे की बात कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 28 तारीख को कितने लोग दिल्ली जाने वाले हैं, 29 को कितने लोग जाने वाले हैं । कितने प्लेन बुक हुए हैं । मुझसे मत पूछो ।

श्री कवासी लखमा :- खरीद-फरोख्त में थोड़े ही जाएंगे । कभी भी जुगाड़ मत लगाना, ये छत्तीसगढ़ के सीधे-सादे लोग हैं । तुम्हारे चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- दूसरे के घर की बहुत जानकारी रखते हैं आप ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं सहकारी विधेयक पर बात कर रहा हूं । इस विधेयक पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है । कोई दिल्ली की बात कर रहा है, कोई आसाम की बात कर रहा है, कोई यू.पी. की बात कर रहा है । मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का, गांव के लोगों का, आदिवासियों का अधिकार छीनने वाला कोई विधेयक है तो यह काला विधेयक है, संशोधन विधेयक है जो गांव के लोगों का अधिकार छीन रहा है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आदिवासियों का अधिकार नहीं छीना है ।

श्री गुलाब कमरो :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार, देश की पहली सरकार है जो आदिवासियों की चिंता करने वाली है और आदिवासियों को सम्मान दिया है । छत्तीसगढ़ की पहली सरकार है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं तो कहना चाहता हूं इस सदन में बैठे हुए लोगों को (xx) आनी चाहिए कि हम अपने लिए वोट मांगते हैं लेकिन गांव वाला अपने लिए वोट नहीं मांग सकता, आदिवासी अपने लिए वोट नहीं मांग सकता ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बस्तर में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखिए कि आदिवासियों को क्या दिया है । जो 15 सालों में आप लोगों को ने आदिवासियों को झूठ बोल-बोलकर, गाय देंगे, जर्सी गाय देंगे ।

श्री गुलाब कमरो :- केन्द्र में तीन काले कानून लाए थे, ये किसानों की बात करेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- पहले तो मुख्यमंत्री जी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष होते थे । बस्तर विकास प्राधिकरण हो या सरगुजा विकास प्राधिकरण हो । माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार आदिवासियों को सम्मान दिया है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जर्सी गाय के नाम पर आदिवासियों से छल किया । हमारी सरकार ने तो आदिवासियों को बहुत कुछ दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सदन के नेता हैं । आपने मेरे लिए कहा कि मैं खड़ा होता हूं । आप सदन के नेता हैं, मैं मानता भी हूं, यदि इसलिए लगाया क्योंकि एक निर्देश उधर भी दे देते तो सदन अच्छा चलता । आपने केवल मुझे निर्देश दे दिया ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं इसके कारण और उद्देश्य पढ़ रहा था । इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपके इस कानून के आने से गांव के किसानों को, आदिवासियों को फायदा होगा । क्या यह सरकार जनता की भलाई के लिए चल रही है ?

श्री गुलाब कमरो :- सभापति महोदय, जब देश में तीन काले कानून आए थे तो उस समय ये क्हां थे ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सहकारी समितियों में जो धान बेचते हैं वही किसान इसके सदस्य बनेंगे ।

सभापति महोदय :- राठिया जी प्लीज बैठिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या यह सरकार आदिवासियों की भलाई के लिए चल रही है, आप उनका अधिकार छीन रहे हैं । आप किसानों का अधिकार छीन रहे हैं, उनको प्रतिनिधि बनाने का अधिकार आप छीन रहे हैं ।

श्री गुलाब कमरो :- आदिवासियों को सम्मान देने वाली भूपेश सरकार है । 15 साल भाजपा की सरकार रही तो एक भी आदिवासी को प्राधिकरण का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारी सरकार ने आदिवासियों को जो सम्मान दिया है, वह आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- और यदि अधिकारों के हनन की बात करें तो पहले पूरे प्रधिकरण एक जगह पर रहते थे, मुख्यमंत्री के कार्यालय में उसका केन्द्रीयकरण होता था, हमारी सरकार ने विकेन्द्रीकरण करके दिखाया है ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- तो आप लोग तो बिचक गए हैं ।

सभापति महोदय :- राठिया जी, बैठिये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सभापति महोदय, विधेयक पर चर्चा हो रही है तो उसमें सभी को बोलने का अधिकार है । यदि सारे सदस्य खड़े हो जाएंगे तो उस विधेयक पर चर्चा कौन करेगा ? या तो सबको अवसर दे दीजिए, उसमें मंत्री को भी बोलने का अधिकार है, बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, बार-बार तो ये लोग खड़े हो जाते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- देवेन्द्र जी, आप विधेयक पर बोलिए । सबको बोलना चाहिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- नेता जी, यही बात आपको चंद्राकर जी को बोलना चाहिए, वे बार-बार खड़े होते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि कोई सदस्य बोल रहे हैं तो इधर से भी खड़े हो जाएंगे, यहां से भी खड़े होंगे, यहां से भी खड़े हो जाएंगे तो बोलेगा कौन ?

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आज तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- बोलेगा कौन? विधेयक पर सबको बोलने का अधिकार है। हम लोग बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? हम लोग आज इसी विधेयक पर चर्चा करेंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नेता जी, आप तो बात करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, You are very condused.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप विधेयक पर चर्चा करेंगे तो हम लोग क्यों खड़े होंगे। आप इधर-उधर की बात करते हैं, आप विधेयक पर चर्चा कीजिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक जी विधेयक पर अन्य साथियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- राठिया जी, आप बार-बार खड़े मत होईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जी, हम लोगों ने अमरजीत जी को भी देख लिया है। वह अपनी विभाग में चर्चा को छोड़ कर सब विभागों की चर्चा में खड़े होंगे। आपके सामने वाले को देख भी लिये हैं। उस समय बगल वाले को झांकते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आपके अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन जी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समिति बनी है, वह किसानों के लिए बनी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप क्या करते हैं? आप भी जवाब नहीं देते हैं, गुमराह करते हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिये-बैठिये। राठिया जी, बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय ..।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- बृजमोहन जी, एक मिनट। अभी आप यह कह रहे थे कि किसके भले के लिए लाया जा रहा है? सहकारिता के क्षेत्र में किसकी लिए काम हो रहा है? तत्कालीन सरकार के समय सहकारिता क्षेत्र के कुछ बड़े नेता विदेश यात्रा गये। फूल पेज का विज्ञापन छपा कि सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अध्ययन करने के लिए और वह लौटकर आये, उनका भव्य स्वागत हुआ। बाद में जब पता किये कि जिस उद्देश्य से वह अध्ययन करने गये थे, लेकिन वहां सहाकरिता ही नहीं थी। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- और गोविंद नारायण सिंह जी के पास को-ऑपरेटिव के बारे में एक फाईल पहुंची थी, उसमें खाओ पियो और मजा करो विभाग लिखा था।

श्री अमरजीत भगत :- अग्रवाल साहब, You are very condused and wrong encrypted this bill. (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके लिए मैं अमरजीत जी को धन्यवाद देता हूँ कि वह आजकल अंग्रेजी सिख रहे हैं। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- 15 साल बाद यह होगा। आज बस्तर के लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यह विधान सभा में 15 साल बाद पहली बार अंग्रेजी में बात चलेगा। यह भूपेश बघेल जी का नाम लिखायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, चूंकि मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो मैं हर चीजों का जवाब दे सकता हूं। मैं अकबर जी का भी जवाब दे सकता हूं कि विदेश कौन-कौन जाते हैं? कब-कब जाते हैं? किसके पैसे से जाते हैं? कितना ऐश करते हैं? उनकी रिपोर्ट कैसी आती है?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, विषय पर आयेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, अकबर जी ने कहा। तो विधेयक में मैं इसके ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। बीच में एक मंत्री जी ऑटो-मोबाइल्स के लिए पूरा आटो-मोबाइल का चीज आयेगा करके कनाडा गये थे, लेकिन अभी तक एक नट बोल्ट नहीं आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो बहुत सारी चीजों को हम अपने आप को, नहीं मैं तो कहना चाहता हूँ ...।

श्री कवासी लखमा :- बस्तर के लोग विदेश जायेंगे तो आप लोगों को तकलीफ हो गया। यह गरीब लोगों की मदद करने वाली भूपेघ बघेल जी की सरकार, सोनिया गांधी जी की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) तुम्हारे जैसे बड़े लोगों की नहीं।

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो भाजपा की सरकार में भी विदेश गये थे।

श्री अजय चंद्राकर :- सोनिया गांधी की सरकार है तो यह भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन गया था?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो ऑटो मोबाल्स बोला, मैंने और कुछ थोड़ी बोला। मैंने आपका नाम थोड़ी लिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मजीत जी, वह सोनिया सरकार है क्यों कहते हैं? हम तो समझते हैं कि यहां भूपेश जी की सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे अकबर भाई ने को-ऑपरेटिव बैंक लाने का बताया, वैसे ही मैंने ऑटो-मोबाइल का बता दिया। इसमें दिक्कत क्या है? जब हम यह भी नहीं बोलेंगे तो इतना प्रतिबंध में थोड़ी बात करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग सब कुछ आज ही बोल लेंगे तो कल क्या करेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ रहा था। उद्देश्य और कारणों में कहीं पर नहीं लिखा है कि जनहित के लिए लाया जा रहा है। मैं इसकी धाराएँ देख रहा था।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप उधर देखकर मत बोलिये, सभापति जी की तरफ देखकर बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि आप सदन के नेता हैं। आपने देखा है कि मैंने किसी सदसय का जवाब नहीं दिया है। यदि मैं जवाब देता तो उलझ जाते। मैं अपने विषय पर ही बोल रहा हूँ। धारा-49 का संशोधन, आप जरा मुझे बतायें कि इसमें जनहित कौन सा है? धारा 50 पर संशोधन है, इसमें कौन सा जनहित है? धारा-53 का संशोधन, इसमें कौन सा जनहित है? धारा-79 का संशोधन, इसमें कौन सा जनहित है? यदि यह सदन जनहित के लिए है, छत्तीसगढ़ की पौन तीन करोड़ जनता की पूर्ति के लिए है, यह सदन कांग्रेसियों के हितों की पूर्ति के लिए नहीं है। आप हजार, 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार कांग्रेस के लोगों को नियुक्त कर देंगे, पर उससे उससे गरीब किसान, सीमांत किसान, जो सोसाटियों का सदस्य है, हमारा गरी आदिवासी, वनवासी जो लैम्पस का सदस्य है, वह कैसे प्रतिनिधि कैसे बनेगा और नेता कैसे बनेगा ? हम तो सोचते हैं कि सोसायटियां नर्सरी होनी चाहिए और यहां से उनको राजनीति सीखनी चाहिए और उनको चुनाव लड़ना सीखना चाहिए और उसके माध्यम से वह विधायक और सांसद बने।

श्री अजय चंद्राकर :- सुभाष यादव जी जैसे मुख्यमंत्री बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जैसे एक गरीब आदिवासी परिवार से जाकर मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं। वैसा बने परंतु कांग्रेस तो नर्सरी की ही हत्या कर रही है उसको मार रही है।

श्री नारायण चंदेल :- भ्रूण हत्या।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसकी भ्रूण हत्या कर रही है और यह एक काला संशोधन विधेयक है इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ के किसानों और वनवासियों के विरोध में है। यह विधेयक केवल 2000, 5000, 10,000 कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए लाया गया है। यह जो सहकारिता की भावना है, यह जो सहकारिता की आत्मा है और जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट है और हमारे छत्तीसगढ़ के पुरोधा ठा. प्यारेलाल सिंह के सपनों की हत्या करने वाला विधेयक है इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करियेगा। श्री शैलेश पाण्डे जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ठा. प्यारेलाल जी के साथ अकबर जी का भी नाम जोड़ दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी का कॉपरेटिव से दूर-दूर तक संबंध है।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज ही अखबार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व...।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डे जी, आप तो बिना देखे बोल लेते हों।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। अखबार में उनका एक बड़ा वक्तव्य आया है और वह पूरे देश में छपा है। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वह केन्द्रीय मंत्री हैं। उनका वक्तव्य छपा है। उन्होंने उस वक्तव्य में कहा है कि आजकल की जो राजनीति है उसमें केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शैलेश पाण्डे :- उन्होंने कहा है कि मैं थक गया हूं और मैं घर में जाकर बैठ जाऊंगा। उनका नाम लेना जरूरी नहीं है लेकिन आज के अखबार में यह आया है। स्वाभाविक-सी बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, कार्य संस्कृति है उसके अनुरूप ही उन्होंने...।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपने महाराष्ट्र के लिए जो बात कही कि महाराष्ट्र में जो उल्टा-पुल्टा हुआ है उसके लिए वह बहुत दु:खी हैं। वह आज के पेपर में छपा है कि वह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में वह अभी मंत्री हैं। महाराष्ट्र में उल्टा-पुल्टा होने से वह बहुत दु:खी है इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो राजनीति चल रही है। पूरे देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चाहे वह...।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- प्रजातंत्र की हत्या हुई है।

श्री शैलेश पाण्डे :- चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे वह गोवा हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह उत्तरप्रदेश हो और चाहे वह यहां हो।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पाण्डे जी, संसद में जो हो रहा है आप उसके बारे में बोलिये। आप संसद में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं आप उसके बारे में बोलिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ब्रम्हऋषि और धर्मात्मा जैसी बातें करने से सत्य नहीं छिप जाएगा। सत्य को इस देश की जनता भी जानती है और इस प्रदेश की जनता भी जानती है कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, 2022 जिसे आज हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी प्रस्तुत किये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और दिसम्बर, वर्ष 2018 में छत्तीसढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है उससे पहले 15 वर्षों तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहां पर थी ? चाहे सोसायटिज हों, चाहे स्व-सहायता

समूह हो, चाहे रेडी टू ईट हो, उन सब जगहों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते थे। क्या इस बात से कोई मना करेगा ? नहीं करेगा।

श्री कवासी लखमा :- पाण्डे जी, वह भारतीय जनता पार्टी के भी कायकर्ता नहीं हैं। नागपुर से जो फोन आता था, वह वही करते थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अपने समय में 15 वर्षों तक अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया। जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमने उनको नहीं हटाया। वह अभी भी रेडी टू ईट का काम कर रहे थे। जो रेडी टू ईट का विरोध करते हैं आज भी उनके समूह रेडी टू ईट का काम करते हैं। हमारी सरकार दुर्भावना से काम नहीं करती है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से किसानों का सम्मान बढ़ा है। धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये दिया गया है। सोसायटियों की संख्या बढ़ाई गई है और धान खरीदी केन्द्र बढ़ाये गये हैं। ये सारी बातें क्या कहलाती हैं ? हमने ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ दिया है। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों को सुविधाएं दी हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकरण किया, जिससे कि किसानों को और उनके प्रतिनिधियों को लाभ मिल सके। आप धान सड़ने की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्रों में धान कब से सड़ रहा है। आपने क्या किया ? वही काला वाला पन्नी लगा दिया । जहां पैसा मिल गया, वहां आपने पन्नी लगा दिया । जहां पैसा नहीं मिला, वहां पन्नी नहीं लगा पाये, धान सड़ गई । इस प्रदेश में 36 हजार करोड़ रूपए के धान का घोटाला हुआ है । हम वह सब बातें भूल गए । अगर आज किसान खेती कर रहा है, कुछ व्यस्त है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, कौन से 36 हजार करोड़ रूपए के धान का घोटाला हुआ है, जिसको भूल गए । एस.आई.टी. बनी है । एस.आई.टी. की रिपोर्ट दब गई । एस.आई.टी. बने तीन साल हो गए हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- कल बहुत सारी बातें होंगी । कल आपको और जवाब दिया जाएगा ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इसमें अभी शिवरतन जी ने कहा । उसको कोर्ट में जाकर किसने जांच को रूकवाया है ? इनको अच्छी तरह से मालूम होगा । आप एस.आई.टी. की बात कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सरकार एस.आई.टी. बनाने में एक्सपर्ट है, पर एस.आई.टी. की रिपोर्ट कभी प्रस्तुत न करने में भी यह सरकार एक्सपर्ट है ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आप इतने निर्भीक और पाक साफ थे तो कोर्ट में जाकर क्यों स्टे लगवाया ? जांच होने देते ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, किसान कहीं विरोध नहीं करते हैं । आपको याद होगा, मैं 2018-19 की बात बता रहा हूं । जब 2019 में हमारी सरकार सत्ता में आई तो पहले साल धान खरीदी

हुई, तब उन सोसाईटियों में 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य दिये गये, पैसा ट्रांसफर किया गया और वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उन समितियों में थे । आप याद कीजिए, यह पहले साल की बात है । इस सदन में कितना हंगामा हुआ था कि पैसा नहीं पहुंचा है, पैसा नहीं पहुंचा है और उसी वक्त थोड़ी दिन बाद विधान सभा सत्र भी हुआ था । उसमें कितना हंगामा हुआ था, जबकि यह सब बातें असत्य थीं, पैसा दिया जा रहा था, पैसा पहुंच रहा था । कुछ समय सभी चीजों में लगता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह संशोधन विधेयक का हिस्सा है क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे :- भावना का हिस्सा है ।

श्री सौरभ सिंह :- पाण्डे जी, आप उच्च शिक्षा के बारे में बोलेंगे तो समझ में आता है । सोसायटी के बारे में क्या बोल रहे हैं ? जो नहीं जान रहे हो, उसके बारे में मत बोलिए न । आगे बढ़ाओ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सीवरेज एक्सपर्ट हैं, खोदापुर एक्सपर्ट हैं । इसके एक्सपर्ट तो माननीय अमरजीत जी हैं । आप कहां फंस गए हो ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, हम सब सीखने आते हैं, हम सबको सीखते रहना चाहिए । जिस प्रकार से किसानों का हित पिछले साढ़े तीन साल से कांग्रेस की सरकार कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । यह बात किसी से छिपी नहीं है । चाहे कोई सी भी योजना हो, राज्य के बाहर से आकर लोग यहां स्टडी कर रहे हैं, हमारी सरकार की योजनाओं को समझ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि यहां की योजनाओं को एडाप्ट किया जा सके, ताकि बाकी राज्यों में वह योजनाएं हम लागू कर सकें । आज आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं । कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं । आपने कौन सा लोकतंत्र का पालन किया, इस देश में लोकतंत्र का पालन कहां हो रहा है ? अगर किसान खेती में लगा हुआ है, अगर धान की खेती की जा रही है, इस वक्त धान की पैदावार के लिए काम किया जा रहा है, इसके कारण उनका प्रतिनिधिमण्डल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन किया, मांग की और उस मांग के आधार पर कोई संशोधन लाया जा रहा है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, उसको राजनीतिक चश्में से क्यों देखा जा रहा है? यह हम सबके भलाई के लिए है, हमारे किसान भाईयों की भलाई के लिए है । आज सोसायटियों में जो भी व्यक्ति सदस्य बनता है, वह कहां से आता है । वह किसान ही तो होता है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डे जी, नजर का चश्मा एक ही होना चाहिए, राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए, केवल नजर का चश्मा होना चाहिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, कल भी बोलने का मौका आएगा, कल भी आप बोलेंगे, हम लोग भी बोलेंगे । सहकारी सोसाईटी विधेयक में जिन धाराओं में संशोधन किए गए हैं, मैं

उन सभी संशोधनों का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि हम सबको सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कराना चाहिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक, 2022 का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, विरोध करने के पीछे कारण यह है कि इस संशोधन के पीछे शासन की मंशा पवित्र नहीं है। इस संशोधन के पीछे शासन की मंशा अपने राजनीतिक उदेद्श्यों की पूर्ति करना है। इसमें में जो महत्वपूर्ण संशोधन हो रहे हैं, उसमें "छः मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचर करवायेगा" का लोप किया जाये। अगर को-आपरेटिव एक्ट में समय सीमा के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है, तो आप समय सीमा में चुनाव कराने के उस अधिकार को क्यों समाप्त कर रहे हो। सोयायटी मे चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर जायें, वे सोसायटियों के सदस्यों के लिए ज्यादा अच्छे से काम करेंगे या प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा अच्छा काम करेगा या जो नामांकित होगा, वह ज्यादा अच्छा काम करेगा ? हमारे यहां 22 सौ से 23 सौ सोसायटियां हैं। मैं समझता हूं कि इन सोसायटियों के लगभग छत्तीसगढ़ के 90 प्रतिशत किसान इन सोसायटियों के सदस्य हैं। अगर इन सोसायटियों का चुनाव होता है तो वास्तव में हमारे देश का लोकतन्त्र कितना मजबूत है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। गांव का किसान भी वोट डालने के लिए जाता है और वह 11 वोट डालता है, उसमें सबकी अलग-अलग छाप रहती है तो भी उसके 90 प्रतिशत वोट सही पड़ते हैं। ऐसे मजबूत लोकतान्त्रिक देश में आप सोसायटियों के लोकतान्त्रिक अधिकार को समाप्त करने के लिए विधेयक ला रहे हो। क्या आपके मन का विश्वास समाप्त हो गया है कि अगर चुनाव होगा तो आपकी पार्टी के लोगों को सफलता नहीं मिलेगी ? इसलिए आप यह संशोधन विधेयक ला रहे हो ? आपने अपने उदेद्श्यों को उपाबंध में क्लीयर कर दिया है "यह और कि व्यक्तियों की समिति की दशा में, रजिस्ट्रार समिति में सम्मिलित एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति, संबंधित समिति के सदस्यों में से नामांकित किए जा सकेंगे। " माननीय सभापति जी, आप यह जो संशोधन लेकर आये हो, आपने उपाबंध में उदेद्श्यों को क्लीयर कर दिया है।

माननीय सभापति जी, विधेयक पारित नहीं हुआ है। परन्तु पूरे छत्तीसगढ़ में इस नियुक्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक वीडियो क्लिंपिंग सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इसमें कांग्रेस के एक पूर्व ब्लाक अध्यक्ष का कथन है और वह पूर्व ब्लाक अध्यक्ष एक किसान से बात कर रहा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, वह जो वीडियो है, वह फर्जी है। आडियो फर्जी है। प्रदेश में ऐसी बात ही नहीं हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- जांच करा लो न ? संतराम जी का कहना है कि फर्जी है। मैं क्लिंपिंग रख देता हूं, आप जांच करा लो। आप पटल में रखने की अनुमति दो, इसकी जांच करा लो। माननीय सभापति जी, ब्लाक कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष गुर्रा सोसायटी भाटापारा ब्लाक के एक किसान को फोन करता है कि मेरी कांग्रेस के एक बड़े नेता से बातचीत हो गई है, उस नेता ने कहा है कि मैं पूरे ब्लाक में नियुक्ति करा दूंगा, एक लाख रूपया प्रति सोसायटी देना पड़ेगा। और यह नियुक्ति धान खरीदी शुरू होने से पहले हो गई है।

श्री संतराम नेताम :- यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। आप यहां पर झूठी गलत कहानी गढ़ रहे हैं। प्रदेश में ऐसी बात ही नहीं हुई है। अभी तो विधेयक लाया गया है और आपको ऐसे कैसे पहले से सूचना मिल गया ?

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, कैसेट बनाना, सी.डी. बनाना यह पुराना धंधा है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह भी विपक्ष का षड़यंत्र है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, आप यह बताईये कि धान खरीदी में किसानों को तुरन्त पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ? आप लोगों के समय लोग चेक ले-लेकर घूमते थे।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अगर यह बात झूठी है तो मैं चुनौती देता हूं, आप जांच कराईये न। इसमें तो वाइस रिकार्ड है। आप जांच करा लीजिये, दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सभापति महोदय, आप हर बार इस बात को लगातार उठा रहे हैं और सत्र में उठा रहे हैं । जांच करने की अपनी प्रक्रिया है, यदि आपके पास है, सही है, थाना में दे दीजिए, वह जांच कर लेगा । यहां बार-बार कहने का क्या मतलब है और यहां देना है तो उसकी प्रक्रिया है । उस प्रक्रिया में आईये, आपको कौन रोक रहा है । यहां भी आपको देना है तो उसकी प्रक्रिया है, आ जाईये कौन रोक रहा है ? लेकिन आपके पास है तो थाने में एफ.आई.आर. कराईये, कार्यवाही होना चाहिये । जो भी गलत है, उसमें सख्त कार्यवाही होना चाहिये । आप इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश मत करिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर मैं इस मामले को उठा रहा हूँ, इसमें तकलीफ किस बात की है ? प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बात को जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूँ । मुख्यमंत्री जी थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात करते हैं । नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री जी को कहना था कि पटल में रखो, मैं इसकी जांच कराऊंगा और दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- गलत-शलत बयानबाजी कर रहे हैं, यहां भी अगर रखना है तो उसकी प्रक्रिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने इसलिए अनुमति मांगी है ।

श्री भूपेश बघेल :- पहली बात तो यह है कि आप किसी इन्सट्रूमेंट्स का प्रदर्शन नहीं कर सकते । आप वरिष्ठ सदस्य हैं । दूसरी बात, आपको यदि रखना है, कोई क्लिपिंग देना है, जानकारी देना है, तथ्य देना है, विधान सभा अध्यक्ष है, विधान सभा सचिवालय है, उस प्रक्रिया में आईये । आपको कौन रोक रहा है ? लेकिन बार-बार इस प्रकार कहना कि मेरे पास है, मेरे पास है, यह केवल आपके पास अफवाह फैलाने का तन्त्र है, जिसके माध्यम से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- विषय में आईये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं विषय में बोल रहा हूँ । माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं । मैं सदन के सभापति से अनुमति मांग रहा हूँ...।

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, आपने कोई सूचना दी है ? सभापति जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन के सभापति से मैं अनुमति मांग रहा हूँ, इससे बढ़िया और कौन सी प्रक्रिया होगी ? यह मेरे को बता दो ।

श्री संतराम नेताम :- सदन के नेता खड़े हैं, थोड़ा सा ।

श्री भूपेश बघेल :- इन्स्ट्रूमेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप इसकी सूचना सचिवालय को दिये हैं ? आप जिस प्रदर्शन को सदन में कर रहे हैं, यदि आपको उस प्रकार से बात कहनी है तो उसकी प्रक्रिया है, क्या आपने पालन किया है, जो आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें नाराज होने की बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- नेतागिरी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- सदन में झूठ बोला जा रहा है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- अंदर कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये ।

एक माननीय सदस्य :- सदन प्रक्रियाओं से चलता है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पटल में रखने की अनुमति दे दीजिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन नियम प्रक्रियाओं के साथ-साथ ही परम्पराओं पर भी चलता है । अगर मुख्यमंत्री कह देंगे विधान सभा सचिव या माननीय सभापति को कि आप उसको पटल पर रखवा लें । वह रखवा लेंगे । आप सहमति दे दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- मैं क्यों सहमति दूं ? उसकी प्रक्रिया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी, बोलिये । चन्द्राकर जी । सभी प्रकार के विडियो और इन्स्ट्रूमेंट के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है । माननीय सदस्य अपनी बात करें ।

श्री देवेन्द्र यादव :- झूठ को परोसने की कोशिश कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- कौन सी नियम प्रक्रिया का पालन किया है आपने, विधान सभा के अंदर दिखा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सदस्य को यह कह सकते हैं कि आप बार-बार आरोप मत लगाईये, आपके पास कोई चीज है तो बताईये । मैं उसी रिफरेंस में आपसे आग्रह कर रहा हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- आप गुमराह करने की कोशिश फिर कर रहे हैं ।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आग्रह करता हूँ कि सदन के पटल पर रखने की अनुमति दीजिए । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इस तरह गुमराह करने का काम मत करिये । यह गलत बात है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- यदि आपमें हिम्मत है तो थाने में रिपोर्ट करिये । सदन में रखना है तो उसकी प्रक्रिया है, उसमें आईये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी वही आग्रह कर रहा हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- आज जबरदस्ती गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । सभापति जी, पहली बात यह है कि प्रदर्शन का उनको अधिकार है क्या । सदन अनुमति देता है कि वह इन्स्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन करे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिए ना ।

सभापति महोदय :- मैं पहले बता चुका हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- जो प्रक्रिया है, उसमें आईये । मैं सहमति क्यों दूं ।

श्री अमरजीत भगत :- पिछली सरकार में इतना बोलने से....। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- चन्द्राकर जी, प्रक्रिया में रहना पड़ेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं इसके संबंध में पहले ही कह चुका हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं, वह बोल रहे हैं। इतने सदस्य खड़े होकर क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं?

अप्रवेधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- नहीं, दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। .. (व्यवधान).

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य विधेयक पर अपनी बात रखें। .(व्यवधान)... प्लीज, आप लोग बैठिये। वोरा जी, प्लीज, आप बैठिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, कैसेट की बात कर रहे हैं। जो गणेश जी को दूध पिला सकते हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नियम प्रक्रिया में आने की बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के सामने बोल रहे हैं। यह नियम- कानून के विरूद्ध है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, नियम-प्रक्रिया से आयें। हमारे सोसायटी के बारे में बोल रहे हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सदन नियम-परंपराओं से चलता है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप विषय पर आईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं विषय में ही बोल रहा हूं। सदन नियम, परंपराओं से चलता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नियम तो आप ही तोड़ रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शर्मा जी, आप लोगों की सरकार में इतना करने पर तो प्रकरण दर्ज हो जाता था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैंने आपके सामने एक वीडियो क्लिक का जिक्र गया और आपसे आग्रह किया कि मुझे पटल पर रखने की अनुमति दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि नियम प्रक्रिया से आओ। इस सदन में दसों उदाहरण हैं कि माननीय सभापति जी ने, अध्यक्ष ने अनुमति दिया और पटल पर रखा गया है, कहीं कोई लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आंसदी अनुमति देती है और आसंदी की अनुमति पर रख दिया जाता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या इसको रखने के लिए सदन से अनुमति ली है ? क्या सचिवालय से अनुमति ली है ? अगर अनुमति नहीं लिया है तो उसको रखने की प्रक्रिया है। देखिये ऐसा है कौआ कान ला लेगे तेकर मतलब कौआ पाछु-पाछु नई भागत हे। कान लो देखे लागथे। समझ गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसे है मै न कौआ के पाछु भागत हौं और न कौआ कान ले गये हे एला देखत हौं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप विषय पर आईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी ला एतेक दर्द काबर होवत हे, मैं समझत नई हौं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसमें दर्द की क्या बात है, नियम, प्रक्रिया के आधार पर करिये न।

श्री अमरजीत भगत :- आप जितना किये हो न, इतने में तो आपकी सरकार रहती तो प्रकरण दर्ज हो जाता। पिछली सरकार में इतना करते थे तो प्रकरण दर्ज हो जाता था।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कृपया बैठिये। चलिये, आप विषय पर आईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस सदन के दसों उदाहरण हैं कि सभापति के कहने पर पटल पर बात रखी गई है। माननीय सभापति जी जो लोग नियुक्त होते हैं, खासकर जो नॉमिनेशन होता है, उनके कारनामों के विषय में भी इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। अभी दो दिन पहले ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जीवनी को लेकर के बड़ा विज्ञापन छपा था और शायद राज्य शासन ने और Co-Operative Sector ने ही उस विज्ञापन को छपवाया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने Co-Operative Sector के लिए इतना बड़ा काम किया, इतनी संस्थाओं को खड़ा करने का काम किया तो क्या ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का उद्देश्य वहां लोकतंत्र को कुचलना था या लोकतांत्रिक ढंग से नीचे का व्यक्ति ऊपर आये, ये प्रयास करना था। इस सदन में जितने लोग बैठे हैं उसमें आदरणीय मोहम्मद अकबर जी सोसायटी का चुनाव लड़ते रहे हैं। रायपुर जिला सहकारी बैंक में नॉमिनेटेड लोगों ने कैसे क्रियाकर्म किये, क्या-क्या कार्य किये, वह स्वयं भी विधानसभा में उठाते रहे हैं और एकात प्रश्न में तो आपने विधानसभा में डेढ़ सौ लोगों के एक साथ निलंबन की घोषणा भी की है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- हर गलत काम का हम लोग विरोध करते आये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसको मैंने उठाया था और कार्यवाई आपने की थी। माननीय सभापति जी, पर बड़ा विचित्र तर्क दिया जाता है, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वह खड़े होकर बोलते हैं कि संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है कि इससे जटिलतायें समाप्त होंगी। कौन सी जटिलता समाप्त होगी ? कैसे सोसायटी के सदस्यों को आराम होगा ? किसान को इस संशोधन से क्या लाभ होगा ? आप जरा स्पष्ट कर देते तो हम भी समझते कि कौन सी जटिलता समाप्त होने वाली है। माननीय सभापति जी, इस संशोधन का एक मात्र उद्देश्य है कि 20 से 25 हजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत करना, सोसायटी में नॉमिनेट करना, सिर्फ इस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। वैसे उनहत्तर मंडियों में भी नॉमिनेशन किया गया है। वैसे चुनाव को रोक करके इस संशोधन के माध्यम से कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए संशोधन विधेयक को लाया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया। माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने भाग लिया और इन्होंने अच्छे सुझाव भी दिये।

श्री अजय चंद्राकर :- ... का भी नाम ले दीजिये, वह लोग भी भाग लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया और शैलेश पाण्डे जी ने भी भाग लिया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- श्री शैलेश पाण्डे जी और सभी लोगों ने भी भाग लिया।

माननीय सभापति महोदय, हम सब भी यही चाहते हैं कि सहकारी आंदोलन अच्छे ढंग से चले। इसीलिये 50 वर्षों से जिन सहकारी समितियों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, हम लोगों ने उसका पुनर्गठन किया। आप लोगों ने भी कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई या आप लोगों को पुनर्गठन करने की इच्छा नहीं थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, इससे पूर्व में सहकारी समितियों के निचले स्तर पर समय पर चुनाव हुए हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरी बात तो सुन लो, आपने गठन तो नहीं कर पाया। आज पैक्स और लैम्पस की जो 1333 समितियां हैं। हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 2058 किया (मेजों की थपथपाहट)। जिससे किसानों को सहूलियतें मिली, वहां पर अच्छे ढंग से धान खरीदी हुई। सहकारी कानूनों में और जो जटिलताएं थीं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सहकारी कानूनों में जितनी भी जटिलताएं हैं, कैसे भी उसका सरलीकरण किया जाये। मैं भी बहुत बड़ा विषय का ज्ञाता नहीं हूं लेकिन मेरी समझ में जो भी आता है, मैं वह करता हूं और मुझे जो समझ में नहीं आता है तो मैं लोगों से पूछता भी हूं। इसकी जो सरल प्रक्रिया होनी चाहिये, हम सब लोगों ने मिलकर उसको सरल किया।

समिति का गठन 20 मेम्बरों में होता था, हमने उसको कम किया। जो सुनवाई 90 दिनों में होती थी, हमने उसको 45 दिन किया। इसका जो विभाजन हुआ, जो अभी लाया गया है, क्योंकि विभाजन के कारण जो चुनाव होंगे, उसमें काफी जटिलता है, उस प्रक्रिया को हम लोगों ने लाया है। इसमें अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं था कि पैक्स हो, चाहे लैम्पस हो, उसमें शासन से जो Board of Director बनते हैं, उसके बाद ऊपर की जिला कमेटी में जायेगी फिर वहां भी बनते हैं तो इसमें काफी समय लगता है। इसलिये हम लोगों ने कहा कि जब व्यवहारिक रूप में इसका पालन होता नहीं है। आप लोगों ने भी इसके चुनाव नहीं करा पाये। अपेक्स बैंक में जून 2013 से चुनाव नहीं हुए। उस समय किसकी सरकार थी? आप लोगों ने क्यों चुनाव नहीं कराया? आप लोग कल इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन आप लोग इसमें क्यों चुनाव नहीं करा पाये? क्योंकि इसमें यही सारी जटिलताएं थीं इसलिये नहीं करा पाये। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, रायपुर में 2013 से चुनाव नहीं करा पाये। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बिलासपुर, वहां पर 2015 से चुनाव नहीं करा पाये।

चुनाव में जो जटिलताएं हैं हम उसी को दूर करने के लिये यह विधेयक रख रहे हैं। चुनाव चाहे पैक्स का हो, चाहे लैम्पस का हो, चाहे सहकारी केंद्रीय बैक का हो, चाहे अपेक्स बैंक का हो, वह चुनाव हो। लेकिन उसके लिये जब पैक्स और लैम्पस के 3/4 चुनाव हो जाये, उसके बाद ऊपर की कमेटी का चुनाव हो, इसलिये हम लोग के द्वारा इस विधेयक को लाया गया है। आप लोगों क्या कहा कि इसमें बुराई है, इसमें ठीक भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने तो सहकारी केंद्रीय बैंक, जो जिला बैंक है, उसको समाप्त करने वाले थे। आप लोग क्या करने वाले थे? क्या इसको मजबूत करने वाले थे? आप जिला केंद्रीय बैंक को समाप्त करके सीधे अपेक्स बैंक और लैम्पस को बढ़ावा दे रहे थे। यह क्या सहकारी आंदोलन को मजबूत करने का इरादा था? हम लोगों ने उसको रोका। हम लोग सहकारी आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें आप सब..।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी कितने जिलों को अपेक्स बैंक संचालित करती है? कौन-कौन से जिले में बैंक नहीं है और वह बैंक कब Default हुए? आप अपेक्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बता दीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपके समय में रायगढ़ बैंक में Default हुआ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यहीं पर अंतर है। मैं आपको पूछ रहा हूँ। चूंकि आपने कहा कि आप जिला केन्द्रीय बैंक से अपेक्स खत्म करना चाहते थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं। अच्छा यह बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, रायगढ़, जशपुर छत्तीसगढ़ बनने के पहले से अपेक्स बैंक देख रहा है। आप तारीख निकलवा लीजिए, पूछ लीजिए, आप चीट मंगवा लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय,नहीं, लेकिन आप यह बताईये कि आप जिला केन्द्रीय बैंक को क्यों समाप्त करना चाह रहे थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 2 प्रतिशत कमीशन।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, नहीं तो आप क्यों समाप्त करना चाह रहे थे ? त्रिस्तरीय पहले से ही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने कहा। मैंने इसीलिये पूछा कि कौन-कौन से जिले में अपेक्स बैंक, बिना केन्द्रीय बैंक के और बिना सहकारी बैंक के अभी सीधे ऋण देती है, वह डिफॉल्ट कब हुए ? यह आप मुझे तारीख सहित बता दें। मैं आपका आरोप सही मान लूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को क्यों बंद कर देना चाह रहे थे ? इससे आपका आन्दोलन बढ़ता या उससे कम होता या मजबूत होता। हमने उसको रखा है। आपका केन्द्रीय बैंक, त्रिस्तरीय जरूरी है। वहां से जिला बैंक में आये और वहां से फिर अपेक्स में आये। इसमें चर्चाएं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत हो चुकी हैं। आप लोगों ने तो बहुत सारी बातें रखीं हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको अब पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 17 सन् 2022) परित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 17 सन् 2022) पारित किया जाए।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिविजन, डिविजन।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 17 सन् 2022) पारित किया जाए।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिविजन, डिविजन।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मैं पुन: प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 17 सन् 2022) पारित किया जाए।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिविजन, डिविजन।

सभापति महोदय :- मत विभाजन के लिए घंटी बजाई जाये और लॉबी को खाली कराया जाये।

सभापति महोदय :- अब मत विभाजन होगा।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के पक्ष में मत देना चाहें, वह मेरी दायीं ओर की लॉबी में तथा जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पारित किये जाने के विपक्ष में मत देना चाहें, वे मेरी बायीं ओर की लॉबी में चले जायें और वहां रखी मत विभाजन सूची में अपना हस्ताक्षर करें। उसके पश्चात् सभा कक्ष में लौट आएं।

सभापति महोदय :- विधेयक के पक्ष में 52 मत तथा विधेयक के विपक्ष में 12 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

हां पक्ष	**ना पक्ष**
1. श्री गुलाब कमरो	1. श्री ननकी राम कंवर
2. डॉ. विनय जायसवाल	2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्रीमती अंबिका सिंहदेव	3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री खेलसाय सिंह	4. श्री धरमलाल कौशिक
5. श्री पारसनाथ राजवाड़े	5. श्री रजनीश कुमार सिंह
6. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम	6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री चिंतामणि महाराज	7. श्री सौरभ सिंह
8. डॉ. प्रीतम राम	8. श्री नारायण चंदेल
9. श्री अमरजीत भगत	9. श्री शिवरतन शर्मा
10. श्री यू.डी.मिंज	10. श्री बृजमोहन अग्रवाल
11. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर	11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री चक्रधर सिंह सिदार	12. श्री अजय चंद्राकर

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

13. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
14. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
15. श्री लालजीत सिंह राठिया
16. श्री पुरूषोत्तम कंवर
17. श्री मोहित राम
18. डॉ के.के.ध्रुव
19. श्री शैलेश पाण्डे
20. श्री किस्मत लाल नंद
21. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
22. श्री द्वारिकाधीश यादव
23. श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर
24. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय
25. सुश्री शकुंतला साहू
26. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
27. श्री सत्यनारायण शर्मा
28. डॉ. शिवकुमार डहरिया
29. श्री धनेन्द्र साहू
30. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
31. श्रीमती संगीता सिन्हा
32. श्रीमती अनिला भेंडिया
33. श्री कुंवर सिंह निषाद
34. श्री भूपेश बघेल
35. श्री अरूण वोरा
36. श्री देवेन्द्र यादव
37. श्री रविन्द्र चौबे
38. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
39. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
40. श्रीमती ममता चंद्राकर
41. श्री मोहम्मद अकबर
42. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

43. श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल
44. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
45. श्री अनूप नाग
46. श्री शिशुपाल सोरी
47. श्री संतराम नेताम
48. श्री चंदन कश्यप
49. श्री रेखचंद जैन
50. श्री राजमन बेंजाम
51. श्री विक्रम मंडावी
52. श्री कवासी लखमा

समय :

5:20 बजे

<u>शासकीय संकल्प</u>

<u>यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि - "केंद्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित "वन (संरक्षण) नियम, 2022" के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा ।</u>

<u>अत: यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के "वन (संरक्षण) नियम, 2022" से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करता है ।"</u>

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प करता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि - "केंद्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित "वन (संरक्षण) नियम, 2022" के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा ।

अत: यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के "वन (संरक्षण) नियम, 2022" से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करता है ।"

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में वन क्षेत्र की जो भूमि है उसको गैरवानिकी कार्य के लिये, डॉयवर्सन करने के लिये जो नियम वर्तमान में है । वन अधिकार कानून वर्ष

असंशोधित/अप्रमाणित के लिये नहीं

2006 में आया और वन अधिकार कानून आने के बाद वर्तमान की स्थिति यह है कि गैर वानिकी कार्य के लिये यदि वन भूमि को देना है तो वन अधिकार पत्र जिनको प्राप्त हुआ है उसका निराकरण पहले हो जाना चाहिए । उसके भूमिअर्जन के संबंध में, उसके पुनर्वास के संबंध में, उसके पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत् उन कार्यवाहियों को पूर्ण करने के बाद ही डायवर्सन के संबंध में, गैरवानिकी कार्य के संबंध में अनुमति दिये जाने का वर्तमान में प्रावधान है । वर्ष 2019 में वन अधिकारों का निपटान प्रथम चरण स्वीकृति हेतु आवश्यक नहीं होगा यानी प्रथम चरण की स्वीकृति के बाद इन दावों का निराकरण वन अधिकार पत्र के संबंध में यदि कोई है तो उसको किये जाने का प्रावधान था ।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से जो वन संरक्षण नियम 2022 इसमें उन्होंने जो संशोधन किया है इस संशोधन के आधार पर वन अधिकार कानून को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन डायवर्सन के प्रकरणों में वन अधिकारों का निपटारा भारत सरकार के अंतिम चरण स्वीकृति के पश्चात् करने का प्रावधान कर दिया गया है और अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात् यदि इसका निराकरण किया जायेगा और वह जवाबदारी भी राज्य सरकार के ऊपर डाल दी गयी है । ऐसी स्थिति में जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त है, अब खदान के लिये या उद्योगों के लिये यदि भारत सरकार के नये नियम के आधार पर पहले ही अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गयी और बाद में यह कहा गया कि उनके दावों का निपटारा, उनके दावों का निराकरण राज्य सरकार करे तो एक बहुत कठिनाई वाली बात उन लोगों के प्रति उत्पन्न होगी जो वहां पर निवासरत हैं, जिनकी भूमि वहां पर है उनको मुआवजा के मामले में भी कठिनाई होगी । उन्हें कब्जे के मामले में भी कठिनाई होगी और राज्य सरकार यदि उसे कराने में असफल रही तो पूरा का पूरा दोष राज्य सरकार पर आयेगा कि भारत सरकार के अंतिम रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद भी राज्य सरकार दावे का निपटारा नहीं कर पायी। अनुमति नहीं दे पायी। तो मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार से यह सदन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण) नियम, 2022 से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करने का अनुरोध है।

सभापति महोदय :- चलिए, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी विकट स्थिति है कि यह देश संघीय ढांचे के अंतर्गत चलता है। केन्द्र की सरकार का अपना अलग अस्तित्व है। राज्यों की सरकार का अलग अस्तित्व है। भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परंतु बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अपने आपको हिन्दुस्तान की राज्य सरकार मानती है या नहीं मानती है। संघीय ढांचे का सम्मान करना जानती है या नहीं जानती है। राज्य की सरकार केन्द्र की सरकार के द्वारा अगर कोई अधिनियम लाया गया, राजपत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में प्रकाशित किया गया और राजपत्र में प्रकाशित करने के पहले राज्य सरकार से इसके बारे में सहमति ली गयी है। राज्य सरकार की सहमति है कि जो संशोधन किये गये, नियमों में संशोधन के पहले राज्य सरकार से सहमति ली गयी है और सहमति लेने के बाद इस प्रकार का अधिनियम जारी किया गया है।

समय :

5.28 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की इस कार्यसूची के पदक्रम 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

शासकीय संकल्प (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और इसमें असहमति व्यक्त करके आप क्या कहना चाहते हैं? असहमति व्यक्त करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? असहमति व्यक्त करके क्या आप रेलवे लाइन नहीं डले, यह चाहते हैं। असहमति व्यक्त करके क्या बड़े डेम नहीं बने, यह आप चाहते हैं। असहमति व्यक्त करके क्या बड़ी परियोजनाएं विकास की आयें, यह आप नहीं चाहते। माननीय सभापति जी, राज्य सरकार की बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। चाहे खनन का काम हो। जब तक राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वन विभाग इसकी अनुमति नहीं देगा तब तक अंतिम स्वीकृति केन्द्र सरकार भी नहीं दे सकती और इसलिए इसे लाने की आवश्यकता नहीं थी। केवल यह शो करने के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले एक विधेयक सहकारिता विधेयक पर बात कर रहे थे, तब आपको जनजातियों का ख्याल नहीं आया कि लैंपस के चुनाव नहीं होंगे। सहकारी समिति के चुनाव नहीं होंगे और आप अभी आपको जनजातियों का ख्याल नहीं आया कि लैम्पस के चुनाव नहीं होंगे, सहकारी समिति के चुनाव नहीं होंगे और अभी आपको जनजातियों का ख्याल आ गया । ऐसा कहां है कि वन अधिकार पट्टों के ऊपर भी ऐसी योजना आएगी, ऐसा कहां पर है ? अंतिम निर्णय तो राज्य सरकार को निपटान करना है । यह प्रस्ताव लाकर अगर आप देखें, जो भारत सरकार के राजपत्र में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 28 जून 2022 को जो अधिसूचना जारी की गई है, इस अधिसूचना में कहा गया है कि वानिकी से गैर वानिकी में परिवर्तित करने के लिए किसको क्या अधिकार होंगे, कितने जिलों की सीमा होगी । इसमें लिखा है कि 5 से अधिक और 40 तक सभी उपयोग, खनन को छोड़कर । अगर उन क्षेत्रों का उपयोग होगा तो खनन को वैसे ही एक्जम्ट किया है । फिर 40 से अधिक औ 100 हेक्टेयर तक के लिए सभी उपयोग खनन को छोड़कर 75 जिलों में उसकी अनुमति मिलेगी । तो इसमें खनन को छोड़कर भी अनुमति दिये जाने का प्रावधान है । 100 हेक्टेयर से अधिक के लिए सभी उपयोग

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

खनन के अतिरिक्त 120 जिलों में क्लियर होगा । इसके लिए दावा-आपत्ति बुलाई जाएगी । बिना राज्य सरकार की सहमति के कोई काम नहीं होगा । परंतु इस प्रकार का संकल्प पारित करते हैं तो पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार रेल्वे लाईन नहीं डालना चाहती । छत्तीसगढ़ की सरकार बड़े सिंचाई के बांध नहीं बनाना चाहती । छत्तीसगढ़ की सरकार केन्द्र सरकार के उपक्रमों को यहां नहीं लगाने देना चाहती । आज बस्तर में रेल्वे लाईन की मांग चल रही है । अगर आप इन नियमों पर यहां से रोक लगाते हैं और आग्रह करते हैं कि इस पर असहमति व्यक्त करते हैं तो छत्तीसगढ़ का ऐसा बहुत बड़ा भू-भाग, जशपुर का क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र कैसे रेल्वे लाईन से जुड़ेगा ? ऑलरेडी 40 हेक्टेयर, 40 से 100 हेक्टेयर तक और 100 से अधिक हेक्टेयर तक के लिए खनन को छोड़कर बाकी की अनुमति की बात की गई है । इसलिए मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार का विरोध करना, राज्य सरकार का शगल बन गया है । जो मुख्यमंत्री जी अपनी असक्षमता को छिपाने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं । आप संकल्प लाते कि हम छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवार जिनको छत मिलनी है, उनको हम केन्द्र सरकार की योजना के अनुरूप छत देंगे, उसके लिए पैसों की व्यवस्था करेंगे, आप यह संकल्प क्यों नहीं लाते ? आप यह संकल्प लाइए कि जो 45 लाख, 49 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचना है, हम उसके लिए पैसों की व्यवस्था करेंगे । केवल विरोध, विरोध करने के लिए विरोध करने से, माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ का भला नहीं होने वाला है, इससे छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा, छत्तीसगढ़ का विकास रूकेगा और इसमें लिखा हुआ है कि 2006 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी । क्या छत्तीसगढ़ के मामलों को निपटाने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी यहां आएंगे ? यह अधिकार को राज्य सरकार को है निपटाने का अधिकार आपको है, आपको निपटाना है । अगर उसके बाद भी आपकी स्वीकृति नहीं होगी तो कोई परियोजना शुरू नहीं हो सकती । इसलिए योजना की भ्रूण हत्या करना, योजना को रोकना और इस प्रकार का संकल्प इस विधान सभा से पारित करना मुझे लगता है कि देश के संघीय ढांचे का अपमान करना है, संघीय ढांचे के विरोध में है । अजय चंद्राकर जी ने कहा था, जब वह अपना भाषण दे रहे थे। वह मनमोहन सिंह जी को बुलाये, अर्जुन सिंह जी बुलाये, छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। यदि यह राज्य सरकार की छवि बन जायेगी कि यह राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की विकास नहीं चाहती, सिर्फ विरोध की राजनीति करना चाहती हैं और विरोध की राजनीति के लिए इस प्रकार के केन्द्र सरकार के कानूनों व नियमों का विरोध करती हैं।

श्री कवासी लखमा :- अग्रवाल साहब, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह जी ने विकास किया, आप ठीक बोल रहे हैं। इसलिए वह बस्तर के मद में 30-30 करोड़ रूपये देते रहे। अब आपके मंत्री तो विकास के लिए नहीं आ रहे हैं, वे बस्तर में चुनाव के लिए आ रहे हैं। वह तीन-तीन दिन से ठहरे हैं। वह विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ठहरे हैं। वह तीन-तीन घुमकर जा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय जी, आप भी बस्तर से आते हैं। क्या बस्तर के लोगों की लालसा नहीं है? यदि यह कानून होता, यदि ऐसा संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार मान लेती तो फिर छत्तीसगढ़ की कोई भी बड़ी परियोजनाएं, अभी आप बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, बोधघाट परियोजना की बात कर रहे थे, आप उसको भी पूरा नहीं कर सकते थे? क्योंकि आपने तो उसको वापिस ले लिया, आप हिम्मत हार गये। छत्तीसगढ़ की बहुत सारी योजनाएं, आज सड़कें नहीं बन रही हैं। आज नेशनल हाईवे की बहुत-सी सड़कें सिर्फ इसलिए नहीं बन रही है, क्योंकि राज्य की सरकार उस जमीनों को अधिग्रहित करके केन्द्र सरकार को दे दें, यह काम राज्य सरकार नहीं कर रही है। एक बार फिर से इस प्रकार का काला संकल्प लाकर केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहयोग, अभी हम बजट देख रहे थे, केन्द्र और राज्य का जो रेसियो है, वह लगभग बराबर है। यदि राज्य सरकार का 39 करोड़ है तो राज्य सरकार का 44 हजार करोड़ रूपये है। तो हम क्या करना चाहते हैं? केन्द्र सरकार से झगड़ा करके, केन्द्र सरकार का विरोध करके, केन्द्र सरकार के विरूद्ध में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके क्या आप छत्तीसगढ़ के विकास को रोकना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में जो सड़कें बन रही है, रेल लाईने बन रही हैं, बड़े उद्योग लाने की परिकल्पना हो रही है, बस्तर की नक्सलवाद समाप्त करने की परिकल्पना हो रही है। क्या आप बस्तर के लोगों को, सरगुजा के लोगों को अभी भी लंगोट में ही रखना चाहते हैं? क्या आप अभी भी उनको Hand to mouth रखना चाहते हैं? क्या आप अभी भी उनका विकास नहीं करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संकल्प को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको अधिकार है कि जिसमें हमारे वनवासी, आदिवासी प्रभावित होते हैं, उनका वन भूमि का पट्टा प्रभावित होता है तो उनको सेटलमेंट करके ..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपने लहू लश्कर के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ ही सरगुजा गये थे और जहां पर बात हो रही थी, वहां पर जाकर इन्होंने खूब भाषण दिया। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप वहां की हरियाली बजाने के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ में हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या पक्ष मे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- आप किसके पक्ष में हैं? आप वहां पर हरियाली बचाने के पक्ष में गये थे या हरियाली उजाड़ने के पक्ष में गये थे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हरियाली भी होनी चाहिये, परंतु विकास भी होना चाहिये। जंगल मनुष्यों के लिए बना है, मनुष्य जंगल के लिए नहीं बना है। यदि मनुष्य का जीवन सुखी नहीं होगा, यदि हमारे वनवासियों का जीवन सुखी नहीं होगा, यदि हमारे आदिवासियों का जीवन सुखी नहीं होगा, यदि उनके तक विकास की किरण नहीं पहुंचेगी, यदि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो

फिर सरकार में बैठने का और हमारा यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 26 फरवरी, 2019 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि वन अधिकारों का निबटान प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु आवश्यक नहीं होगा अर्थात् अंतिम चरण की व्यापवर्तन स्वीकृति ही आवश्यक होगी। जब अंतिम चरण की डायवर्सन के लिए आपकी बिना स्वीकृति के नहीं होगा तो आप परियोजनाओं को क्यों रोक रहे हैं? यदि आपने प्रारंभिक रूप से ही उन योजनाओं को रोक दिया तो छत्तीसगढ़ का विकास रूक जायेगा, आने वाली परियोजनाएं रूक जायेंगीं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि यह जो शासकीय संकल्प लाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के पास में पहले भी अधिकार है, अभी भी अधिकार है और हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी परियोजना के कारण हमारे वनवासियों, आदिवासियों का विकास अवरूद्ध हों। हम तो चाहेंगे कि उनका विकास हों, जंगलों में रहने वालों की आय बढ़ें, उनको परिवहन की सुविधाएँ मिले, उनको सिंचाई मिले और यदि इसके लिए परियोजनाएं आती हैं, तो इस संकल्प के कारण हमारी योजनाएं रूक जायेंगी। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए संकल्प किसने लाया था ? गोपाल परमार जी ने वह संकल्प लाया था और गोपाल परमार का सर्व संकल्प हमारा आधार बना। उस आधार के कारण ही आज हम एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ का इतना विकास हो रहा है। यदि वह संकल्प नहीं होता तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी नहीं बनता और यदि हम विरोध में ऐसे संकल्प को पारित करेंगे और पाजिटिव संकल्प की बजाय निगेटिव संकल्प पारित करेंगे तो छत्तीसगढ़ का हित नहीं होगा बल्कि छत्तीसगढ़ का अहित होगा। इस नियम के माध्यम से आज जो संकल्प लाये हैं इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है बल्कि छत्तीसगढ़ का नुकसान होने वाला है। आपको पहले से अधिकार है कि आप वनवासियों और जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखें। आप इस संकल्प को वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी आग्रह के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय संतराम नेताम जी।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- शैलेश पाण्डे जी, आप नहीं बोल रहे हैं ?

श्री संतराम नेताम :- बोलेंगे, वह भी बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अग्रवाल जी कह रहे थे कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार का हमेशा विरोध करती है। यह कहना बिल्कुल ही गलत है। चूंकि मैं भी एक आदिवासी हूं और मैं वनवासी भी हूं और यह जो भारत सरकार के द्वारा जो संकल्प लाया गया है इससे हम लोगों का

नुकसान होने वाला है। 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के आदिवासियों के प्रति नहीं सोचा, वह साढ़े 3 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने सोचा। आदिवासियों को वन पट्टा दिया गया है। उनको सामुदायिक पट्टा दिया गया है। कहीं न कहीं हमारी सरकार की सोच उन वनवासियों और उन आदिवासियों के हित में है। चाहे हम बस्तर की बात करें, चाहें हम सरगुजा की बात करें तो केवल और केवल हमारी सरकार की सोच यह है कि उनके अधिकारो, हितों का अन्याय न हो और उनका नुकसान न हो। अगर आप केन्द्र से ही नियम बना देंगे, जबकि नियम तो यहां से जाना चाहिए। अब तो आप केन्द्र से अड़ंगा डाल दिये हैं। आप यहां की सरकार को सब कुछ करने दे रहे हैं और आप राज्य सरकार को बदनाम करेंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ी ? आज आप यह जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसको तो आपको लाना ही नहीं चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे बस्तर के आदिवासी कोई उद्योग लगाना चाहते हैं चाहे सामुदायिक पट्टे में वन भूमि हो तो यदि आप एक सरल प्रक्रिया के तहत जा रहे थे तो जान-बूझकर इसको केन्द्र में बैठी हुई सरकार राज्य सरकार को प्रताड़ित करने के लिए और यहां के वनवासियों को प्रताड़ित करने के लिए और उनके हितों को मुसीबत में डालने के लिए यह संशोधन लाया गया है। चाहे हम व्यवस्थापन की बात करें, चाहे हम मुआवजा की बात करें, यदि इस नियम में हमारे आदिवासियों को और हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को और वन क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नियम है उसको केन्द्र सरकार को वापस लेना चाहिए और हमारे मंत्री जी संकल्प जो लाये हैं इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो नियम लाया गया है इसको केन्द्र सरकार को वापस लेना चाहिए और हमारे संकल्प को यहां पर सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय श्री सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने यह जो फॉरेस्ट अधिनियम चेंज किया है उसके विरोध में यह शासकीय संकल्प आया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था और जिसको आपकी सरकार ने ही किया था। उस सरकार के संशोधन के पहले फॉरेस्ट विषय राज्य सरकार की सूची में आता था। कांस्टीट्यूशन के सेड्यूल 7 में इसका उल्लेख है। आप उसमें संशोधन करके उसको कन्करेंट लिस्ट में ले गये और Concurrent list में राज्य सरकार से पॉवर केन्द्र के पास Concurrent list में चला गया । उनके पास Concurrent list में overriding powers हैं । आज आप फिर से बात करते हो कि संघीय व्यवस्था में हमको अधिकार दिया जाये । माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कीं । माननीय मंत्री जी का सारा केन्द्र बिन्दु सिर्फ Forest Right Act के ऊपर केन्द्रित था कि Forest Right Act में हमको यह समस्या आ जाएगी और Forest Right Act में ऐसा हो जाएगा । सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने तो

आपको पॉवर दिया है । devolution of power चालू हो गया है। आपके हाथ में पॉवर दे रहे हैं । जो 1975 में गलत हुआ था, उसको धीरे-धीरे बदला जा रहा है । आपके हाथ में power दे रहे हैं । आप दे दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है ? आपके पास राईट्स आ रहा है और आपकी चिन्ता सिर्फ Forest Right Act को लेकर है, FR Act को लेकर है, पर इस विधेयक में बहुत सारी और चीजें भी हैं । आप वन मंत्री हैं, उसके बारे में भी इस सदन को जानना चाहिए । इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि अगर कोई वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है तो पहले एक साल ही सजा थी, अब वह सजा 15 दिन की हो गई है । अगर सबसे ज्यादा कोई मजा करता था तो forest की bureaucracy मजा करती थी और हमारे आदिवासियों के ऊपर दोहन और शोषण करती थी । अगर कोई आदिवासी पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आये, अगर बोल दिया कि एक ठी मुर्गा मत दे, एक ठी बोकरा बर मना कर दिस त तोला फारेस्ट एक्ट में एक साल बर अंदर कर देबो । Forest Act का उल्लंघन है । आप उसको घूमाकर दूसरी तरह से पेश कर सकते हैं। Forest Act के उल्लंघन के लिए सबसे बड़ा यह कानून है और आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भारत में इस एक्ट का दुरूपयोग किया है तो सबसे ज्यादा फारेस्ट विभाग ने इसी चीज का दुरूपयोग किया है और अगर नक्सलवाद चालू होने का सबसे बड़ा कारण था तो इस Forest Act का दुरूपयोग था । इसको इस एक्ट में चेंज किया गया है, जिसका हम विरोध करने के लिए आपने शासकीय संकल्प लाया है ।

माननीय सभापति महोदय, 12 अक्टूबर से यह संशोधन विधेयक राज्य सरकार एवं अन्य लोगों की राय के लिए उपलब्ध था । जब माननीय मंत्री से जवाब देंगे तो मैं उनके जवाब में अपेक्षा करूंगा कि मंत्री जी यह बताएं कि जब वह विंडो खुली थी, जब यह चीज ओपन थी कि आप अपना अभिमत दीजिए तो उस समय राज्य सरकार ने अपना क्या अभिमत दिया ? और राज्य सरकार ने अपना अभिमत दिया तो क्या अभिमत दिया ? अभिमत का तो रास्ता खुला था । आपने उसका उपयोग नहीं किया और आज राजनीति के लिए उसको बदल रहे हैं । आज राजनीति करने के लिए यह विधेयक ले आये । जब उसका अभिमत देने का समय था तो अभिमत क्यों नहीं दिया ? इसके बाद माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि मूलत: जो बिन्दु है, वह यह बिन्दु है कि जो infrastructure project के लिए Delay होता था, 3-4 सालों से अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी । कागज कहां गया है ? केन्द्र सरकार के पास । बांध नहीं बन रहा है, कागज कहां गया है ? केन्द्र सरकार के पास। रोड़ नहीं बन रही है, कागज कहां गया है ? केन्द्र सरकार के पास । छोटी-छोटी चीजों के लिए, छोटी सड़क बनानी है, छोटी चीजें बनानी है, वन अधिकार के लिए केन्द्र सरकार के पास कागज गया है । केन्द्र सरकार आपको पॉवर दे रही है, आप उसको समय-सीमा में उपयोग कर लीजिए, विकास का काम अवरूद्ध नहीं होना चाहिए । यह पॉवर दिया गया है । आज एक राजनीति हो गई । हमको विकास चाहिए, हमको जी.डी.पी. की ग्रोथ चाहिए और उसके साथ हम वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और पर्यावरण की बात कर उसका मुखौटा दिखाकर

राजनीति कर रहे हैं । आप सत्यता को स्वीकार करिए । अगर आपको भारत को 21वीं सदी में ले जाना है, अग्रणी देश बनाना है तो आपको इन सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा और यह उसी बिन्दु में है । आप छिपाकर Forest Right Act की एक चीज को पकड़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं । उसमें जो अन्य बिन्दु हैं, उसमें बहुत सारे बिन्दु हैं, Commercial forest का भी एक बिन्दु है । हम 45 हजार करोड़ का Import करते हैं । आपके वन विकास निगम से कितनी कमाई हो रही है । जब 1947 में भारत आजाद हुआ और मध्यप्रदेश का पूरा इतिहास आप खोलकर देख लीजिए कि राज्य सरकार के बजट में टिम्बर लम्परिंग से कितने पैसे की कमाई होती थी और आज हम कहां चले गए । हम 45 हजार करोड़ का Import कर रहे हैं । इन सारी चीजों को सुधारने के लिए राष्ट्र हित में लाया गया है, इसमें क्या राजनीति करना ? यह जो लेफ्ट की राजनीति है, आप समझ रहे हैं कि यह लेफ्ट की राजनीति कहीं किसी को लेकर जाने वाली नहीं है । यह गर्त में है । यह लेफ्ट की राजनीति गर्त में ले जाने वाली है । भारत में लेफ्ट की राजनीति को छोड़कर जब भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो लेफ्ट की राजनीति, लेफ्ट लाल झण्डे का लाल सलाम हो गया। चाहे वह रसिया में था, चाइना ने भी उल्टा रास्ता बदल लिया। लेफ्ट की राजनीति मत करिये। मेरा यही आग्रह है। आप यह जो संशोधन लेकर आये हैं, इस संशोधन को कृपा पूर्वक वापस लें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- विक्रम मण्डावी (अनुपस्थित) डा. लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. लक्ष्मी ध्रव (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, " केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि.480(अ) दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित "वन (सरंक्षण) नियम 2022" के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों के बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा। " माननीय सभापति महोदय, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, वह वन्य और अभ्यारण्य क्षेत्र है। वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों प्रभावित कर रहा है। अभ्यारण्य में भी वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं, उसको विकसित करने का भी अधिकार है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक वहां आने-जाने के लिए सड़क नहीं बनी है। राज्य सरकार अनुमति देती है तो वन विभाग के अधिकारी एकदम मना कर देते हैं। वहां बीमार व्यक्ति को खाट से उठाकर लाना पड़ता है। वहां एम्बयुलेंस गाड़िया भी नहीं चलती हैं। अभी उस क्षेत्र के निवासी चक्काजाम करने के लिए उतावल थे। मैंने उनको बहुत समझाया कि हम इस नियम पर बात करेंगे, केन्द्र सरकार से भी बात करने की आवश्यकता होगी, पत्र लिखने की भी आवश्यकता होगी तो हम पत्र लिखवायेंगे। वहां पर उनके हित प्रभावित हुए हैं। एक तरफ उनके लिए वन संसाधन अधिकार हैं और दूसरी तरफ प्राथमिक चीजों की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। वहां पर एक बड़ा सा सोढ़ुर डेम है। पहले जब अभ्यारण्य नहीं था तब सोढ़ुर डेम में मछली पालन के लिए

पहले नीलाम होता था। अब क्या हो रहा है ? अब वन विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन वहां बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। दूसरे प्रदेश के लोग, उड़ीसा प्रदेश के लोग उधर से आकर वहां बस रहे हैं तो वहां पर हमारे वनवासी भाईयों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां पर स्टापडेम की मांग करते हैं, वह भी नहीं हो रहा है। वहां पर पुल-पुलियों के निर्माण की बात करते है, वहां बड़ा सा पुल है, वह भी नहीं हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय लक्ष्मी जी, आपका पता है कि यह संकल्प क्या है? आपकी सड़क फारेस्ट की जमीन के नाम से नहीं बन रही है इसीलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पावर दे रही है कि आप सड़क को बनाओ। आप अनुमति दे दो, आप सड़क को बनवा लो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्य सरकार बनाना चाहती है

श्री सौरभ सिंह :- आप समझ नहीं रही हैं। आपके हित में केन्द्र सरकार आदेश ला रही है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्य सरकार बनाना चाह रही है, लेकिन केन्द्र सरकार के नियम आड़े आ रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- देखिये, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं। केन्द्र ने नियम के तहत आपको अनुमति दे दी है, आपको लंबित प्रकरण के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। माननीय अकबर भाई ही आपकी सड़क के लिए यही से अनुमति दे देंगे, आप उसका विरोध कर रही हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं विरोध नहीं कर रही हूं। मैं अपने सरकार का समर्थन कर रही हूं। वह देना चाहते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को पॉवर दे रही है, वहां 5 साल आपकी फाइल नहीं लटकेगी, आप उसका विरोध कर रही हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं समर्थन कर रही हूं, वह देना चाहते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- इतने सालों से आपके यहां जो सड़क नहीं बनी है, वह फारेस्ट एक्ट के कारण है। वह फारेस्ट के कारण है और केन्द्र सरकार उसका अधिकार राज्य सरकार को दे रही है और वह कह रही है कि आप अपनी सड़क को बनवा लो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नहीं-नहीं, राज्य सरकार बनाने दे रही थी उसको केन्द्र सरकार बनाने के लिए नहीं दे रही है। मना कर रही है।

श्री सौरभ सिंह :- केन्द्र सरकार आपको अधिकार दे रही है, जिसका आप विरोध कर रहे हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं विरोध नहीं कर रही हूं। उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, यह बात कह रही हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक हे, ठीक हे, बैठ के सुलझा लेबो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- तो माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं पक्ष एवं विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पीछे कौन है देखिये ।

श्री कवासी लखमा :- ऐसे ही बोला करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय सचिव के विशेषज्ञ हैं । अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व ...। आप अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व के विशेषज्ञ हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इसीलिए बोलना चाहता हूँ । मैं आदिवासी वनांचल क्षेत्र से हूँ और यह कानूनी बातों को बता रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, इसमें बहस हो जाये ।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह भाषण नहीं दे रहे हैं, कानून बता रहे हैं भई, कानून । भाषण नहीं है । कानूनी पहलू बता रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं कानूनी पहलू बता रहा हूँ । इसके बाद मैं भाषण बिल्कुल नहीं सुनूंगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह कानूनी पहलू है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्लीज सुन लीजिए । दो दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया सदन में उपस्थित हैं । (व्यवधान) नियम कानूनों के प्रति बहुत अच्छा है । एक मिनट सुन लो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- स्वीकार कर लिये ना भई । आपकी आपत्ति को स्वीकार कर लिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आधा मिनट के लिये । इसमें आसंदी की व्यवस्था आ चुकी है । अब उसका उल्लंघन हुआ, उसमें मैंने आपके खिलाफ विशेषाधिकार दिया है, यदि संसदीय सचिव बोलेंगे, आप मौका दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है । पहले मेरे विशेषाधिकार भंग पर चर्चा करवा लीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या है, वह कानूनी पहलू बताना चाह रहे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि आप नियम कानून के विशेषज्ञ हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- चलिये ठीक है ।

सभापति महोदय :- चलिये प्रश्न यह है कि ..।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें चर्चा में आप लोगों ने कहा है, सबसे पहले तो माननीय बृजमोहन जी ने यह कहा कि राज्य सरकार से सहमति लेकर इसको बनाया गया है । मैं उनको बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से कोई सहमति नहीं लिया गया है और राज्य सरकार से सहमति लिया जाना चाहिये था । दूसरी बात यह है कि सहकारिता के साथ में शामिल करते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुये आपने कहा कि सहकारिता के समय तो आपको आदिवासियों का ख्याल नही आया, जिस समय आप लोग सत्ता में थे, अपैक्स बैंक में सभी जिला सहकारी बैंक को आप मर्ज करने जा रहे थे । उस समय आपको आदिवासियों का ख्याल नहीं आया। वहां पर भी तो लैम-पैक सभी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो बिन्दुवार बात करते हो, उल्टी गिनती कभी नहीं गिनी । आज आप उल्टी गिनती गिन रहे हो । (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- बृजमोहन बोला, इसीलिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जो बातें आई है, उसके बारे में है । जहां तक फारेस्ट राईट एक्ट का सवाल है, आपने कहा कि विकास रूक जायेगा । मेरा यह कहना है कि 13 दिसम्बर 2005 के पहले यदि आदिवासी है तो उसको पट्टा वन अधिकार पत्र प्राप्त करने का अधिकार है और यदि वह गैर आदिवासी है तो तीन पीढ़ी और 75 साल का उसकी पात्रता होनी चाहिये । तब उसको वन अधिकार पत्र प्राप्त होगा । अब आप जो नया नियम संशोधन करके आये हैं, आप कल्पना कीजिए । एक परिवार 75 साल से काबिज है, तीन पीढ़ी हो गया, उसके दावे का निराकरण हुआ नहीं है, अभी मामला पेंडिंग है । बहुत से दावे हैं, जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं और नया प्रोजेक्ट आ गया । वह कहां से पायेगा ? उनकी रक्षा करना जरूरी है, इसलिए इसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है । (मेजों की थपथपाहट) आप पूरा सुन लीजिए । जहां तक वन क्षेत्रों में सड़कों की बात है, बहुत से लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि कोई भी लिखकर देगा कि यहां से यहां तक रोड बना दिया जाये, वह बन जायेगा, वह स्वीकृत हो जायेगा, ऐसा नहीं होता । वन क्षेत्रों में वही जो परम्परागत वर्षों से सड़क चला आ रहा है, उसी को एनुअल प्लॉन के अंतर्गत भारत सरकार से मंजूरी मिलती है, नये सड़क की मंजूरी नहीं दी जाती है । अब यदि रेल्वे का लाईन लाना है, बांध लाना है, विकास लाना है तो 75 साल से कब्जा करके अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है तो आप उसके दावे को उजाड़ दो और आपको बांध बनाना है तो हमारा केवल इतना कहना है कि इसका निराकरण पहले कर दो । यदि निराकरण पहले कर देंगे तो इसमें क्या आपत्ति होने वाली है और इसीलिए इसको लाया गया है कि संकल्प को पारित किया जाये और जो वहां पर निवासरत् है, जिनको अधिकार है, वह अधिकार उनको मिले, केवल इसलिए है, निराकरण पहले कर दो । प्रोजेक्ट यदि हजारों-करोड़ का आ जायेगा तो वह बेचारा गरीब आदमी कहां जायेगा ? उसको वह उजाड़ के फेंक देगा । इसलिए हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि इसको पारित किया जाये ।

समय :

6:00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास मंहत) पीठासीन हुए)**

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ज्ञानी आदमी हैं। concurrent list में आपसे कैसे सहमति लेंगे ? आपने ही 75वां संशोधन जो 40 सेकंड amendment किया था तो concurrent

list में फॉरेस्ट है, concurrent list में आपसे अभिमत मांगा गया था, क्या आपने अभिमत दिया? आपके अभिमत के लिए डोमेन तो खुला हुआ था।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने यह विषय उठाया कि अभिमत के बारे में माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि अभिमत लिया गया था, सहमति के बाद किया गया। मेरा यह कहना है कि सहमति नहीं ली गई थी।

श्री सौरभ सिंह :- मैंने आपसे पूछा कि 15 अक्टूबर 2021 से वह डोमेन खुला था और आपसे अभिमत पूछा गया था। जिसको-जिसको अभिमत देना था, वह पब्लिक के लिए भी खुला था। क्या राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेण्ट ने इसमें अपना कुछ अभिमत दिया ? आप बाकी चीजों में चलिये सहमत हैं। मैं मानता हूं कि आप बाकी चीजों में सहमत होंगे। आपको ऑब्जेक्शन F.R.A. को लेकर है। F.R.A. को लेकर एक ही चीज में बात आ रही है। बाकी में तो आप सहमत हैं। F.R.A. के लिए क्या आपने वहां पर बोला ? मान लीजिए आपको F.R.A. से ही ऑब्जेक्शन है तो पूरे का क्यों विरोध करने के लिए ला रहे हैं, सिर्फ स्पेसीफिक F.R.A. के लिए लाईए न।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये एक तो जिनका दावा है उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? उनको मिलना चाहिए। दूसरा यह कि जो पट्टा प्राप्त कर चुके हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- संकल्प की भाषा सुधार लीजिए। जो इन्होंने कहा कि F.R.A. के लिए आपत्ति है तो उसमे यह सदन सर्वसम्मत करता है, इनकी सुनवाई को अंतिम रूप दिया जाये। इनका यह कहना है कि एक के लिए पूरे का विरोध करने की जरूरत नहीं है तो वह सर्वसम्मत से पास हो जायेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के पीछे व्यापक जनहित है। गरीब लोग उजाड़ दिये जायेंगे। उनको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए राज्य सरकार ने बहुत सोच-समझकर इस संकल्प को सरकारी तौर पर लाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पारित किया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अकबर जी, आप बोल रहे हैं कि गरीब लोग उजाड़ दिये जायेंगे। जिनको हटाया जायेगा, क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा ? इसके लिए नियम है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मेरा यह कहना है कि पहले दे दो। अंतर यही है। पहले दो फिर हटाओ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तो फॉरेस्ट का नियम है। अभी छत्तीसगढ़ में भी पहले का भी नियम है कि कोई भी बड़ी योजना आयेगी तो उस योजना के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगा। उनका पुनर्वास होगा और उनका पुनर्वास होने के बाद ही वह हटाये जा सकते हैं। आप इसको गलत क्यों explain कर रहे हैं ? माननीय मंत्री जी आप गलत explain कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी नेशनल पार्क और सेंचुरी से लोगों को हटाया गया है, उनको मुआवजा मिला है। उनको घर बनाकर दिये गये हैं। उनको पूरी सुविधायें दी गई हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- वही तो मेरा कहना है न कि पहले दो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको हटा कहां रहे हैं। अंतिम निर्णय तो आपको लेना है। डायवर्सन के बारे में अंतिम निर्णय आपको लेना है। मुआवजा आप बनाओगे, उनका कंपनसेशन आप दोगे। वह राज्य सरकार तय करेगी।

श्री मोहम्मद अकबर :- डायवर्सन के मामले में अंतिम निर्णय हमको नहीं लेना है। डायवर्सन के मामले में भारत सरकार स्वीकृति प्रदान कर देगी। उसके बाद राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि इनका पट्टे वालों का निराकरण आप करो। ऐसा कैसे संभव है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप निराकरण करोगे तो क्या उनको पैसा नहीं दोगे ? क्या उनको बिना पैसे के हटा दोगे ? निराकरण करेंगे तो क्या आप उनको बिना मकान के हटा दोगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- तो स्वीकृति की क्या जरूरत है ? हमारा यह कहना है कि निराकरण पहले कर लो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने स्वयं ने कहा है कि 2006 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। जब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी तो राज्य सरकार कैसे उनको बिना पैसे के, बिना मुआवजा के हटा देगी ? आज के समय पर भी किसी को भी अगर इस प्रकार से हटाया जाता है, कोई भी केन्द्रीय योजना आती है, रेलवे लाईन आती है, अभी भी रेलवे लाईन बस्तर में बन रही है, क्या बिना मुआवजे के हुआ है ? नेशनल हाईवे की सडकें बन रही हैं, क्या बिना मुआवजे के हुआ है ? तो आप यह गलत interpretation क्यों करते हैं ? उनको मुआवजा तो मिलेगा ही। उसको कोई रोक थोड़ी सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 1980 जो वन अधिनियम है, उसके नियम में संशोधन किया गया है। अभी तक की क्या व्यवस्था है ? आप कोई प्रोजेक्ट लाते हो तो ग्राम सभा से पहले स्वीकृति लेते हो उसके बाद फिर वन पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिलती है। इसमें संशोधन किये हैं, उसमें क्या है ? उसमें संशोधन यह है कि वन पर्यावरण विभाग पहले स्वीकृति दे देगी, उसके बाद फिर ग्राम सभा का औचित्य क्या रहा ? उन आदिवासियों के हितों का क्या होगा ? अब वह तो स्वीकृति मिल गई। अभी जब तक के ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं मिलती थी तब तक के भारत सरकार रोक देती थी क्योंकि ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। गांव वाले नहीं चाहे रहे हैं, इस कारण से रूकता था। ग्राम सभा के जो अधिकार हैं, उसको आपने खत्म कर दिया। वन पर्यावरण विभाग स्वीकृति दे देगा उसके बाद राज्य सरकार को बोल रहे हैं कि आप उनसे झगड़ा करते रहो। यह बात है। तो जो पुरानी व्यवस्था है उसे as it is रहने दिया जाये। बात इतनी है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित ''वन (संरक्षण) नियम, 2022'' के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा।

अत: यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ''वन (संरक्षण) नियम, 2022'' से असहमति व्यक्त करते हुए वापस लेने की अनुशंसा करता है''।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसमें एक संशोधन चाहते हैं कि माननीय अकबर जी, जैसा आपने अपने पूरे भाषण में जो बताया है, वह एफ.आर.ए. के बारे में बताया है। यदि आप इसमें संशोधन कर दें कि एफ.आर.ए. में जिन लोगों को प्लॉट एलॉट किया गया है, जिनको जमीन दी गयी है, वनाधिकार पट्टे दिये गये हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाये। यदि आप इसमें यह लिख देते हैं तो हम इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- एफ.आर.ए. को बायपास करने के लिये किया गया है। संकल्प पारित करने का अनुरोध है।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ/संकल्प स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- देखिये। आधे घण्टे की चर्चा है, इतने लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। मैं इस तरह से रोज आधे घण्टे की चर्चा को दो-दो घण्टे में नहीं बदल सकता।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के हितों के लिये अभी एक बड़ा दुहाई वाला संकल्प पारित हुआ है। पहले तो मैं संकल्प प्रस्तुत कर दूं।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत करिये और 15 मिनट में खत्म करिये।

अशासकीय संकल्प

''सदन का यह मत है कि प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैबे खोले जाये।''

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :- सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता की टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जाये।''

मैं इसके समर्थन में आदिवासी हितों की रक्षा के लिये भाषण को सुन रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर मत जाईये। आप अपने में चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, सुन तो लीजिये। अभी तो मैं एक लाईन भी नहीं बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय - आप लाईन ले लेकर भागते रहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको बहुत उदार मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उदार हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको विपक्ष के लोगों के लिये तो ज्यादा उदार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- सदैव।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक लाईन बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां। मैं यह कह रहा हूं कि आधे-आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जितने अमानक बीज बांटे गये हैं, उसमें 90 प्रतिशत बीज बस्तर में बांटे गये हैं(शेम-शेम की आवाज)। मैं आदिवासी हितों की रक्षा में यह बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था। मैं संकल्प में नहीं जाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय :- हां।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषिमंत्री जी लगभग 1300 से 1500 क्विंटल के आस-पास हाईब्रिड धान के बीज वितरित करते हैं। आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बस्तर में मक्का सबसे ज्यादा होता है। अलग-अलग सीजन में 5000 से लेकर 10000 क्विंटल तक होता है, आप उसको वितरित करते हैं। इसका मूल्य भी 8 करोड़ रूपये और धान का मूल्य भी 5 करोड़ रूपये के आस-पास होता है, ज्यादा भी होता है, आंकड़े में हर साल ऊपर-नीचे होता है। मैं यह नहीं कहता कि आंकड़ा फिक्स है। अब आर.एम.डी. लैब से हाईब्रिड धान का Molecular test करवाया जाता है कि यह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के जितने कार्यकृत्य देखेंगे कि धान को 2500 समर्थन मूल्य में खरीदना और क्या-क्या बहुत सारी किसानों के लिये योजनाएं लाए हैं, मैं लम्बा नहीं करूंगा। एक स्लोगन है कि यह किसानों की सरकार है। एक बात, कि किसानों की सरकार के लिये हाईब्रिड बीजों की टेस्टिंग के लिये कोई प्रमाणिक लैब नहीं है। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय में एक लैब है। उसकी क्षमता कम है। आप उसको अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात वह प्रमाणिक लैब नहीं है। जैसे वर्मी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट सुपर, वर्मी कम्पोस्ट सुपर प्लस इसके कौन-कौन से पोटाश, नाईट्रोजन या फासफोसर के क्या कंटेंट हैं तीनों में अलग-अलग बताईयेगा। तो यह नहीं बता पायेंगे। यह तीनों कंटेंट का नाम अलग-अलग रख दिये हैं। आप पूछ लीजिएगा, यदि बतायेंगे तो एक मिनट लगेगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी आदिवासी हितों की बात हो रही थी। टेस्टिंग लैब नहीं होने के कारण इसमें कई घटनाएं हैं कि बीज वितरित हो गई है, उसको वापस मंगवाओ। रिपोर्ट आते तक बीज का जर्मीनेशन हुआ या नहीं हुआ, उनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। बस्तर के किसान ज्यादा लूटे गये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कई जगह हाईब्रीड धान में बीज जितना बताया गया, उतना नहीं आया। उसकी क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अभी अंतागढ़ में मक्का में आंदोलन चल रहा है। अंतागढ़ में आंदोलन चल रहा है। विधायक को धमकी भी मिली है कि यदि आप उस किसान को पेमेण्ट नहीं किये हैं, समर्थन दोगे। यहां अंतागढ़ के माननीय विधायक होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। वह मांग रहे हैं, लेकिन पेमेण्ट नहीं हो रहा है। इस प्रदेश में किसानों की सरकार, आदिवासियों की सरकार है। यदि सिलसिलेवार घटनाओं को जोड़ेगे तो एक-एक बिन्दुवार यह साबित हो जाएगा कि यह इसकी विरोधी सरकार है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि विद्वान, मैं हृदय से बोल रहा हूँ मैं यह चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक किसान हैं कल मैं उनसे बात कर रहा था कि भई, आप खेती करते हैं या रेगहा देते हैं? उन्होंने बताया कि मैं खेती करता हूँ। मैंने भी बताया कि मैं भी खेती करता हूँ। मैं रेगहा नहीं देता। मेरा कोई भी आदमी खेती देखता है। जो आदमी कृषि मंत्री है और यदि किसानी कर रहा है आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मक्का हाईब्रीड जा रहा है। मैदानी क्षेत्र में हाईब्रीड धान भी गये हैं। मेरे पास उसका सब रिकॉर्ड है। आपने संक्षिप्त में कहना है, ऐसा कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं केवल इतना चाहता हूँ कि प्रमाणिक लैब, हम जितने प्रकार के हाईब्रीड बीज का उपयोग करते हैं, हमारा किसान ठगा मत जाये। माननीय कृषि मंत्री जी हाईब्रीड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोल दें तो सबका भला होगा। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय :- यह बढ़िया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय :- मैं थोड़ा सा भाषण देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप विद्वान सदस्य हैं। आप खेती भी करते हैं। आप इसमें कुछ सुझाईये कि प्रमाणिक के लिए इस गांव में मिलता है या शहर में मिलता। उसको खरीद लीजिए। इतने पैसे में मिलता है। यह ऐसे बन जाएगा। सिर्फ आलोचनात्मक टिप्पणी करने से क्या अर्थ है?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आप एक तो समय की सीमा रख देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं। यह तो सामान्य बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सम्मान में बहुत संक्षिप्त में भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमाणिक लैब कैसे खोलेंगे, यह कहां मिलता है ? जिसकी गुणवत्ता की टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम उनको प्राईवेट आपूर्तिकर्त्ताओं से लेती है और उनको अपना मॉलिक्यूलर टेस्ट सही है, यह बताकर, इनको बेचते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो केवल यही पूछ रहा हूँ कि यहां छत्तीसगढ़ में है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह आपूर्तिकर्त्ता से खरीदते हैं और उनको टेस्ट कराकर, देना होता है। वह बताते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर टेस्ट करा दिया है, लेकिन उसको सरकार को भी टेस्ट करना चाहिए। सरकार के पास प्रमाणिक टेस्टिंग लैब नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक लैब है, जिसकी क्षमता बहुत कम है और वह प्रमाणिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ। सरकार के पास प्रमाणिक लैब नहीं है तो यह दु:खद है।

श्री अजय चन्द्राकर :-हां।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रमाणिक लैब होना चाहिए। मगर कहां मिलता है, इसे कैसे कर सकते हैं ? आप कुछ सुझाव दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बताया।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें साढ़े 3 साल हुए हैं। ये 15 सालों तक क्या कर रहे थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने मान लिया कि हमने 15 सालों में कुछ नहीं किया। 25 सालों में कुछ नहीं किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पहली भी तो हमार दिल्ली में कृषि मंत्री रिहिस हे, वहू जातन हो ही। सुझाव दे सकत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बोला कि आपके पास 4-5 चीयर लीडर है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप चन्द्राकर जी को संतुष्ट करिये।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने जो अशासकीय संकल्प पेश किया है। हम लोग इसको बहुत अच्छे सुझाव के रूप में स्वीकार करते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर इसी को 15 सालों में याद कर लिये होते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए राजनीतिक भाषण नहीं दिया। फिर मैं यह 15 साल के पहले के ढेर सारे उदाहरण बता सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, 15 सालों को छोड़िए।

श्री अजय चंद्राकर :- कम से कम यदि आप सहमत हैं तो राजनीतिक भाषण मत करिए या आप मुझे फिर से बोलने की अनुमति दीजिए। फिर कब्र खोदें। हम अच्छा काम न करें।

प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिए नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- कल फिर क्या करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- धान खरीदी केन्द्र नहीं खोले। लैब भी नहीं खोला। वह आप लोगों को बताना पडेगा। जनता नहीं जानेगी क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, तीनों मौजूद हैं। अकबर जी, आप कभी उल्टी गिनती नहीं पढ़ते। विद्वान इसलिए माना जाता है, हम इसलिए इनको विद्वान मानते हैं कि कमजोर बात नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए न आप चलिए। मंत्री जी समाप्त करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिए, मैं 15 साल की कोई बात नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- कोई बात मत करिए। पास करने का निवेदन करिए। क्या करना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, लगातार विरासत में जो चली आ रही परंपरा है। उसी का पालन हो रहा है, नंबर एक।

श्री अजय चंद्राकर :- सात बार का अनुभव बोल रहा है। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रमुख रूप से दो तीन बातें कही। यह हम लोग कृषि विभाग के द्वारा जो बीज का अधिनियम करते हैं, वह बीज नियम 1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 है। इसमें केवल सर्टिफाईड शीड का ही उल्लेख किया जाता है। जहां तक आपने माल्यूक्यूलर एंड बायो टेक्नोलाजी के टेस्ट के बारे में कहा है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यह निश्चित रूप से उपलब्ध है लेकिन उनकी सीमाएं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जिन कंपनियों से हाईब्रिड बीज की सप्लाई की जाती है, उन्हीं को अधिकृत कर दिया जाता है कि वह अपने जो डी.एन.ए. टेस्टिंग होती है, वे जहां से भी कराते हैं। वह उसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। चूंकि हम लोग यह भी मानते हैं कि हाईब्रिड बीज को प्रोप्राईटरी कैरेक्टर के रूप में बीज कंपनियां उनको इस्तेमाल करती है। इस वजह से जो निर्माता कंपनियां होती हैं, वह जिनोब और फिंगर प्रिंट किसी को उपलब्ध नहीं कराती।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यहां तक एकदम सही बोल रहे हैं। मैंने इस संकल्प को लाया। आप एक घटना का उल्लेख कर दीजिएगा। अमानक बीज होने की 20 से ज्यादा घटनाएं इस दो ढाई साल में घटी हैं। मेरे पास उनके आंकड़े हैं। बस इतना है। आप थोड़ा सा इसकी चिंता बताईए।

श्री रविद्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग हमेशा इस बात को कहते थे कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ को नकली, दवाई, खाद और बीज का बाजार बनाया हुआ था। यह दो ढाई साल और 15 साल में मैं आज चर्चा नहीं करने वाला हूं। कहां-कहां नकली बीज और नकली खाद जप्त हुए, कितनी फैक्ट्रियां बंद की और किनकी फैक्ट्रियां बंद की, कल आप लायेंगे तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो आपका प्रस्ताव है, वह बेहतर प्रस्ताव है कि एक अच्छा लैब हो, यहां होना चाहिए। हम

लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उसकी भवन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या संसाधन चाहिए, उसकी तैयारी में हैं और छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। आखिरी बात, आपने अंतागढ़ के मक्का की खरीदी के पेमेंट के बारे में बात की। स्टैंडर्ड बीज जहां भी होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमने कार्रवाई की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने त्रिमूर्ति बीज कंपनी के खिलाफ इसी सदन में स्थगन या ध्यानाकर्षण लाया था, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की थी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप इस संकल्प को क्या करना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कार्रवाई की थी।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं यह नहीं बोल रहा हूं। इस संकल्प के लिए आप उनको अनुमति देते हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस लें। क्या करना चाहते हैं, यह बताईए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय अजय जी, जो चाहते हैं, सरकार खुद ब खुद उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम यहां अच्छा लैब स्थापित करने की दिशा में सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आदरणीय अजय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह संकल्प वापस ले लें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष जी, एक लाईन बोलना चाहता हूं। आप अच्छी लैब की स्थापना के लिए सहमत भी हैं और अजय जी संकल्प लेकर आए हैं। आप उसके खिलाफ भी नहीं हैं और किसानों की आवश्यकता भी है। आप लैब के लिए आगे बढ़े हैं। लैब बना ही रहे हैं। इस संकल्प को यदि हां बोल देंगे तो उसमें क्या दिक्कत होगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं हां ही बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- तो सर्व सम्मत कर दीजिए न।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो बोल ही रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको सर्व सम्मत कर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां है, आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको पारित करें। जब इतना अच्छा है। उसमें सरकार की कोई आलोचना की भी बात नहीं है। सरकार की अक्षमता की भी बात नहीं है। वह तो लैब की बात है। आप लैब के लिए यह बोलिए की लैब की आवश्यकता नहीं है। यदि है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। हम लोग तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने मुझसे आग्रह किया। मैं हृदय से सम्मान करते हुए यह कह रहा हूं। कोई दूसरे कारणों से नहीं कह रहा हूं। आप बड़ा दिल दिखाईए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। यह छत्तीसगढ़ की आवश्यकता आपने स्वीकार की है तो सर्वसम्मत पारित कर दीजिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- हो गया, चूंकि आदरणीय सदन के नेता यहां मौजूद हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की बात हो रही है तो मुझे स्वीकार करने में भी कोई एतराज नहीं है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, ठीक है । बढ़िया । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प पस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जायें ।"

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी आपको भी धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- किसी को और कुछ तो नहीं कहना है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- हो गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- आज प्रशंसा करने का मूड हो रहा है । ऐसी चीजों में हाउस की हाईट बढ़ती है, आप दोनों को बार-बार धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जायें ।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आप भी 10 मिनट का भाषण दीजिये, ज्यादा नहीं ।

(2) यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।"

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में इस पर बहुत बड़ी चर्चा कर चुका हूं फिर भी मैं दो मिनट के लिये बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 57,000 मिलियन टन का कोयला भण्डार है और इस कोयले में से वर्तमान में केवल 158 मिलियन टन ही उत्पादन हो रहा है अगर यह 500 मिलियन टन भी प्रत्येक वर्ष कर देंगे तो भी 50 सालों में केवल 25,000 मिलियन टन ही हम कोयला खनन कर पायेंगे और बाकी 13,000 मिलियन टन कोयले का जो भण्डार है वह मांड नदी और हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास स्थित है और उसमें घना जंगल है । शेष डिपाजिट जो 57,000 में से 13,000 छोड़ दें तो बाकी जंगल के बाहर है । इस 13,000 मिलियन टन में से 5000 मिलियन टन स्वर्गीय

मिनीमाता बांगो डेम के कैचमेंट एरिया में यह आता है और यह हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण बांध के जीवन से जुडा हुआ मामला है । इसमें 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा सिंचाई होती है और मस्तूरी, अकलतरा, पामगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, जैजैपुर, चंद्रपुर, खरसिया, डभरा आदि में यहां के किसानों को पानी मिलता है और ये बांध भी तबाह होने की स्थिति में हैं, क्यों हैं उसका कारण मैं अभी बता दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्षेत्र में दिनांक 15 जून, 2015 को श्री राहुल गांधी जी हसदेव अरण्य के ग्राम मदनपुर आये थे । उन्होंने वहां पर कहा था कि वे आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे पर उसी मदनपुर के पास गिदमुड़ी-पतुरिया कोलब्लॉक में जिसमें सन् 1750 हेक्टेयर जमीन शामिल है उसके अधिग्रहण का प्रारंभिक नोटिस छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी ने भी दे दिया है । वह जगह जहां पर श्री राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था वहां की भी 250 एकड़ जमीन मदनपुर का खुद आ रहा है तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और अडानी जी को वहां पर एम.डी.ओ. भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बना दिया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बिंदुओं पर आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली की सरकार की तरफ आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में हसदेव अरण्य में ऐसे 5 कोलब्लॉक आवंटित हैं जहां खनन नहीं हो रहा है इनके नाम हैं परसा, केतेएक्सटेंशन दोनों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल निगम को मिला है। गिदमुड़ी-पतुरिया दोनों छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन को मिला है और मदनपुर साउथ आंध्र प्रदेश मिनरल डवलपमेंट कंपनी को दिया गया है । सन् 2020 में जब कमर्शियल कोलब्लॉक नीलामी प्रारंभ की जा रही थी उस समय हसदेव अरण्य के 4 कोलब्लॉक नीलामी सूची में रखे गये । इस पर आदिवासी संगठनों, पर्यावरणविदों और नागरिकों से आपत्ति आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोयला मंत्री भारत सरकार को इस संबंध में आपत्ति दर्ज करायी थी और कहा था कि हसदेव बांगो बांध और माण्ड नदी के जलग्रहण क्षेत्र के कोलब्लॉक नीलामी में न रखा जाये अन्यथा अन्यत्र स्थित ब्लॉक नीलामी सूची में शामिल हो सकते हैं इस पर कोयला मंत्री ने जल ग्रहण क्षेत्र के ब्लॉक नीलामी सूची से हटा दिये थे । इसी सिद्धांत के आधार पर ऐसे सभी कोलब्लॉक जो हसदेव जलग्रहण क्षेत्र में हैं और शासकीय कंपनियों को आवंटित हैं परंतु वहां खनन प्रारंभ नहीं हुआ है उन्हें भी केंद्र सरकार को आवंटन रद्द कर इन कंपनियों को अन्यत्र कोलब्लॉक देने के लिये मैंने इस सदन में इस संकल्प को रखा है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे। देश में टोटल 964 कोल ब्लॉक हैं। इनमें से 600 में अभी खनन प्रारंभ नहीं हुआ है। 600 में से 153 कोल ब्लॉक बहुत घने जंगल में होकर "नो गो श्रेणी" में आते हैं अर्थात् 450 के लगभग कोल ब्लॉक ऐसे उपलब्ध हैं, जिनमें से इन कंपनियों को वैकल्पिक आवंटन किया जा सकता है। राजस्थान विद्युत मंडल निगम को परसा केते एक्सटेंशन के स्थान पर मध्यप्रदेश के सोहागपुर और सिंगरौली में दिया जाये। छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी को वर्तमान में गारे-3 कोल ब्लॉक आवंटित है, जहां खनन हो रहा है। यह क्षेत्र कोरबा और चांपा के नजदीक

है और रेलवे लाइन से जुड़ा है, इसलिए इन्हें गिदमुड़ी और पतुरियाडांड के स्थान पर गारे क्षेत्र का ही कोई ब्लॉक जरूर आवंटित किया जाये। आंध्रप्रदेश मिनरल डेव्हलपमेंट कंपनी को मदनपुर साउथ के स्थान पर उड़ीसा के क्षेत्र में आवंटित किया जाये। ये सभी कोयला खदान जो हसदेव एरिया में हैं, अरण्य क्षेत्र में हैं, इन्हें निरस्त कर देना चाहिए। हम दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करते हैं। हसदेव-अरण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध मिनीमाता बांगो डेम का जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसमें 6 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर में पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं। कोयला खनन न केवल वनों का विनाश करेगा, बल्कि बांध के जल ग्रहण क्षमता को भी प्रभावित करेगा। मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ेगा। हरिहरपुर के पास अभी-अभी कुछ दिन पहले एक शेर भी मरा है, जहां पर अभी वन कटने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर 7 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को allotted है, इसमें से खनन से छत्तीसगढ़ को गंभीर नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसे रद्द कर दे और यहां पर हमारे जंगल की रक्षा करे। खदान को राज्य सरकार द्वारा जारी जो अनुमतियां हैं, उसके बारे में भी जिक्र कर देना चाहता हूं कि आपने अपने अंतिम वन अनुमति राज्य सरकार द्वारा जारी की। पेड़ कटाई राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया। परसा केते और परसा ब्लॉक में 3 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत् खदान चलाने की अनुमति भी आपने दी है। जल प्रदूषण अधिनियम के तहत् खदान चलाने के लिए भी आपने अनुमति दी। केन्द्र सरकार द्वारा जो दी गई अनुमतियां हैं, कोल ब्लॉक का आवंटन है, पर्यावरण की अनुमति है, वन अनुमति की सहमति है। भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कर रही है। एक बार आप सबसे मेरा आग्रह है कि इसे केन्द्र दिल्ली और प्रदेश की सरकार के बीच का मामला मत बनाइए। यह छत्तीसगढ़ की जिंदगी का, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के वहां के जीवन और मरण का प्रश्न है। आप एक बार चलकर देख लीजिए। सभी दल के लोग हरिहरपुर चले चलिए और अगर आपको वहां पर यह इच्छा हो कि इतना खूबसूरत और घने जंगल कट जाये तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यह कहूंगा कि ठीक है कट जाना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी वहां पर जाकर देखेगा, उसकी आंखों से आंसू निकलेगा। कोयला हमारे प्रदेश में ऐसी जगह पर भी स्थित है, जहां पर जंगल नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी जिद है कि सारे खदान हसदेव-अरण्य के क्षेत्र में ही खोदे जायें और हमारे हसदेव-अरण्य जिसे बिसाहूदास महंत और रामचंद्र सिंहदेव सरीखे दूर-दृष्टा लोगों ने बनवाया था और जिसमें 61 गांव के लोग डूबे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। ये कटघोरा वन मंडल का वर्किंग प्लान है। उसमें बड़े झाड़ के 101 प्रकार के झाड़ कटेंगे। झाड़ी 45 प्रकार के, लताएं 28 प्रकार की, बांस 4 प्रकार के, घास 28 प्रकार के, वन्य प्राणी 25 प्रकार के, मछलियां 22 प्रकार की, मगर 1 प्रकार का, पक्षी 99 प्रकार के, ये बहुत बड़ी तादाद है, जो सब तबाही के आंकड़ों में आने वाला है। आज जो

खूबसूरत वादी दिख रही है, अगर ये खदान खुलेगा तो वहां पर सिवाय धूल, धक्का, धुआं और अपमान के कुछ नहीं मिलेगा। वहां के आदिवासियों का अता-पता भी नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके वन मंत्री जी, आप, इधर के भी कुछ लोग एक दिन चलिए। एक बार देख लीजिए और चाहे जो भी नियम कायदा-कानून लगाना हो, चाहे केन्द्र सरकार से टकराना हो, वहां पर आप खनन को रोकिए, क्योंकि खनन रूकना चाहिए। मैं किसी खदान के विरोध में नहीं हूं। मैं किसी संस्था के विरोध में नहीं हूं। अगर उससे छत्तीसगढ़ की ऐसी जगहों पर कोयला खदान एक ही जगह में 3 भी दिया जायेगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तब हो रही है। मैं अभी मेधा पाटकर मैडम के साथ वहां गया था और उनके विचार आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। जिस मंच पर राहुल गांधी जी ने खड़े होकर भाषण दिया था, वहां उन्होंने एक वीडियो बनाया और आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए उन्होंने संदेश भेजा । वे वहां पर गई थीं । वे भी चाहती हैं कि वहां इस प्रकार से जंगल की तबाही, बर्बादी मत हो । मैंने इस सदन में पिछली बार आपकी सरकार के खिलाफ भी बोला है, अभी मैं दिल्ली की सरकार से भी बोल रहा हूं कि वो विचार करे, ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है । छत्तीसगढ़ की वन सम्पदा, खनिज सम्पदा और हमारे आदिवासियों की रक्षा, हम सबका प्रथम धर्म है । इसकी रक्षा करने के लिए वह इस खदान को निरस्त करे और इस खदान के निरस्त होने से हमारे आदिवासी आंदोलनरत् हैं उनको भी राहत मिलेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, वे पैदल आए थे, वे वहां पर अभी बरसात में भी बैठे हुए हैं । वहां पर इंग्लैंड और पोलैंड की मशीनें आ चुकी हैं । वे मशीनें ऐसी हैं बड़े से बड़े झाड़ को केवल छूने से 3 मिनट के अंदर वह झाड़ गिर जाता है । अगर आप उनको 3 लाख झाड़ काटने के लिए देंगे तो वे 1 महीने के अंदर 3 लाख झाड़ काटकर सफाचट मैदान कर देंगे । लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए । बड़ी मुश्किल से ऐसा जंगल लगता है । आपने अभी तक जितने भी प्लांटेशन किये होंगे, वे हैं या नहीं हैं, यह तो मैं नहीं जानता । लेकिन यहां पर जरूर आपको फुटबॉल मैदान दिखेगा और अगर आप सेटेलाइट से चित्र लेंगे तो वह बहुत दर्दनाक होगा । बिलासपुर में भी लोग आंदोलन में बैठे हैं । हरिहरपुर में लोग आंदोलन में बैठे हैं । तीन-चार बार हम भी जा चुके हैं । बृजमोहन जी भी या और अन्य लोग भी गए थे । मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक बार आप जाकर देख लीजिए, अगर आपको दया न आए और आप बोल देंगे कि प्रदेश के हित में या किसी उद्योगपति के हित में काटना बहुत जरूरी है भाई, तो हम मान लेंगे । लेकिन आपको भी वहां तरस आएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितने पेड़ कट गए हैं, उसका आंकड़ा भी दे दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- कई हजार पेड़ कट गए थे, वह तो गांव वालों ने रोका । पोलेंड, इंग्लैंड की मशीनें है, छूते ही झाड़ कट जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 38-40 हजार पेड़ कट चुके हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कल ही माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि केते और परसा में 99 हजार कटेंगे और कुल मिलाकर 3 लाख 22 हजार । आपने उसमें लिखा है कि वह वहां वृक्षारोपण करेगा । केते एक्सटेंशन में आप चलिए ना । सू-बबूल के अलावा अगर एक भी झाड़ लगा होगा तो मैं पहाड़ पर खड़ा होउंगा, आप गोली मार देना । क्या लफ्फासी है, उनकी इस तरह की बातों को सुनकर आप विधान सभा में जवाब दे देते हैं । यह गलत है, बिल्कुल गलत है । हमारी सम्पदा बहुत मुश्किल से बनी है, इसको बचाइए । आप जिम्मेदारी के पद पर है, आने वाला कल इस सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य को माफ नहीं करेगा । अगर वहां पर मैदान बना, लाखों पेड़ कटे, अगर अटेम नदी और गेज नदी का जल स्तर जो वहां से हसदेव में आ रहा है, अगर हसदेव का पानी रूका तो यह मानकर चलिए कि पचासों विधान सभा क्षेत्र में तबाही मचेगी और यह अभिशाप और यह कलंक हमारे ऊपर लगेगा । इस कलंक से हमको बचाने के लिए पुरजोर तरीके से दिल्ली की सरकार से मांग करना है । मैं आपसे भी मांग करूंगा कि आप लोग भी इसमें पक्ष रखिए और मदद करिये । आप लाग भी करिये और इसे सर्वसम्मति से पारित करके भेजिए, ताकि हमारा यह हसदेव बांध का कैचमेंट एरिया जो कोयला खदान में समाहित होने वाला है, वह बच सके । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जाएं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय धर्मजीत जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है । उसमें उन्होंने बहुत तर्कसम्मत बातें भी कही और उन्होंने यह भी कहा कि किस राज्य को कौन सी खदान एलॉट है उसको किस राज्य में दिया जाए । उन्होंने यह भी कहा कि किसी को मध्यप्रदेश दे दिया जाए, ओड़िशा दे दिया जाए । यह हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर है । कोयला आवंटन भारत सरकार ही करती है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैंने आपके लिए नहीं बोला है । इस प्रस्ताव में उनको लिखकर भेज दीजिए, यह मेरा निवेदन है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा कि केन्द्र सरकार के क्षेत्र में है, ठीक है। आपको कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन यदि केन्द्र सरकार कहती है तो इसमें आप सब एन.ओ.सी. रद्द कर दीजिये। आप यह कह दीजिये कि सब एन.ओ.सी. रद्द करते हैं, फिर हम इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर देंगे। आप एन.ओ.सी. रद्द करने की घोषणा कर दीजिये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- पहली बात तो यह है कि एन.ओ.सी. जैसी कोई चीज नहीं होती है। भारत सरकार एन.ओ.सी. एलॉट करती हैं, भारत सरकार पर्यावरण अधिनियम के तहत ही सारी कार्रवाई करती हैं। यह लोग गुमराह कर रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार कुछ करती हैं, क्योंकि अभी जो

एफ.डी.आर. एक्ट है, उसमें और भी कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं शासन की ओर से जो वक्तव्य है, उसको पढ़ देता हूँ, इससे सारी बातें स्पष्ट हो जायेगी।

"हसदेव अरण्य क्षेत्र मिनीमाता बांगो बांध डेम जल ग्रहण क्षेत्र है। इसे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही कोरबा, जांजगीर के अलावा बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले के लिए पानी की आपूर्ति भी होती है, परंतु यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में कोयला खनन से वनों का विनाश, बांध के जल ग्रहण क्षमता पर विपरित असर से मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा। वस्तुत: सच यह है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों को भारत सरकार द्वारा आवंटित कोल ब्लाकों में कोयला खनन अनुमति देने के पूर्व नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन भूमि व्यपवर्तित की जाती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खनन गतिविधियों हेतु स्वीकृत क्षेत्र के आसपास वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भी अधिरोपित शर्तों के अधीन स्वीकृत योजना अनुसार क्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण कार्य कराया जाता है, जिसे पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति निर्मित ना हो। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर जंगली हाथियों को उपयुक्त प्राकृतिक रहवास उपलब्ध कराने एवं मानव हाथी संघर्ष कम करने तथा बेहतर वन्य प्राणी प्रबंधन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1995.48 Km^2 क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित क्षेत्र लेमरू हाथी रिजर्व अंतर्गत भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित कोल ब्लॉक इसे extension एवं मदनपुर समाहित होने के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जनवरी, 2021 में भारत सरकार कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर उक्त कोल ब्लॉक में अग्रिम कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया है एवं उक्त कोयला ब्लॉकों में खनि-पट्टा स्वीकृत की कार्रवाई स्थगित है। हसदेव अरण्य कोल्ड फिल्डस क्षेत्रांतर्गत कुल 22 कोल ब्लॉक स्थित हैं, जिनमें से 15 कोल ब्लॉक Coal mines special provision act, 2015 तथा 07 कोल ब्लॉक एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 के तहत आवंटन के लिए चिन्हांकित है। यह तथ्य है कि वर्तमान समय में उर्जा उत्पादन का मुख्य स्त्रोत थर्मल पॉवर प्लांट है, जिसके लिए कच्चा माल के रूप में मुख्य सामग्री कोयला है। तथापि जन-भावनाओं को देखते हुए हसदेव क्षेत्र में कोयला खदानों की आवंटन संचालन के संबंध में प्रस्तुत अशासकीय संकल्प का सरकार समर्थन करती हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन अवकाश के पश्चात् माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सदन में यह उल्लेख किया गया कि उन्हें सदन में आने से पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रोका गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस संबंध में वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेकर सूचित करने को का कथन कहा गया था। इस संबंध में माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी वक्तव्य देंगे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26.07.2022 को भारतीय जनता पार्टी जिला रायपुर द्वारा विधानसभा घेराव प्रदर्शन आहुत किया गया था। प्रदर्शनकारी भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, पण्डरी रायपुर के पास ओव्हर ब्रिज के नीचे एकत्रित होकर दोपहर लगभग 13:30 बजे लगभग एक हजार की संख्या में विधानसभा घेराव हेतु रवाना हुए। कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधानसभा जाने के रास्ते में लोधी पारा चौक के पास बैरिकेट लगाकर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ने की जिद करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर बैरिकेटिंग तोड़ने लगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से मौके पर उपस्थित कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों जिनमें माननीय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी शामिल थे की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तारी की मौखिक घोषणा लगभग 14.45 बजे की गई। जिन्हें 15.00 बजे कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा ही सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की घोषणा की गई। माननीय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना सचिव, विधानसभा सचिवालय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के द्वारा प्रेषित की गई है।

प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की एवं बैरिकेटिंग तोड़ने की घटना को पुलिस/प्रशासन द्वारा अत्यंत धैर्य एवं संयम के साथ कार्यवाही करते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(सायं 6 बजकर 42 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2022 (श्रावण 5, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई.)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 26 जुलाई, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं